Chhattisgarh TRTI
TRIBAL RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE

"पारधी"

जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
नवा रायपुर छत्तीसगढ़

शासकीय उपयोग हेतु

प्रतिवेदन क्रमांक – 24

“पारधी”

जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

निर्देशन

शम्मी आबिदी (आई.ए.एस),

संचालक

क्षेत्रकार्य एवं प्रतिवेदन

गुलाब राम पटेल, अनुसंधान सहायक

निर्मल बघेल, अनुसंधान सहायक

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

नवा रायपुर छत्तीसगढ़

अनुक्रमणिका

अध्याय – 1 पृष्ठभूमि

1.1 प्रस्तावना
1.2 पूर्व अध्ययनों की समीक्षा
1.3 अध्ययन का महत्व
1.4 अध्ययन का उद्देश्य
1.5 अध्ययन पद्धति
1.6 पारधी जनजाति : परिचय एवं उत्पत्ति
1.7 बोली
1.8 जनसंख्या

अध्याय – 2 भौतिक संस्कृति

2.1 ग्राम की बसाहट
2.2 आवास निर्माण
2.3 घर की बनावट
2.4 घर की स्वच्छता एवं सफाई
2.5 व्यैक्तिक स्वच्छता
2.6 वस्त्र–विन्यास
2.7 साज–श्रृंगार एवं आभूषण
2.8 गोदना
2.9 घरेलू उपकरण
2.10 कृषि उपकरण
2.11 शिकार के उपकरण
2.12 वाद्य यंत्र
2.13 आधुनिक उपकरण
2.14 आवागमन के साधन
2.15 भोजन
2.16 मद्यपान

अनुक्रमणिका

अध्याय – 3 जीवन संस्कार

3.1 जन्म संस्कार
3.2 विवाह संस्कार
3.3 दाम्पत्य जीवन
3.4 वृद्धावस्था
3.5 मृत्यु संस्कार

अध्याय – 4 सामाजिक संगठन

4.1 जनजाति
4.2 उप जनजाति
4.3 वंश समूह
4.4 गोत्र
4.5 नातेदारी
4.6 परिवार
4.7 मित/मितान संबंध
4.8 अंतर्जातीय संबंध
4.9 महिलाओं की स्थिति

अध्याय – 5 शैक्षणिक स्थिति

अध्याय – 6 आर्थिक जीवन

6.1 सम्पत्ति की अवधारणा
6.2 सम्पत्ति हस्तांतरण
6.3 आर्थिक संरचना
6.4 समस्त स्त्रोतो सें वार्षिक आय
6.5 कुल वार्षिक आय का वितरण
6.6 व्यय
6.7 कुल वार्षिक व्यय में विभिन्न मदों की सहभागिता
6.8 कुल वार्षिक व्यय का वितरण
6.9 श्रम विभाजन

अनुक्रमणिका

अध्याय – 7 धार्मिक जीवन

7.1 गृह देवी–देवता
7.2 ग्राम देवी–देवता
7.3 त्यौहार
7.4 आत्मा
7.5 भूत–प्रेत
7.6 जादू–टोना
7.7 रोग निदान एवं उपचार
7.8 समुदाय में प्रचलित शुभ एवं अशुभ विचार
7.9 अन्य समाज का प्रभाव

अध्याय – 8 राजनीतिक संगठन

8.1 ग्राम स्तरीय जाति पंचायत
8.2 क्षेत्रीय जाति पंचायत
8.3 जाति पंचायतों में दण्ड का प्रावधान
8.4 आधुनिक महासमाज पंचायत
8.5 आधुनिक पंचायत

अध्याय – 9 लोक परम्परायें

9.1 लोक–गीत
9.2 लोक–नृत्य
9.3 लोक–कथा
9.4 कहावत एवं लोकोक्तियॉं

अध्याय – 10 परिवर्तन एवं समस्याएँ

10.1 परिवर्तन
10.2 समस्याए

अध्याय – 01

पृष्ठभूमि

प्रस्तावना :

भारत एक विकासशील देश है, जो जनसख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। भारत की जनसख्या का कुछ भाग अनादिकाल से जंगलों में निवासरत है। जिसे हम आदिवासी के नाम से सम्बोधित करते है। 1950 में भारतीय संविधान के तहत् इन आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति का नाम दिया गया है। बाह्य समाज इन्हें वनवासी, वन्यजाति, आदिमजाति, देशज आदि नामों से पहचान करती है। विभिन्न क्षेत्रों में निवासरत होने के कारण इनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति पायी जाती है। स्वतन्त्रता के पश्चात् भारतीय संविधान में अनुच्छेद 342 के तहत इन जनजातियों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य एक जनजाति बाहुल्य राज्य है। भारत सरकार द्वारा नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत् जारी अनुसूचित जनजाति की सूची में कुल 42 जनजातीय समूह को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी कुल जनसंख्या 7822902 है, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 30.6 प्रतिशत है। इन सूचीबद्ध जनजातियों के समग्र विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक एवं क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों का सृजन एवं क्रियावयन किया जा रहा है।

पारधी जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य की एक प्रमुख अनुसूचित जनजाति है। यह जनजाति भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु जारी अनुसूचित जनजाति की सूची में क्रमांक 36 में बहेलिया, बाहेलिया, चितापारधी, लांगोली पारधी, शिकारी टाकनकर एवं टाकिया के साथ शामिल है। यह जनजाति मुख्य रूप से बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, रायगढ़, जशपुर, सरगुजा तथा कोरिया जिलों में निवासरत है। इसके अलावा कोरबा जिले के कटघोरा, पाली, करतला और कोरबा तहसील में, दुर्ग जिले के पाटन दुर्ग एवं धमधा तहसील में, बालोद जिले के बालोद, गुण्डरदेही, गुरूर एवं डौडीलोहारा तहसील में, राजनांदगांव जिले के चौकी, मानपुर और मोहला राजस्व निरीक्षक मंडल में, महासमुन्द जिले के सरायपाली, बसना एवं महासमुन्द तहसील में, गरियाबंद जिले के बिन्द्रानवागढ़, राजिम एवं देवभोग तहसील में और धमतरी जिले के धमतरी, कुरूद और सिहावा तहसील में निवासरत पारधी को अनुसूचित जनजाति मान्य किया गया है।

1.2 पूर्व अध्ययनों की समीक्षा

शोध विषय पर उपलब्ध साहित्य अध्ययन कार्य को सुगम बना देता है। इसलिए विषय से संबंधित लेख, पुस्तकें, पत्र एवं प्रतिवेदन आदि का शोधकर्ता द्वारा गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए, जिससे अनुसंधान कार्य कुछ सरल हो जाता है, उसे अध्ययन की प्रविधियों का ज्ञान हो जाता है, शोध विषय से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाओं को निर्धारित करने की जानकारी मिल जाती है, और अध्ययन क्षेत्र में आने वाली कठिनाईयों का भी ज्ञान हो जाता है।

प्रस्तुत अध्ययन विषय से संबंधित कुछ शोध–साहित्य की समीक्षा निम्नानुसार है:–

1. Russell & Hira Lal (1916) ने "The Tribes and Castes of the Central Provinces of India" Volume 4 में पारधी जनजाति का नृजातीय अध्ययन किया है।

2. K.S. Singh (1994) ने "People of India" Netional Series Volume 3 " The Scheduled Tribes" में पारधी जनजाति के नृजातीय अध्ययन में पारधी जनजाति के साथ–साथ उपजनजातियों जैसे– फांस पारधी, टंककार पारधी, चिता पारधी, बहेलिया पारधी की सामाजिक–सांस्कृतिक विवरण प्रस्तुत किया है, और बताया कि बस्तर क्षेत्र में निवासरत पारधी को ''नाहर'' से जाना जाता है, जिसका अर्थ शिकारी होता है, तथा अलग–अलग स्थानों में इन्हें बहेलिया, शिकारी, चीता आदि नामों से जाना जाता है। ये आपस में मराठी भाषा में वार्तालाप करते है। इनकी मातृभाषा गुजराती है। इनमें ओधाम, सोनोने, दाबडे, सोलंकी, पवार, चावन, सिन्धे एवं सूर्यवंशी आदि गोत्र पाये जाते है।

3. एम.एम. सक्सेना (1997–98) ने ''मध्यप्रदेश की शिकारी पारधी/बहेलिया जनजाति एक मानवशास्त्रीय अध्ययन'' में पारधी एवं उससे संबंधित उपजनजातियों की उत्पत्ति, सामाजिक–आर्थिक एवं सास्कृतिक जीवन आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है।

4. लक्ष्मण गायकवाड़ (2011) ने ''वकील पारधी'' उपन्यास में पारधी समुदाय के सांस्कृतिक और परिवेशगत जीवन–मूल्यों, उनके दैनिक जीवन की अन्य समस्याओं और सामाजिक संरचना का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है।

5. मोहन लाल साहू (2008) ने ''शिकारी/पारधी जनजाति का नृजातीय अध्ययन'' में शिकारी/पारधी जनजाति की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनैतिक स्थिति का अध्ययन किया गया है।

1.3 अध्ययन का महत्व

वर्तमान में हमारा देश विकास की ओर निरन्तर अग्रसर है। लेकिन जनजातीय जनसंख्या का विकास की प्रक्रिया में पीछे रह जाना, उनका पूर्ण सहभागिता का अदा न कर पाना एक सामाजिक चिंतन का विषय है। अशिक्षा, संचार साधनों का अभाव, दूरस्थ निवास स्थान एवं जागरूकता का अभाव आदि ऐसे कारण है, जो देश की जनजातीय उन्नति के मार्ग में सहभागी बनने में बाधक सिद्ध हो रहे हैं। अतः इन समूहों का गहन अध्ययन हमारी आवश्यकता एवं कर्तव्य भी है। सैद्धांतिक तौर पर प्रस्तुत अध्ययन की उपयोगिता ज्ञान के विकास एवं बोध के विस्तार में निहित है। अध्ययन में पारधी जनजाति की सामाजिक–आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशाओं से संबंधित नवीन तथ्यों की प्राप्ति होगी।

प्रस्तुत अध्ययन में पारधी जनजाति की वर्तमान सामाजिक–आर्थिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं के संबंध में अनेक संभावित समाधानों का सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। यह अध्ययन की व्यवहारिक उपयोगिता/महत्व है। उनमें होने वाले परिवर्तन एवं विकास में आने वाली बाधाओं में सुधारात्मक उपाय बताना और उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखा जा सकेगा। इस प्रकार यह अध्ययन सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक रूप से एक महत्वपूर्ण मानवशास्त्रीय अध्ययन है।

1.4 अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैः–

1. पारधी जनजाति का मानवशास्त्रीय (सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक) अध्ययन करना।
2. पारधी जनजाति की समस्याऐं एवं परिवर्तन का अध्ययन करना।

1.5 अध्ययन पद्धति

प्रत्येक अध्ययन कुछ निश्चित उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है, और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए योजनाबद्ध रूप से शोध कार्य करना होता है। इसी योजना की रूपरेखा को ''शोध प्रारचना'' कहते है। परिवर्तन प्रकृति की शाश्वत नियम होने के कारण मानव जीवन की परिवर्तनशील प्रकृति का अध्ययन एवं वास्तविक निष्कषो की प्राप्ति के लिए एक क्रमबद्ध वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता होती है। प्रस्तुत अध्ययन ''पारधी जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन'' विषय पर आधारित है। अतः अध्ययन का स्वरूप ''वर्णनात्मक'' है। किसी भी नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए संबंधित घटनाओं एवं परिस्थितियों का वास्तविक अध्ययन एवं विश्लेषण आवश्यक है।

1. अध्ययन क्षेत्र का परिचय

पारधी जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर, दन्तेवाड़ा, कांकेर, रायगढ़, जशपुर, सरगुजा, कोरिया, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, बालोद, गरियाबंद, राजनांदगांव, धमतरी एवं महासमुन्द आदि जिलों में निवासरत है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी कुल जनसंख्या 13476 है, जिसमें 6667 (49.47 प्रतिशत) पुरूष एवं 6809 (50.53 प्रतिशत) महिला जनसंख्या है। जो कि राज्य की कुल जनजातीय जनसंख्या का लगभग 0.17 प्रतिशत है। अध्ययन हेतु जनसंख्या के वितरण अनुसार दुर्ग एवं रायपुर संभाग के पारधी जनजाति बाहुल 4 जिलों के 09 ग्रामों में निवासरत 120 परिवारों का अध्ययन किया गया है।

2. उत्तरदाताओं का चयन

प्रस्तुत अध्ययन छत्तीगढ़ राज्य के 04 जिलों के 06 विकासखण्डो के 09 ग्रामों का चुनाव किया गया है। ग्रामों का चुनाव सविचार निदर्शन विधि (उद्‌देश्य मूलक प्रविधि) द्वारा किया गया है। इन 09 ग्रामों में निवासरत पारधी जनजाति के 120 परिवारों का चयन दैवनिदर्शन की लॉटरी प्रणाली द्वारा चिन्हांकित कर उत्तरदाता के रूप में किया गया है। जिसे निम्नलिखित तालिका में दर्शित किया गया हैः–

तालिका क्रमांक–01

उत्तरदाताओं का वितरण

क्रं.	जिला	विकासखण्ड	चयनित ग्राम	परिवारों की संख्या
1	दुर्ग	पाटन	रानीतराई	23
			अटारी(बेलाहीपारा)	11
		धमधा	बिरझापुर	09
			राजपुर	04
2	बालोद	गुण्डरदेही	कलंगपुर	21
			मचौद	10
3	महासमुन्द	महासमुन्द	बेलसोण्डा	18
		बागबहरा	ओंकारबंध	09
4	गरियाबंद	फिंगेश्वर	बारूला	15
योग	04	06	09	120

3. तथ्य संकलन के स्त्रोत एवं उपकरण

प्रस्तुत अध्ययन हेतु प्राथमिक तथ्यों का संकलन अर्द्धसहभागी अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची प्रविधि द्वारा किया गया। पारिवारिक सूचनाओं के संकलन हेतु परिवार अनुसूची तथा सामुदायिक तथ्यों के संकलन हेतु साक्षात्कार निर्देशिका का उपयोग किया गया है, साथ ही पारधी जनजाति के 2 परिवारों का ''व्यैकितक अध्ययन'' किया गया है।

द्वितीयक तथ्यों का संकलन प्रकाशित शोध ग्रंथों, जनगणना तथा शासकीय प्रतिवेदनों, इंटरनेट एवं कैमरा आदि से भी करने का प्रयास किया गया। तत्पश्चात् प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण एवं सारणीयन कर प्रतिवेदन लेखन किया गया है।

1.6 पारधी जनजातिः परिचय एवं उत्पत्ति

पारधी शब्द की उत्पत्ति मराठी शब्द ''पारध'' से हुई है, जिसका अर्थ '' शिकार करना'' होता है। इस समुदाय के लोग पारम्परिक कौशल की दृष्टि से शिकार करने में पारंगत होते है। K.S. Singh (1994) ने "People of India" Netional Series Volume 3 " The Scheduled Tribes" के पृष्ठ क्रंमाक 986 से 992 के अनुसार ''बस्तर क्षेत्र में निवासरत पारधी को नाहर नाम से जाना जाता है। इस जनजाति के उपजातियों को अलग–अलग क्षेत्रों में बहेलिया, चीतापारधी, बाहेलिया आदि नामों से जाना जाता है। ''इनकी मातृभाषा गुजराती है, और ये अपने समुदाय में मराठी भाषा से बातचीत करते है। रसेल एवं हीरालाल (1916) के अनुसार पारधी समुदाय बावरीया और अन्य राजपूत जातियो का मिश्रित समूह है। पारधी समुदाय विभिन्न गोत्रों में बटा होता है जैसे :– ओधाम, दाबडे, सोलंकी, पवार, चावन, सिंधे और सूर्यवंशी। ये अपने गोत्र में विवाह नही करते है। समुदाय में भाई–बहनों के पुत्र–पुत्रियों में विवाह सम्पन्न होता है। देवर एवं साली विवाह प्रथा प्रचलित है।

पारधी जनजाति के मानवशास्त्रीय अध्ययन के दौरान समुदाय के बुजुर्ग सदस्यों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में पाये जाने वाले पारधी कई उपसमूहों में विभाजित हैः–

1. बहेलिया पारधीः यह समुदाय बैल के आड़ में जाल एवं फंदे से छोटे–छोटे पशु–पक्षियों का शिकार कर अपना जीवकोपार्जन करते है।
2. शिकारी पारधीः यह समुदाय पशु–पक्षियों के शिकार के लिए आग्नेय अस्त्र का उपयोग करते है।
3. फांस पारधी/लंगोटी पारधीः इस समुदाय के लोग को लंगोट पहनने के कारण लंगोटी पारधी भी कहलाते है। ये शिकार के लिए विभिन्न प्रकार के फंदे का उपयोग करते है।
4. टांकनकार पारधीः यह समुदाय सिल–बट्टे तथा आटा पीसने के चक्की के पाटो को काटने का काम करते है। इसलिए इन्हें टांकनकार पारधी कहा जाता है।

पारधी के उपरोक्त उपजनजातियों में से बहेलिया एवं शिकारी पारधी शिकारी प्रवृत्ति होने के कारण अपने समूह में विशेष स्थान रखते है। जबकि टांकनकार एवं फांस पारधी पूर्व में आपराधिक प्रवृत्ति के रहे है। यह समुदाय प्राचीन समय से अपने जीवन–यापन के लिए जंगलों में तीतर–बटेर, बाज, खरगोश, हिरन, जंगली मुर्गा–मुर्गी तथा अन्य पशु–पक्षियों को स्वयं द्वारा निर्मित जालों एवं फंदों से पकड़ते आये है। ये पशु–पक्षियों को जिन्दा पकड़कर आसपास के क्षेत्रों में बेचकर जीविका चलाते थे। ये पकड़े हुए पशु–पक्षियों को मारते नहीं थे, जाल एवं फंदों द्वारा जिन्दा पकड़कर विक्रय कर देते थे। वर्तमान में शिकार प्रतिबंधित होने के कारण छिंद पेड़ के पत्तों से चटाई एवं झाडू बनाकर बेचते है, और अपनी जीविका चलाते है।

उत्पत्तिः

पारधी जनजाति की उत्पत्ति का ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। कहा जाता है कि पारधी जनजाति शिकार की खोज में इधर–उधर भटकते रहते थे, और उनका पूरा जीवन घूमंतू प्रवृत्ति का था। इनके पूर्वज महाराष्ट्र एवं मध्यप्रदेश से जंगलों में घूमते–घूमते शिकार करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने लगे। इस समुदाय की उत्पत्ति के संबंध में समुदाय में अनेक किवदंतियॉ प्रचलित है। एक किवदंति अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में कभी राजा उदयसिंह नामक राजा हुआ करते थे, जो बहुत बड़े शिकारी थे, उसके बाद उनका पुत्र राजदेव सिंह हुए। उनकी सात रानिया थी, परन्तु कोई संतान नही थी। एक बार ओझा (बैगा) को बुलाकर संतान प्राप्ति का उपाय बताने को कहा गया। तब ओझा ने अपने तंत्र–मंत्र से देखकर बताया कि आपकी पहली पत्नी ''मलागर'' एक बांझ है, और वह अन्य छः रानियों के ''कोख'' को जादू से बांध दी है। यह सुनकर राजा ने अपनी बड़ी रानी को वनवास भेज दिया। रानी मलागर को वन में दुखी अवस्था में विलाप करते देख वन में विचरण कर रहीं चंडी देवी और पारधन देवी ने रानी को विलाप करने का कारण पूछा। तब मलागर रानी ने अपनी आप बीती सुनाई। रानी की व्यथा सुनकर देवियों ने उसको पुत्र का वरदान देने की बात कही, और बदले में व्रत एवं पूजा अर्चना करने की शर्त रखी। रानी मलागर ने शर्त मान ली। देवियों ने उनको पुत्र देने का आशीर्वाद दिया और पीपल पेड़ का एक पत्ता तोड़कर रानी को खाने के लिए दिया और कहा, जब तक राजा स्वयं तुम्हें लेने वन नही आता , तब तक वापस महल मत जाना। देवियों के वरदान से रानी मलागर गर्भवती हो गई। एक दिन राजा राजदेव सिंह के स्वप्न में देवियों ने राजा से कहा कि अरे राजन तेरी रानी मलागर गर्भवती हो गई है, और उसका बच्चा होने वाला है। अतः उसे जाकर महल ले आओ और होने वाले पुत्र का नाम रधमल रखना।

तत्पश्चात् राजा ने अपने सैनिकों को बुलाकर रानी को ढूंढकर वापस लाने का आदेश दिया। तब सैनिकों ने पूरा जंगल में रानी को खोजकर वापस चलने का आग्रह किया। जिस पर रानी ने कहा कि मैं राजा के लिए मर गई हूँ, मैं उसी स्थिति में महल वापस जाऊंगी, जब राजा स्वयं मुझे बाजा–गाजा के साथ लेने आयेंगे। तब राजा उसकी बात को मानकर स्वयं बाजा–गाजा के साथ धूम–धाम से रानी को वापस महल ले आये। कुछ दिनों पश्चात् रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जिनका नाम देवीयों के बताये अनुसार रधमल रखा। कुछ समय पश्चात् रानी अपने दिये वचन को पुत्रमोह में भूल गई। एक रात देवी पारधन ने रानी के सपने में आकर कहा कि मेरा दिया वरदान मुझे वापस दे दो और दूसरे दिन ही पारधन देवी ने वेश बदलकर दान में राजकुमार रधमल को मांगा। इस पर राजा–रानी ने उसे टोनही (डायन) कहकर राजमहल से भगा दिया। तत्पश्चात् देवी ने वराह का रूप धारण कर महल की सारी फूलवारी को तहस–नहस कर दिया केवल एक कदम का पेड़ ही शेष बचा। राजा ने वराह को मारने के लिए राजकुमार रधमल को भेजा। परन्तु वराह पकड़ में नही आया। अन्त में वराह रधमल के छाती में लातमार कर भाग गया। वह गुस्से में आग बगुला होकर वराह का पीछा करने लगा। वराह भागते–भागते राजा के साही तालाब (बावड़ी) में कुद गया। जिसे देखकर रधमल भी पीछा करते तालाब में कूद गया।

यह खबर सुनकर राजा ने ढ़ीमर को बुलाकर बावड़ी से राजकुमार एवं वराह को निकालने का आदेश देता है। लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद भी ढ़ीमर के जाल में दोनो नही आ रहे थे। तब ढ़ीमर ने राजा से विनती किया कि हे राजन आप अपने हीरा जड़ित अंगूठी बावड़ी में फेंक दीजिए तब भी हम लोग उसे आसानी से निकाल देगें। लेकिन राजकुमार और वराह आखिर कहॉ गये, जो जाल में नही आ रहें। इस पर बावड़ी से आवाज आयी हे राजन आप देवी–देवताओं की स्तुती कर जाल डलवाओं तो राजकुमार और वराह बाहर निकल आयेगें। यह सुनकर देवी–देवताओं का सिमरन करते हुए राजा ने जाल डलवाया। इस बार राजकुमार और एक सुन्दर सोने की मछली आयी। राजकुमार सोने की मछली को लेकर महल जाने लगा। जाते समय मछली राजकुमार के पेट में समा जाती है, जिससे राजकुमार के पेट में बहुत दर्द होता है। राज्य के सभी वैद्य से उपचार के पश्चात् भी दर्द ठीक नही हुआ। उसी रात्रि में रानी मलागर को स्वप्न में देवी चंड़ी और पारधान को दिया गया वचन याद आती है। और सुबह रानी ने देवीयों के नाम का बकरा का बलि चढ़ाकर पूजा–अर्चना करती है। जिससे राजकुमार रधमल का दर्द ठीक हो जाता है। रधमल शिकार में निपूर्णता के कारण शिकारी कहलाया, और उसके वंशज शिकारी पारधी कहलाने लगे। इस प्रकार पारधी समुदाय उसी से अपनी उत्पत्ति मानते है।

पारधी जनजाति के उत्पत्ति के संबंध में एक अन्य किवंदति भी प्रचलित है। कहा जाता है कि इनके पूर्वज दो भाई थे। एक भाई खेती करता था, तो दूसरा भाई खेत में जाल डालकर पक्षियों को पकड़ता था। इस प्रकार जाल द्वारा पक्षियों को पकड़ने की आदत पड़ गयी। और वह पक्षियों को पकड़ने में महारत हो गया। और उसके वंशज को शिकारी नाम से जानने लगे। पारधी जनजाति के संदर्भ में कुछ पंक्तियॉ इस प्रकार से कही जाती हैः—

''बटे न बाट बटरेउ गवारेगें ऊपर
से उड़े छछांन (बाज) ते तो फंदे
पारधी के फंदा में जीव ला लिहि किसान।''

भावार्थः— रास्ते में चुगती चिड़िया को ऊपर उड़ रहे बाज (छंछान) नही पकड़ पाती, तब बाज कहता है नीचे—नीचे दाना चुग रहे हो, और मैं ऊपर से देख रहा हूॅ कि तुम मेरे पकड़ में तो नही आ रहे हो, लेकिन पारधी के फंदे में जरूर फसोगे और तुम्हारी जान किसान ले लेगा। पारधी जनजाति के लोग पक्षियों का जाल फंदे आदि से जिंदा पकड़ते है उसे मारते नहीं है, और अपने शिकार को आसपास के लोगो का विक्रय कर अपना जीवकोपार्जन करते है। इसलिए शिकार कर पक्षी पकड़ने के कारण हमें शिकारी भी कहा जाता है

1.7 बोली

पारधी जनजाति की मातृभाषा गुजराती है, और अपने समुदाय में ये मराठी भाषा से वार्तालाप करते वर्तमान में गुजराती—मराठी का मिश्रित बोली का उपयोग करते है, जबकि अन्य समाज से हिन्दी या छत्तीसगढ़ी बोली में बात करते है।

1.8 जनसंख्या

1. कुल जनसंख्या

पारधी जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवासरत है। जनगणना 2011 के अनुसार इनकी कुल जनसंख्या 13476 है, जिसमें पुरूष जनसंख्या 6667 (49.47 प्रतिशत) एवं महिला जनसंख्या 6809 (50.53 प्रतिशत) है।

2. सर्वेक्षित परिवारों में जनसंख्या

पारधी जनजाति के मानवशास्त्रीय अध्ययन हेतु किये गये सर्वेक्षण अनुसार सर्वेक्षित परिवारों में जनसंख्या का वितरण निम्न तालिका में प्रदर्शित हैः—

तालिका क्रमांक 02

सर्वेक्षित परिवारों में जनसंख्या का वितरण

क्रं.	जिला	विकासखण्ड	ग्राम	जनसंख्या		योग	
				पुरूष	महिला	योग	प्रतिशत
1	दुर्ग	पाटन	रानीतराई	56	42	98	19.**48**
			अटारी (बेलाही पारा)	21	20	41	08.**15**
		धमधा	बिरझापुर	28	18	46	09.15
			राजपुर	12	15	27	05.37
2	बालोद	गुण्ड़रदेही	कलंगपुर	36	40	76	15.11
			मचौद	22	20	42	08.35
3	महासमुन्द	महासमुन्द	बेलसोण्डा	43	32	75	14.91
		बगबाहरा	ओंकारबंद	22	19	41	08.15
4	गरियाबंद	फिंगेश **वर**	बारूला	24	33	57	11.33
योग	04	06	09	264	239	503	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पारधी जनजाति के सर्वेक्षित 120 परिवारों मे कुल जनसंख्या 503 है। जिसमें पुरूष जनसंख्या 264 (52.49 प्रतिशत) एवं महिला जनसंख्या 239 (47.51 प्रतिशत) पाई गयी है। इस जनसंख्या में से सर्वाधिक 19.48 प्रतिशत जनसंख्या रानीतराई ग्राम से तथा न्यूनतम 05.37 प्रतिशत जनसंख्या रामपुर ग्राम का है।

3. उम्र–लिंग अनुसार जनसंख्या

सर्वेक्षित 120 पारधी परिवारों में उम्र–लिंग अनुसार जनसंख्या का वितरण निम्नानुसार तालिका में प्रदर्शित है:–

तालिका क्रमांक 03

उम्र–लिंग अनुसार जनसंख्या का वितरण

क्रं.	उम्र समूह	जनसंख्या				योग	प्रतिशत
		पुरूष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत		
1	0–6 वर्ष	36	13.64	29	12.13	65	12.92
2	7–14 वर्ष	41	15.53	35	14.64	76	15.11
3	15–19 वर्ष	39	14.77	26	10.36	65	12.92
4	20–35 वर्ष	58	21.97	63	26.36	121	24.06
5	36–50 वर्ष	54	20.46	50	20.93	104	20.68
6	51–60 वर्ष	15	05.68	24	10.04	39	07.75
7	60 वर्ष से ऊपर	21	07.95	12	05.02	33	06.56
योग		264	100.00	239	100.00	503	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों में सर्वाधिक 24.06 प्रतिशत जनसंख्या 20–35 आयु वर्ग में है, 20.68 प्रतिशत जनसंख्या 36–50 आयु वर्ग , 15.11 प्रतिशत जनसंख्या 7–14 आयु वर्ग में, 12.92 प्रतिशत जनसंख्या 15–19 आयु वर्ग और इतना ही जनसंख्या 0–6 आयु वर्ग में, 07.75 प्रतिशत जनसंख्या 51–60 आयु वर्ग के अन्तर्गत आते है। और सबसे न्यूनतम 06.56 प्रतिशत जनसंख्या 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के अन्तर्गत आते है।

पुरूष वर्ग में सर्वाधिक 21.97 प्रतिशत जनसंख्या 20–35 आयु वर्ग में एवं न्युनतम 05.68 प्रतिशत जनसंख्या 51–60 आयु वर्ग के अन्तर्गत है। इसी प्रकार महिला वर्ग में सर्वाधिक 26.36 प्रतिशत जनसंख्या 20–35 आयु वर्ग में एवं न्यूनतम 05.02 प्रतिशत जनसंख्या 60 वर्ष से अधिक आयु में सम्मिलित है।

4. लिंगानुपात

2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में निवासरत पारधी जनजाति का लिंगानुपात प्रति हजार पुरूषों पर 1021 महिलाएं है, जबकि सर्वेक्षित परिवारों में प्रति हजार पुरूषों पर 905 महिलाएं पायी गई है।

अध्याय – 02

भौतिक–संस्कृति

भौतिक संस्कृति के अन्तर्गत संस्कृति के वे समस्त तथ्यों को शामिल किया जाता है, जो मानव निर्मित है, और जिन्हें हम देख, छू सकते है। मानव अपने चारों ओर उपलब्ध प्राकृतिक वस्तुओं से अपनी सुविधा एवं आवश्यकतानुसार वस्तुओं का निर्माण एवं विकास करता है। इसके अन्तर्गत आवास, उपकरण, अस्त्र–शस्त्र, कला के साक्ष्य एवं वस्त्र आदि को शामिल किया जाता है। संक्षेप में पारधी जनजाति की भौतिक संरचना निम्नलिखित हैः–

2.1 ग्राम की बसाहट

पारधी जनजाति का पृथक ग्राम नही होता है, लेकिन अन्य समाज के लोगो से दूर अपनी ही जाति के लोगो के साथ रहना ठीक समझते है। यह समुदाय प्रायः बड़े–बड़े ग्रामों के किनारे बसे होते है। सामान्यतः पारधी लोगों का अलग मोहल्ला या पारा होता है, जिसे शिकारी या पारधी मोहल्ला के नाम से जाना जाता है। मोहल्ला की संरचना आयताकार या लम्बवत् पायी जाती है। जिसमें 15–20 परिवारों का समूह होता है। ये अपना घर अपनी आवश्कता को ध्यान में रखकर बनाते है।

2.2 आवास–निर्माण

पारधी जनजाति अपने घर का निर्माण स्वयं करते है। आवास निर्माण हेतु भूमि का चयन अपने समुदाय के मोहल्ले में ही करते है। भूमि चयन के पश्चात् धरती माता की पूजा–अर्चना कर गृह निर्माण की रूपरेखा तैयार की जाती है। प्रायः इनके घर 2–3 कमरों के होते है। घर की दीवाल मिट्टी से तथा छत घास–फूस या खपरैल के बने होते है। मुख्य घर से लगा हुआ बरामदा होता है। एक कक्ष को पूजा कक्ष के रूप में उपयोग करते है। जिसके एक कोने पर अपने आराध्य देवी–देवताओं को स्थापित किया जाता है। मुख्य घर का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में रखा जाता है। घर के एक किनारे में रसोई घर होता है, जिसे माई घर कहते है। माई घर में पुरूष सदस्य नही जाते है। घर से लगा हुआ मवेशियों के लिए कोठा होता है। कुछ स्थानों में घर के पीछे की ओर लगी हुई बाड़ी होती है।

आवास निर्माण के लिए सर्वप्रथम कमरे के आकार की नींव खोदी जाती है। नीव को पत्थर और मिट्टी से अच्छी तरह भरा जाता है। नीव पक्की होने पर दीवाल बनाने हेतु मिट्टी तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। दीवाल निर्माण में प्रायः मिट्टी का उपयोग बहुतायत में किया जाता है। मिट्टी को भिगोकर उसमें पैरा का पुलाव के साथ चिकना होने तक पैरों से कुचलकर अच्छे से मिलाया जाता है, जिसके बाद उसका छोटा–छोटा लोई बनाकर नींव के आकार में भरा जाता है।

प्रतिदिन 1 से 1.5 फीट ऊंचाई तक दीवाल में मिट्टी चढ़ाई जाती है। ताकि दिनभर की धूप से दीवाल पर्याप्त सुखती भी रहे। लगभग 3–4 फीट ऊंचाई तक दीवाल उठ जाने पर रोशनी, हवा आदि हेतु झरोखा बनाया जाता है, और 5–6 फीट दीवाल निर्माण पचात् दरवाजे हेतु चौखट लगाया जाता है। जिसके बाद पुनः 2 से 3 फीट दीवाल की ऊंचाई बढ़ाई जाती है। तत्पश्चात् लकड़ी की ''म्यार'' रख दी जाती है। म्यार के बीचों–बीच लकड़ी की बल्ली लगायी जाती है। जिसके ऊपर छत का आधार बनाया जाता है। जिसके चारों ओर दीवाल से 2 फीट होते हुए लकड़ी का ''काड'' लगायी जाती है। जिसके ऊपर बांस की चट्टियॉ बिछा दी जाती है, और खपरैल या छिंद पत्तों से ढक दिया जाता है।

छत निर्माण पश्चात् दीवालों को चिकनी मिट्टी से छबाई कर दी जाती है। जिसके सुखने के बाद ''छुही'' (सफेद मिट्टी) या चुने से पुताई की जाती है, और फर्श की लिपाई गोबर के घोल से किया जाता है। आवास निर्माण में मिट्टी बनाने का कार्य महिलायें करती है और लकड़ी लाने, दीवाल में मिट्टी चढ़ाने, छत बनाने आदि का कार्य पुरूषों द्वारा किया जाता है। आवास में दरवाजे एवं खिडकियों का निर्माण स्थानीय बढ़ाई द्वारा कराया जाता है अथवा स्थानीय बाजार से क्रय किया जाता है।

2.3 घर की बनावट

इनके मकान में मुख्यतः रसोई घर और दो कमरे होते है। रसोई घर को माई घर भी कहते है। जबकि एक कमरा आराध्य देवी–देवताओं के लिए होते है। घर की दीवाल को मिट्टी से छबाई कर उसमें सफेद/पीली/गेरू मिट्टी से पुताई करते है। घरों के फर्स व आंगन आदि को गोबर के घोल से लिपाई की जाती है। त्यौहारों व उत्सवों में घर की दीवालों में फूलों एवं पशु–पक्षियों की आकृति का चित्रांकित भी करते है। घर की भितरी दीवालों में विभिन्न देवी–देवताओं व प्राकृतिक छायाचित्रों से सजाते है। रसोईघर में दो मुंहे वाला चूल्हा होता है। बैठने एवं सोने के लिए चटाई अथवा खाट का उपयोग करते है।

2.4 घर की स्वच्छता एवं सफाई

पारधी समुदाय में घर की स्वच्छता एवं साफ–सफाई का दायित्व महिलाओं का होता है। महिलाऐ प्रातः उठकर पहले रसोईघर की साफ–सफाई करती है। फिर अन्य कमरों, बरामदा व आंगन आदि को झाडू लगाती है। तत्पश्चातः गोबर के घोल से रसोई, घर एवं आंगन आदि की लिपाई करती है। बाद में गोशाला के गोबर एवं कुड़ा–कचरा को साफ करती है। गोबर का अलग से ''छेना'' (कण्डा) थापती है।

इस समुदाय में महिलायें विशेष त्यौहारों व विशेष संस्कारों जैसे– जन्म, विवाह एवं मृत्यु आदि अवसरों पर सफेद मिट्टी या चूना आदि से घरों की पुताई करती है।

2.5 व्यैक्तिक स्वच्छता

इस समुदाय में दातों की सफाई दातून से की जाती है। कुछ परिवारों में टूथपेस्ट एवं ब्रश का उपयोग करते देखा जा सकता है। नहाते समय साबून का उपयोग करते है। वृद्ध पुरूष एवं महिलायें बाल धोने के लिए काली मिट्टी का उपयोग करते है। नहाने हेतु नदी, नाला, कुंआ, तालाब आदि का उपयोग किया जाता है। महिलायें प्रतिदिन अपने कपड़े साफ करती है, जबकि पुरूष 2–3 दिनों के अन्तराल में कपड़े धोते है। सप्ताह में एक बार दाड़ी–मूंछ बनाते है, और महिने में एक बार बाल कटवाते है। महिलायें नहाने के पश्चात् बाल एवं शरीर पर तेल लगाती है। बालों को कंघी कर चोटी का खोपा (जुड़ा) बनाती है। महिलाओं में सौंदर्य प्रसाधन जैसे– बिन्दी, पाउडर, क्रीम आदि का उपयोग करते देखा जा सकता है।

2.6 वस्त्र– विन्यास

पूर्व में पारधी समुदाय के लोग लंबे–लंबे बाल रखते थे। पुरूष सदस्य लंगोटी पहनते थे, और महिलायें लुगड़ी पहनती थी। महिलायें लुगड़ी के एक छोर को पल्लू बनाकर सीने को ढकती थी, ब्लाऊज और पेटीकोट नही पहनती थी, लेकिन कालान्तर में अन्य समाजों के सम्पर्क में आने के कारण आधुनिक परिधानों का इन पर प्रभाव पड़ा है, और वे वर्तमान में बाजार में उपलब्ध परिधानों का उपयोग करने लगे है।

इस समुदाय के वयस्क लुंगी या घुटने तक लंगोटी (पोटका) पहनते है। युवा वर्ग आधुनिक परिवेश के साथ फूलपेंट व कमीज पहने देखे जा सकते है। छोटे बच्चे हाफ–पेंट, चड्डी, बनियान, लोवर, टी–सर्ट आदि पहनते है। वृद्ध सदस्य घुटने तक लंगोटी पहनते है और सिर पर गमछा की पगड़ी बांधते है।

महिलायें घुटने के नीचे तक रंग–बिरंगी साड़ी, ब्लाऊज एवं पेटीकोट आदि पहनती है। वृद्ध महिलायें घुटने तक ''लुगड़ी'' पहनती है, और शरीर के ऊपरी भाग को लुगड़ी की पल्लू से ढ़का जाता है। पति की मृत्यु पश्चात् विधवा दशगात्र तक सामाजिक संस्कारों के तहत सफेद साड़ी पहनती है, और कुछ समय के पश्चात् इच्छानुसार लुगड़ी या साड़ी पहन सकती है। युवा लड़कियॉ एवं छोटे बच्चे बाजार में उपलब्ध सलवार, कमीज, फ्रांक, जिंस पेंट–सर्ट, टू–पीस आदि पहने देखे जा सकते है। महिलायें हाथ में कांच की चुड़िया, माथे में बिंदी तथा मांग में सिंदूर लगाती है। इस समुदाय में विशेष त्यौहारों, विवाह आदि अवसरों पर नये परिधान क्रय किया जाता है।

ओढ़ने एवं बिछाने के लिए पुरानी कटी–फटी साड़ियॉ, लुगड़ी, लुंगी आदि कपड़ों का हाथ से कच्चा सिलाई कर गोदरी (रजाई) बनायी जाती है। कुछ परिवार बिछाने के लिए छिन्द पत्तों से स्वनिर्मित चटाई का भी उपयोग करते है। जिन परिवरों की आर्थिक स्थिति अच्छी है, वे ओढ़ने के लिए स्थानीय बाजारों में उपलब्ध चद्दरों का भी उपयोग करने लगे है।

बैठने के लिए छिन्द पत्तों से स्वनिर्मित ''सरकी (चटाई)'' का उपयोग करते है। पुरूष वर्ग प्लास्टिक के चप्पल या जूते व महिलायें सेंडल, चप्पल आदि पहनते है।

2.7 साज श्रृंगार एवं आभूषण

पारधी समुदाय की महिलायें स्नान उपरांत शरीर एवं बालों में उपलब्धतानुसार तेल, नारियल तेल आदि लगाती है। बालों में कंघी कर रंगीन फीता या रबर से बांधती है। कान के ऊपरी भाग में बालों में चिपकन लगाती है। श्रृंगार में माथें में बिंदिया, आखों में काजल व सुहागन के परिचायक स्वरूप रंग–बिरंगी चुड़िया, गले में मंगलसूत्र एवं माथे में सिंदूर लगाती है। पैरों में पैयरी (पायल) पहनती है। संक्षेप में समुदाय की महिलाओं द्वारा श्रृंगार में उपयोग किये जाने वाले आभूषण निम्नलिखित तालिका में दर्शित हैः–

तालिका क्रमांक 04

पारधी जनजाति में साज–श्रृंगार के आभूषण का वितरण

क्रं.	आभूषण का नाम	पहनने का अंग	निर्मित धातु
1	सूता	गला	चांदी/गिलट
2	रूपया माला	गला	चांदी/गिलट
3	पहुंची	बांह	चांदी/गिलट
4	ककनी	कलाई	चांदी/गिलट
5	मुंदरी	हाथ की ऊंगली	चांदी/गिलट
6	नथली	नाक	सोना
7	फूली	नाक	सोना
8	बारी	कान	सोना/चांदी
9	लच्छा	पैर	चांदी/गिलट
10	ऐढ़ी	हाथ	चांदी
11	खुंटी	कान	सोना
12	बिछियां	पैर की ऊंगली	चांदी
13	सांटी	पैर	चांदी/गिलट
14	करधन	कमर	चांदी/गिलट
15	ताबीज	गला	तांबे

उपरोक्त आभूषण स्थानीय हाट–बाजार अथवा फेरीवाले आदि से क्रय किया जाता है।

इस समुदाय की विधवा महिलायें हाथों में कनकी एवं कलाई में चांदी या गिलट की बनी चुड़ी पहनती है। अविवाहित बालिकाएं गले में चैन, कान में ढ़ार या बारी एवं पैरों मे पायल आदि पहनती है। पुरूष वर्ग गले में तांबे का ताबीज, कान में चांदी की बारी एवं हाथ में चांदी या तांबे का कड़ा पहनते है।

2.8 गोदना

आदिवासी लोक संस्कृति में गोदना एक महत्वपूर्ण प्राचीन लोक कला है, जो इनमें शारीरिक सौन्दर्य वृद्धि का परम्परागत साधन है। गोदना कई सुईयों के गुच्छे एवं एक विशेष प्रकार के जंगली फल ''रीढ़ा'' की सहायता से शरीर के विभिन्न अंगो पर गोदा जाने वाला स्थायी आकृति या चिन्ह है, जो जीवन पर्यन्त तक बना रहता है। गोदना गुदने का कार्य देवार जाति की पेशेवर महिलायें करती है।

पारधी समुदाय गोदना को पक्का एवं स्थायी श्रृंगार मानते है। इनमें मान्यता है कि मृत्यु उपरांत मनुष्य के साथ कुछ नही जाता केवल गोदना ही शरीर के साथ मिल जाता है, अर्थात मृत्यु तक साथ देता है। पारधी महिलाएं बांह, जांघ, कोहनी, हाथ की ऊंगली आदि में फूल–पत्ते एवं अन्य आरेखों के रूप में गोदना गुदवाती है। ''गोदराहिन'' सुई और रंगों के माध्यम से गोदना गोदती है। जिसमें बहुत पीड़ा सहन करना पड़ता है। महिलाएं कम से कम माथा एवं ढ़ोढ़ी में निश्चित रूप से गोदना गुदवाते है। गोदना गुदवाने के लिए स्थानीय देवारिनों को चावल अथवा 50–100 रू तक मेहताना देते है।

2.9 घरेलू–उपकरण

पारधी जनजाति अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखकर वस्तुओं का उपयोग करता है, जो उनके दैनिक क्रियाकलापों को संपादित करने हेतु आवश्यक होते है। वर्तमान में स्टील एवं ऐल्युमिनियम के बर्तन का प्रचलन बढ़ते जा रहा है। इस समुदाय में निम्नलिखित घरेलू उपकरण देखने को मिलता हैः–

तालिका क्रमांक 05
पारधी जनजाति के घरेलू उपकरण

क्रं.	घरेलू उपकरण	निर्माण सामग्री	क्रय/निर्माण स्थान	उपयोग
1	डेचकी	ऐल्युमिनियम	स्थानीय बाजार	दाल/भात बनाने में
2	गंजी	स्टील	स्थानीय बाजार	दाल/भात बनाने में
3	बंगा	ऐल्युमिनियम	स्थानीय बाजार	दाल/भात बनाने में
4	कडाही	लोहा/सिल्वर	स्थानीय बाजार	सब्जी बनाने में
5	तवा	लेहा	बाजार/लोहार	रोटी बनाने में
6	डेचकी/डोभा	कांसा/स्टील	स्थानीय बाजार	बासी खाने के लिए
7	डुवा	स्टील	स्थानीय बाजार	भात/सब्जी निकालने में
8	करछुल	स्टील	सीनीय बाजार	रोटी पलटाने में
9	लोटा	कांसा/स्टील	स्थानीय बाजार	पानी पीने में
10	गिलास	कांसा/स्टील	स्थानीय बाजार	पानी पीने में
11	थाली	कांसा/स्टील	स्थानीय बाजार	भात खाने में
12	कटोरी/माली	कांसा/स्टील	स्थानीय बाजार	सब्जी खाने में
13	हडुला	कांसा/स्टील	स्थानीय बाजार	पानी रखने/भरने
14	बाल्टी	लोहा	स्थानीय बाजार	**पानी** भरने/रखने
15	परात	पीतल	स्थानीय बाजार	मेहमानों के पैर धोने के लिए
16	करसी/मटका	मिट्टी	कुम्हार/बाजार	ठंडा पानी के लिए
17	झारा	पीतल/लोहा	स्थानीय बाजार	भात खोने/निकालने में
18	पीढ़ा	लकड़ी	बढ़ई	बैढ़ने के लिए
19	झऊहा	बांस	स्थानीय बाजार	**सब्जी** रखने हेतु
20	सुपा	बांस	स्थानीय बाजार	अनाज साफ करने के लिए

2.10 कृषि उपकरण

पारधी जनजाति वर्तमान में कृषि, कृषि मजदूरी का भी काम करती है, जिसके लिए उन्हें कुछ कृषि उपकरणों की आवश्यकता होती है। कृषि उपयोग में लाये जाने वाले उपकरण निम्नलिखित है:–

तालिका क्रमांक –06
पारधी जनजाति के कृषि उपकरण

क्रं.	कृषि उपकरण	निर्मित वस्तु	निर्माण / उपलब्धता	उपयोग
1	नागर	लोहा / लकड़ी	स्वनिर्मित	भुमि जोतने
2	जुड़ा	लकड़ी	स्वनिर्मित	बैलों को हांकने
3	पाटा	लकड़ी	स्वनिर्मित	खेत समतल
4	रापा(फावड़ा)	लोहा / लकड़ी	बजार	मिट्टी खोदने
5	गैति	लोहा / लकड़ी	बाजार	मिट्टी खोदने
6	कुदाल	लोहा / लकड़ी	बाजार	फसल खोदने
7	सब्बल	लोहा	बाजार	गहरी खुदाई
8	हसिया	लोहा / लकड़ी	लोहार	फसल काटने
9	कांवर	बांस / रस्सी	स्वनिर्मित	सामान ढ़ोने
10	टोकरी	बांस	बाजार	अनाज रखने
11	कलारी	लोहा / बांस	लोहार	मिंजाई में उपयोग
12	टंगिया	लोहा / बांस	लोहार	काटने हेतु
13	दौरी	रस्सी	स्वनिर्मित	बैलों को हांकने में

2.11 शिकार के उपकरण

पारधी समुदाय का परम्परागत व्यवसाय शिकार कर उसको विक्रय करके अपना जीवकोपार्जन करना होता था। पूर्व में यह समुदाय तीतर, बटेर, बाज,फाख्ता, जंगली मुर्गा, वराह, खरगोश आदि पशु–पक्षियों का शिकार करते थे। जिसके लिए निम्नलिखित जाल एवं फंदे का उपयोग करते थे :–

तालिका क्रमांक –07
पारधी जनजाति में शिकार के उपकरण

क्रं.	उपकरण	निर्माण सामग्री	उपयोग
1	मरासी	तांत, बैलसिंग, सिंगन, चटाई	गठला, अठवाला, छोरा, बिलाव, लोमड़ी, खरगोश आदि पशु–पक्षियो के लिए
2	ततलो	सिंगन, बांस की खुंटी	हिरण, खरगोश आदि जानवर के लिए
3	पिसिया	तांत, बांस की खुंटी	अठवाला(खल्लारी कोकड़ा के लिए)
4	मंगरी	बांस एवं तांत	लावड़ु,बटेरी, घाघर आदि
5	खन्धारू	बांस एवं तांत	तीतर के लिए
6	पड़की पीसिया	कांके कांटा, तांत	पड़की, कबुतर के लिए
7	ताल झीटि	तांत, बांस की खुंटी	भादरा, हरील,बटेरी आदि के लिए
8	फिटको	तार, तांत रस्सी	कानी बगुला के लिए
9	कोचासी	तांत	घनफोडिया, कलारी कोकड़ा के लिए
10	पड़ा	बांस, कपड़ा	पक्षियों के लिए
11	खारिया	कपड़ा	पक्षियों को पकड़कर रखने के लिए
12	मिसला	बकरा का छाल	हिरण आदि जानवर का पकड़कर रखने के लिए

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पारधी समुदाय पूर्व में विभिन्न पशु–पक्षियों के शिकार के लिए विभिन्न प्रकार के जाल एवं फंदे का उपयोग करते थे। शिकार के लिए केवल पुरूष वर्ग ही जाते थे। जंगली क्षेत्रों में तीतर, बटेर, हिरण, बाज, खरगोश, बिलाव, लोमड़ी, हरील, जंगली मुर्गा आदि पशु–पक्षियों को स्वयं के द्वारा निर्मित जाल एवं फंदे से पकड़ते है। इनके जाल और फंदों का वर्णन संक्षेप में निम्नलिखित हैः–

1. मरासी:

यह फंदा नायलोन के मजबूत धागे का बना होता है, जिसमें लगभग 30–40 बांस की कड़िया थोड़ी–थोड़ी दूरी पर लगी होती है, जिन्हें एक दूसरे के साथ ऐसा जोड़ा जाता है कि दूर तक फंदा को फैलाया जा सके। यह फंदा बड़े जीवों जैसे– बदक, गठला, खरगोश, अठवाला, घोरा, बिलाव, लोमड़ी आदि जानवरों को फंसाने के लिए उपयुक्त होता है। जानवर पकड़ में आने पर उसे 'मिसला' में सुरक्षित रखा जाता है।

2. ततलो :

बड़े जानवरों एवं पक्षियों के शिकार के लिए ततलो फंदा का उपयोग किया जाता है। गिद्ध, बगुला जैसे पक्षियों के नस निकालकर उससे तांत (तार) बनाकर जाल को बनाया जाता है। इस फंदे के द्वारा हिरण, वराह, खरगोश, लोमड़ी आदि का शिकार किया जाता है। जैसे ही शिकार फंदे में अपने आप को छुड़ाने के लिए तांत को चबाता या काटता है, लेकिन फंदा गीला होने के कारण टुटता नहीं है।

3. पिसिया:

यह फंदा बांस की खुंटी पर तांत को बांध कर बनाया जाता है। किसी भी जगह पर जहॉ पक्षियॉ आकर दाना चुगती है। ऐसी स्थान पर बांस की खुंटियों को गाड़ कर उसमें तांत की जाल लगा दी जाती है। इसमें अठवाला, सारस आदि पक्षियों को फंसाया जाता था।

4. मंगरी:

यह फंदा लगभग 5–7 कड़ियों का बना होता है। यह कड़ियॉ बांस की खपन्च की गोलाई लिए होती है। सबसे आगे की कड़ी का गोलाकार बड़ा होता है और बाद की कड़ियॉ का आकार छोटा होता जाता है। और सबसे अंतिम कड़ी का आकार छोटा गोलाकार होता है। प्रारंभ से अन्त तक प्रत्येक कड़ी धागे के जाल के अन्दर रहती है। इसके अंदर आया पक्षी जाल के बाहर नही निकल पाता है। इस फंदे के द्वारा बटेर, तीतर, लावडू आदि पक्षियों का शिकार किया जाता है।

5. खंधारू:

यह फंदा विशेष रूप से तीतर पकड़ने के लिए होता है। इस फंदे में करीब 40–50 बांस की कड़ी बनायी जाती है, जो 5–6 खण्ड में बंटा रहता है। प्रत्येक खण्ड में नायलोन के धागे का फंदा बनाकर लगाया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक खण्ड में 5 से 6 फंदे बने रहते है। इसकी अंतिम कड़ी में फंदे का चौकोर खांचा नही होता मात्र लम्बी–लम्बी बांस की खपन्चों से एक खांचा बनाया जाता है। जो सम्पूर्ण फंदे को सुरक्षित रखने के लिए ढ़क्कन का कार्य करता है।

6. पड़की पीसिया:

यह फंदा पिसिया फंदा का ही एक रूप है, जिसे कांके काटा एवं ताल से बनाया जाता है। यह फंदा विशेष रूप से पड़की (कबूतर की एक प्रजाति) को फंसाने के लिए बनाया जाता है।

7. ताल झीटी:

इसे तांत और बांस की खुंटी से बनाया जाता है। इस फंदा से भादरा पक्षी का विशेष रूप से शिकार किया जाता था।

8. फिटको:

यह एक प्रकार का जाल होता है, जिसे तार एवं तांत रस्सी से बनाया जाता है। इसमें कानी—बगुला पक्षी आदि को फंसाया जाता है।

9. कोचासी:

यह तांत का बना होता है। जिसके द्वारा कलारी कोकड़ा (सारस) एवं घनफोड़िया पक्षी को फंसाया जाता है।

10. पड़ा:

यह बांस एवं कपड़ा का बना होता है। इसका उपयोग भी पक्षियों को फंसाने के लिए किया जाता था।

2.12 वाद्य यंत्र

पारधी समुदाय का मुख्य वाद्ययंत्र ''डाहंक'' कहलाता है, जो कि डमरू के आकार का होता है। परन्तु यह आकार में डमरू से बड़ा होता है। इसे पैर से रस्सी के सहारे बांधकर बजाया जाता है। वर्तमान में आधुनिक वाद्ययंत्रों जैसे ढ़ोलक, मंजीरा, हारमोनियम, डफली आदि का उपयोग करने लगे है।

2.13 आधुनिक उपकरण

आधुनिक परिवेश में इस समुदाय के लोग वर्तमान में प्रचलित वस्तुओं/उपकरणों का उपयोग भी करने लगे है। इस समुदाय के अधिकांश घरों में मोबाइल, टीव्ही, रेडियो, सायकल, मोटर सायकल, पंखा, कुलर एवं प्लास्टिक की कुर्सिया आदि सहज ही देखे जा सकते है।

2.14 आवागमन के साधन

पारधी जनजाति वर्तमान में बड़े ग्रामों, कस्बो के आसपास निवासरत है। इसलिए दैनिक आवश्यक उपयोग की वस्तुओं की पूर्ति स्थानीय हाट—बाजार में करना आसान होता है। अधिकतर परिवारों के पास सायकल, मोटर सायकल है। अधिक दूरी का यात्रा करने के लिए उपलब्धतानुसार ट्रेन, बस, टैक्सी, मोटर सायकल आदि का उपयोग करते है।

2.15 भोजन

पारधी समुदाय के भोजन में चावल, दाल एवं मौसमी सब्जियॉ मुख्य है। चावल से बना भात, रोटी एवं बासी आदि को बड़े चाव के साथ खाते है।

बच्चे दो या दो अधिक बार भोजन करते है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार दाल व सब्जियों का नियमित सेवन नहीं करते है। इन परिवारों में सब्जियों को रसदार बनाकर या टमाटर, लहसुन, मिर्च एवं नमक आदि की चटनी बनाकर भोजन के साथ खाते है।

इस समुदाय में मांसाहार नियमित नही किया जाता है, लेकिन अतिथि आगमन, त्यौहारों, विशेष अवसरों एवं साप्ताहिक हाट–बाजार के दिन मांस का सेवन करते है।

भोजन बनाने की विधिः

भातः भात बनाने के लिए सर्वप्रथम पात्र में आवश्यकतानुसार पानी उबालते है, जिसे ''अंधना'' आना कहते है। अंधना आने पर चावल को धोकर उबलते पानी में डाल देते है, तथा थोड़ी देर पकने देते है। कुछ समय पश्चात् बीच–बीच में चम्मच चलाकर देखते रहते है। जब चावल पकने की स्थिति में आ जाता है, तब उसे ढककर अन्य बर्तन में उसके माड़ को निकाल दिया जाता है। तत्पश्चात् कुछ देर तक इसे हल्की आंच में रखा जाता है। ताकि बाकी बचे माड़ को चावल सोख ले। इस प्रकार चावल पककर भात बन जाता है।

सब्जीः पारधी जनजाति में प्रायः घर की बाड़ी की मौसमी सब्जियॉ अथवा हाट–बाजार से प्राप्त सब्जियों का सेवन किया जाता है। सब्जियों को काटकर अच्छे से धो लिया जाता है, और कढ़ाई में आवश्यकतानुसार तेल फोरन डालकर पकाया जाता है। कुछ देर पकने के पश्चात् उसमें हल्दी, नमक, मिर्च, मसाला आदि डाला जाता है। कुछ देर में सब्जी पककर तैयार हो जाती है प्रायः दाल न बनने की स्थिति में सब्जियों को रस्सेदार बनाया जाता है।

मांसाहार सब्जीः बकरा/मुर्गा आदि को इच्छानुसार टुकड़ों में काटकर पहले हल्के आंच में तेल से तल लिया जाता है। मांस को तलने के पश्चात् उसको अलग पात्र में रख दिया जाता है। फिर कढ़ाई में आवश्यकतानुसार तेल डालकर प्याज, मिर्च, हल्दी एवं मसाला आदि का ग्रेवी (मसाला) तैयार कर लिया जाता है। मसाला तैयार होने पर तले हुए मांस को डालकर पकने दिया जाता है। इस समुदाय की महिलायें खाना पकाने के बाद सर्वप्रथम सभी खाने का थोड़ा भाग अग्निदेव को भोग लगाते हैं भोग लगाने के पश्चात् ही परिवार के सदस्यों को भोजन कराया जाता है। खाना बनाने वाली घर की महिलायें परिवार के सदस्यों को भोजन कराने के पश्चात् भोजन करती है।

2.16 मद्यपान

प्रायः पारधी जनजाति के सभी महिला–पुरूष मद्यपान करते है। वे स्वयं महुआ से ''कच्ची शराब'' बनाते है, जिसे दारू या मंद कहा जाता है। या आसपास उपलब्ध शराब का क्रय कर सेवन किया जाता है। त्यौहारों,उत्सवों एवं मेहमान नवाजी आदि अवसरों पर शराब का सेवन अधिक किया जाता है।

शराब (दारू / मंद) बनाने की परम्परागत विधि

सर्वप्रथम सुखे हुए महुंआ फुल को लगभग 2 दिनों तक हण्डी में भिगोकर रख दिया जाता है। भीगे हुए महुंआ एवं उसके बराबर पानी को एक बड़े पात्र में डाल दिया जाता है। इस पात्र को ऊपर से एक पारदर्शी कपड़े से बांध दिया जाता है। और उसके ऊपर एक छोटा पात्र रख दिया जाता है। इसके बाद एक अन्य पात्र को ढक्कन के रूप में उल्टाकर उसके ऊपर रख दिया जाता है। और महुंआ युक्त हाड़ी को नीचे से आग का अलाप (ताप) दिया जाता है।

जैसे–जैसे बड़े पात्र का महुंआ उबलता है, तो उससे निकलने वाली भाप पारदर्शी कपड़े से निकलकर ऊपर ढकी पात्र के कारण ठंडी होकर छोटी पात्र में एकत्रित होती रहती है। जिसे बीच–बीच में बाहर निकालकर बोतल या अन्य पात्र में रखा जाता है। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है, और प्राप्त पेय को ठंडा होने दिया जाता है। जिसे स्थानीय बोली में मंद / दारू कहते है। उपभोग के लिए जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, उसे निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिलाकर सेवन किया जाता है।

तम्बाकू / गुड़ाखू का सेवन

पारधी समुदाय में अधिकांश सदस्य तम्बाकू की पत्ती को चूना से रगड़कर चबाते है। वृद्ध पुरूष तम्बाकू को तेन्दूपत्ता में लपेटकर बीड़ी के रूप में धुम्रपान करते है। वही गुड़ाखू का प्रचलन महिला एवं पुरूष दोनों में पाया जाता है।

दूध / मिठाईयॉ

पारधी समुदाय के लोग दूध का सेवन घर में उपलब्धतानुसार चाय आदि बनाने में किया जाता है। इस जनजाति में मिठाई का उपभोग बहुत कम मात्रा में किया जाता है। विशेषकर त्यौहारों, हाट–बाजार के दिन अथवा विशेष अवसरों पर ही खाया जाता है।

अध्याय – 03

जीवन–संस्कार

सभी समाजों में जीवन–चक्र के समस्त संस्कार एक पूर्व निश्चित नियम के अन्तर्गत कुछ अनुष्ठानों को पूर्ण करना पड़ता है। परिवार की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में असमानता के कारण आयोजन के स्वरूप में विविधता दिखाई देती है। किन्तु प्रत्येक समाज में कुछ मूलभूत नियमों का पालन अवश्य किया जाता है। जिन्हें समाज में जीवन संस्कार के नाम से जाना जाता है। पारधी जनजाति के जीवन–चक्र में भी मुख्य रूप से तीन संस्कारों यथा–जन्म, विवाह एवं मृत्यु संस्कार होते है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

3.1 जन्म संस्कार

पारधी जनजाति के जन्म संस्कार को समझने के लिए निम्न बिन्दुओं का चरणबद्व उल्लेख किया जाना आवश्यक हैः–

1. ऋतुकाल : पारधी जनजाति में जब किशोरी कन्या युवावस्था की ओर प्रवेश कर रही होती है, तब प्रथम मासिक चक्र आने पर उसे विवाह योग्य मान लिया जाता है। प्रथम मासिक चक्र उसे माता या अन्य सहेलियों के द्वारा स्वाभाविक प्राकृतिक प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया जाता है। तथा इस दौरान उसे कुछ सामाजिक निषेधों का पालन करना आवश्यक होता है, जैसे– रसोई कक्ष में प्रवेश, खाना बनाना, पूजा–अर्चना करना आदि निषेध होता है। रजस्वला के लगभग 4 या 5 वें दिन साबून, मिट्टी आदि से नहा–धोकर स्नान के पश्चात् शुद्ध होना माना जाता है।

2. गर्भावस्थाः विवाहित महिलाओं में मासिक–चक्र का रूकना गर्भावस्था का सूचक माना जाता है। इस जनजाति में गर्भ निरोधक संबंधी किसी भी प्रकार का आधुनिक या पारंपरिक तरीका बहुत कम मात्रा में अपनाया जाता है। संतान उत्पन्न होना ईश्वर की इच्छा माना जाता है, और परिवार के वंश को बढ़ाने की प्रक्रिया समझा जाता है। गर्भाधारण के लगभग 6 माह पश्चात् महिलायें घर से बाहर काम करना छोड़ देती है। इस दौरान वह किसी प्रकार के विशेष आहार नही लेती है। घर में उपलब्धता अनुसार ही भोजन ग्रहण करती है।

समुदाय में गर्भावस्था के दौरान स्त्री गर्भ में पल रहे शिशु के लिए कुल देवी–देवता के समक्ष शिशु की रक्षा व सुरक्षित प्रसव की कामना करती है। गर्भावस्था के दौरान कुछ विशेष सामाजिक निषेधों का पालन करना पड़ता है, जैसेः– चंद्रगहण या सूर्यग्रहण के समय बाहर निकलना या देखना, जीव हत्या करना, भूत–प्रेत निवासित स्थानों में जाना निषेध होता है।

निःसंतान होने की स्थिति में घर के देवी–देवताओं की पूजा–अर्चना एवं मनौती (वरदान) मांगते है। संतान न होने के कारणों का पता लगाने के लिए ''काड़ी बिचारते'' अथवा ''गेहूॅ गिनने'' की प्रक्रिया अपनायी जाती है एवं संबंधित कारणों का पता लगाकर उपचार कराया जाता है।

3.प्रसवः– पूर्व में पारधी जनजाति में ''जचकी''(प्रसव) घर से बाहर मैदान अथवा खेतों में मचान अथवा झोपड़ी आदि में कराया जाता था। नवजात शिशु का नाल खपरैल या बांस की पतली धारदार कमची से काटा जाता था। छुआछूत और अशुद्धि के कारण प्रसूता को लगभग 5 दिन या छठी दिन तक घर के बाहर ही रखा जाता है। प्रसूता के पास केवल महिलायें ही जा सकती है। इनमें कटे हुए नाल को घर के बाहर ही गाड़ने की परम्परा है। प्रसूता को इन दिनों तक मिट्टी के बने पात्र डुमनी (पराई) में खाना दिया जाता है। जिसे खाना खाने के बाद फेंक दिया जाता था। छठी पूर्व तक जच्चा एवं बच्चा दोनों को अशुद्ध माना जाता है।

वर्तमान में प्रसव घर में ही अलग से कमरे में कराया जाता है। प्रसव के लिए ''सुईन'' (दाई) को बुलाया जाता है। नाल काटने के लिए नया ब्लेड़ का उपयोग करते है। आधुनिक परिवेश में अधिकांश परिवार शासन के योजनान्तर्गत अब प्रसव अस्पताल में कराया जाने लगा है।

4. छठी :– पारधी समुदाय में शिशु जन्म के पांचवे दिन या नाल सुखकर गिर जाने पर छठी संस्कार मनाया जाता है। इस दिन जच्चा–बच्चा को घर लाया जाता है। घर की शुद्धि के लिए दारू (शराब) का छिड़काव सभी कक्षों, बरामदा एवं आंगन आदि में किया जाता है। घर आंगन में गोबर से लिपाई–पोताई की जाती है। इस दिन प्रसूता एवं नवजात शिशु को सुईन तेल–हल्दी का लेप लगाकर स्नान कराती है, और नये कपड़े पहनाये जाते है। मॉ को घर की महिलाएं देवी–देवताओं के समक्ष बाल को खुला रखकर आटे से चौक लगे स्थान पर बैठाते है।

और नवजात शिशु का मुंडन होने के बाद शिशु को भी देवी–देवताओं के समक्ष लिटा दिया जाता है। उन पर शराब का छिड़काव कर शुद्धिकरण किया जाता है। उसी स्थान पर एक लोटा पानी रखा जाता है। जिसके मध्य में कोयले से काला किया गया चावल एवं पीला चावल की ढ़ेरी बनाकर रख दी जाती है। इस प्रकार काले एवं पीले चावल का एक–एक भाग रखकर दोनों के बीच कलश रखा जाता है। सोठ, पीपल एवं गुड की बनी सात गोलियॉ भी बनायी जाती है, साथ ही तीन–तीन छोटी गोलियॉ एवं एक बड़ी भी रखा जाता है। चौक पर बैठी मॉ अपने बालों को झूलाती है। तथा नवजात शिशु को इस प्रकार से लिटाया जाता है, कि झुकने पर उसके सीना बच्चे के मुंह में आये। तब मॉ झुकते हुए तीन बार एक तरफ तथा चार बार दूसरी तरफ अपने बालों को झुलाते हुए स्तन से दूध टपकाती है। और बडी गोली को उठाकर खा जाती है। फिर शराब से तर्पण किया जाता है। तत्पश्चात् बच्चे को उठा लिया जाता है। शेष बचे शराब को साथ ही नारियल का प्रसाद एवं धुड़ी आदि को वहां उपस्थित सभी महिलाओं में बांट दिया जाता है। तत्पश्चात् आमंत्रित सभी संगे–संबंधियों को शराब पीलाकर सामूहिक भोज कराया जाता है। भोज पश्चात् नवजात शिशु को सभी रिश्तेदार भेट स्वरूप कुछ उपहार या नगद आदि दिया जाता है। इस प्रकार छठी की रस्म पूर्ण होती है। छठी के अवसर पर नाचगान कराकर खुशियॉ मनाई जाती है।

5. मुण्डनः– छठी संस्कार के दिन ही नवजात शिशु का ''मुण्डन'' संस्कार सम्पन्न कराया जाता है। छठी के दिन नाई एवं धोबी को बुलाया जाता है। नाई द्वारा नवजात शिशु के बाल उतारे जाते है। उसके बाद ही पूजा स्थान में शिशु को लेकर जाते है। जबकि बच्चे के कपड़े आदि को धोबी को धोने दे दिया जाता है। मुण्डन के पश्चात् ही नामकरण की प्रक्रिया शुरू होती है।

6. नामकरण :– इस समुदाय में नवजात शिशु का नामकरण छठी के दिन एवं मुण्डन के पश्चात् होता है। बच्चे का नाम मुखिया या समुदाय के बड़े– बुजुर्ग करते है। पूर्व में शिशु का नाम प्रायः दिन, माह अथवा ऋतु आदि के आधार पर रखा जाता था। कुछ परिवारों में ब्राम्हण से पंचाग दिखाकर भी नामकरण किया जाने लगा है। वर्तमान परिदृश्य में अन्य समाज के प्रभाव एवं फिल्मों के नायक–नायिकाओं के नाम पर भी रखा जाने लगा है जैसे– किरन, रेखा, पूजा, राहूल, रोहन आदि।

3.2 विवाह–संस्कार:

पारधी जनजाति के जीवन चक्र का दूसरा महत्वपूर्ण संस्कार ''विवाह'' है। विवाह नामक संस्था का मुख्य उद्देश्य स्त्री और पुरूष के संबंधों को नियमित करना तथा संतानो के लालन–पालन व अन्य सामाजिक कार्य में योगदान देना होता है। विवाह से नव विवाहित युगल पारिवारिक क्रियाकलापों को प्रारंभ करते है। यह समुदाय गोत्र बर्हिविवाही समुदाय है। एक ही गोत्र में विवाह वर्जित होता है, क्योंकि एक गोत्र के समस्त सदस्य आपस में एक पूर्वज के संतान अर्थात भाई–बहन माने जाते है। सर्वेक्षित पारधी परिवारों में वैवाहिक स्थिति निम्नानुसार पायी गई है:–

तालिका क्रमांक–08

सर्वेक्षित परिवारों में वैवाहिक स्थिति का वितरण

क्र.	वैवाहिक स्थिति	सदस्य संख्या					
		पुरूष		महिला		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिश त
1	अविवाहित	128	48.48	99	41.42	227	45.13
2	विवाहित	125	47.35	126	52.72	251	49.90
3	विधवा / विधुर / परित्यक्ता	11	04.17	14	05.86	25	04.97
योग		264	100.00	239	100.00	503	100.00

उपरोक्त तालिका अनुसार कुल सर्वेक्षित जनसंख्या में से 45.13 प्रतिशत व्यक्ति अविवाहित, 49.90 प्रतिशत विवाहित पाये गये। वहीं 04.97 प्रतिशत व्यक्ति विधवा, विधुर एवं परित्यक्ता की श्रेणी के पाये गये।

1.वैवाहिक आयु:

पारधी जनजाति में युवक / युवतियों के विवाह अपने–अपने दैनिक कार्यो में निपुण हो जाने एवं एक निश्चित आयु पूर्ण होने पर किया जाता है। लड़कों का विवाह 20–25 वर्ष में एवं लड़कियों का विवाह 17–21 वर्ष में किया जाता है। पूर्व में पारधी समाज बालक / बालिकाओं की अल्पायु में विवाह करने की प्रथा प्रचलित थी। उस समय बालक का विवाह 16–21 आयु में एवं बालिका का विवाह 14–18 वर्ष में ही कर दिया जाता था।

2. विवाह हेतु वरियता :

पारधी जनजाति में विवाह हेतु ममेरे–फूफेरे विवाह को अधिमान्यता प्राप्त है। इनमें एक व्यक्ति अपने पुत्र या पुत्री का विवाह उनके मामा या फूफा के परिवार को प्राथमिकता देता है अर्थात अपने संतान के विवाह हेतु एक व्यक्ति अपने ससुराल/साला/बहनोई के परिवार को प्राथमिकता देता है। और ऐसा विवाह सामाजिक रूप से अच्छा माना जाता है, क्योकि दोनो वैवाहिक पक्ष पूर्व परिचित या रिश्तेदार होते है और उनके परिवारिक माहौल से भली–भांति परिचित होते है। जिससे संतान के वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होने का पूर्ण विश्वास होता है।

3. वैवाहिक दूरीः

पारधी जनजाति की अधिकांश जनसंख्या राज्य के विभिन्न जिलों में फैला हुआ है, और एक जिले से दूसरे जिले में इनके संगे–संबंधी निवासरत है। साथ ही आवागमन के साधन उपलब्ध होने के कारण अनेक परिवारों में वैवाहिक दूरी भी अधिक पायी जाती है। सर्वेक्षित परिवारों में बने वैवाहिक संबंध में पाये जाने वाले वैवाहिक दूरी का विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शित हैः–

तालिका क्रमांक–09

पारधी जनजाति में वैवाहिक दूरी का विवरण

क्र.	वैवाहिक दूरी	संख्या	प्रतिशत
1	0 कि.मी. (ग्राम में)	18	11.92
2	1–10 कि.मी.	34	22.52
3	11–20 कि.मी.	59	39.07
4	21–30 कि.मी.	25	16.56
5	30 कि.मी. से अधिक	15	09.93
कुल वैवाहिक संबंध		151	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित 120 परिवारों में 11.92 प्रतिशत व्यक्तियों का विवाह स्वयं के ग्राम में ही हुआ है। 22.52 प्रतिशत व्यक्तियों की वैवाहिक दूरी 1–10 कि.मी. के मध्य, 39.07 प्रतिशत व्यक्तियो की वैवाहिक दूरी 11–20 कि.मी. के मध्य, 16.56 प्रतिशत व्यक्तियों के वैवाहिक दूरी 21–30 कि.मी. के मध्य एवं 09.93 प्रतिशत व्यक्तियों के वैवाहिक दूरी 30 कि.मी. से अधिक में होना पाया गया।

4. वैवाहिक प्रस्तावः

पारधी जनजाति में शादी का प्रस्ताव वर पक्ष की तरफ से पहल की जाती है। वर पक्ष के बुजुर्ग सदस्य विवाह योग्य लड़की के घर जाकर विवाह प्रस्ताव के प्रतिकात्मक स्वरूप में बीड़ी का तम्बाकू की मांग करते है। लड़की पक्ष वाले को यदि रिश्ता पसंद आता है तो उनके द्वारा प्रस्तावित बीड़ी के तम्बाकू को स्वीकार कर लिया जाता है। फिर बीड़ी तम्बाकू को पीते–पीलाते हुए आगे की बातचीत की जाती है। गुड़, नारियल आदि मंगाकर वैवाहिक बंधन की पुष्टि के रूप में नारियल फोड़ते है। और लड़की को नेंग (शादी लगने) के रूप में कुछ रूपये दिया जाता है। वहॉ उपस्थित लोगों में नारियल–गुड़ का प्रसाद बांटते है। रिश्ता पक्का होने पर सगाई की तिथि भी तय कर ली जाती है, और सभी को शराब पीलाकर खाना खिलाकर बिदा कर दिया जाता है।

5. वधूमूल्य :

पारधी जनजाति में वधूमूल्य को ''मोटरा'' के नाम से जाना जाता है मोटरा कपड़े की गठरी होती है, जिसमें वधु के लिए सोने की फूली, मंगल–सुत्र, सात साड़ी, तेल–हल्दी, श्रृंगार समान एवं 100 रूपये नगद होता है। साथ ही 1 कुड़ा लाडू (110 नग) भी दिया जाता है।

मोटरा (वधूमूल्य) को सामाजिक रूप से नियमानुसार सगाई के दिन वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दिया जाता है।

6. सगाईः

पारधी जनजाति में सगाई को ''मोटरा छोड़ना'' (गठरी छोड़ना) कहते है। मोटरा में वर पक्ष वाले वधु के लिए साड़ी, पोलखा एवं श्रृंगार का सामान लेकर जाते है। जिसे वधु का बड़ा भाई कांसे की थाली में ग्रहण करता है। परिवार के महिलाओं को मोटरा छोड़ने एवं सामान देखने के लिए बुलाया जाता है। मोटरा के सामान से वधु श्रृंगार करती है। और मोटरा के बदले वर को धोती भेट करते है। वर एवं वधु उपस्थित बड़े–बुजुर्गो का पैर छूकर आशीर्वाद लेते है। उपस्थित लोग सगुन के रूप में वधु को कुछ रूपये भेंट करते है। वर पक्ष मोटरा के साथ–साथ शराब भी लेकर आये रहते है। जिसे सभी लोगों को पिलाया जाता है। और विवाह की तिथि निर्धारित कर भोजन करते हुए जश्न मनाते है।

विवाह कार्यक्रम :

पारधी जनजाति में विवाह 3 दिन का होता है। विवाह हेतु अपने सभी सगे–संबंधियों को निमंत्रण ''हल्दी गांठ'' के द्वारा दिया जाता है। विवाह के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती हैः–

1. चुलमाटीः

यह विवाह का प्रथम दिन होता है, जिसमें विवाह की शुरूवात चुलमाटी कार्यक्रम से होती है। वर पक्ष द्वारा दो पर्रा तथा मिट्टी की बनी चार ''कलासी'' (छोटी मटकी) वधु के घर भेजते है। चुलमाटी में वर या वधु की बुआ, फूफा, बड़ी दीदी, जीजा आदि को सुवासिन–सुवासा बनाने का सामाजिक नियम है। शाम के समय विवाह में शामिल सभी लोग बाजे–गाजे के साथ नाचते–गाते गांव के बाहर चुलमाटी के लिए एक नियत स्थान पर जाते है। वहाँ पहुँच कर मिट्टी का दिया जलाकर अगरबत्ती, धूप आदि से ग्राम देवता –ठाकुर देव की पूजा–अर्चना करते है। आटे और गोबर की बनी मुठिया (एक प्रकार की रोटी) अर्पित कर सुवासा सब्बल से मिट्टी खोदता है। और सुवासिन उस मिट्टी को अपने आंचल में पकड़ती है। तत्पश्चात् धरती माता पर ''चिला रोटी'' अथवा ''सोहारी रोटी'' चढ़ाते है। मिट्टी को लेकर पुनः नाचते–गाते वापस घर आते है। इस दिन वर व वधु को अपने–अपने घर पर ही तेल–हल्दी चढ़ाते है।

2. मड़वा :

विवाह का दूसरा दिन सुबह मंडवा (मंडप) तैयार किया जाता है, जिसके लिए सुवासा 'मंगरोहन' काटने के लिए जाते है। मंगरोहन मंडप तैयार करने की आवश्यक वस्तुयें होती है। काटकर वापस आने पर घर की महिलायें मंगरोहन परघाने लगते है। इसमें सुवासा और उसके साथियों को चावल, दाल एवं कुछ पैसा भेंट कर ''परघा''(स्वागत) करके साथ लाते है। मंडप में बांधने के लिए लकड़ी की पुतली बनाते है। तत्पश्चात् चुलमाटी से लाये हुए मिट्टी से दुल्हादेव का प्रतिलिपि बनाया जाता है। और महूंआ एवं जामुन की डाल से मंडप तैयार किया जाता है। मंडप के बीच में वेदी बनाकर उसमें लकड़ी की पुतली एवं दुल्हादेव को स्थापित किया जाता है और वेदी के चारो कोनों पर वर पक्ष द्वारा दिये कलसी को रखते है। ग्राम बैगा सुवासा–सुवासिन एवं अन्य महिलाओं के साथ ग्राम के देवतला में पूजा–अर्चना की जाती है। ग्राम के ठाकुर देव के साथ अन्य देवी–देवताओं को तेल–हल्दी चढ़ाया जाता हैं देवतला से वापस आकर वर या वधु को मंडप में चौक पुरकर 7 महिलाओं द्वारा बारी–बारी से सिर से पैर की ओर सात–सात बार तेल–हल्दी चढ़ाते है।

दोपहर को मायन का कार्यक्रम होता है, जिसमें सुवासा–सुवासिन सबसे पहले बूढ़ादेव को तेल–हल्दी चढ़ाते है, उसके बाद परिहास संबंधी रिश्तेदार आपस में एक दूसरे को तेल–हल्दी लगाते है। वर या वधु को गोद में उढ़ाकर नाच–गाना करते है। तत्पश्चात् रिश्तेदारों व ग्राम के सभी सगे–संबंधियों को खाना खिलाया जाता है।

मंडप में वर या वधु के मां, मामी, भाभी, चाची आदि मिलकर बिना वार्तालाप (मूक होकर) ''माय रोटी'' भूंजते है। जिसे घर के देवी–देवताओं की पूजा–अर्चना कर चढ़ाते है, और उपस्थित सभी लोगों को प्रसाद के रूप में बांटते है। शाम–रात तक एक दूसरे को हल्दी, रंग, गुलाल आदि लगाते हुए नांचते–गाते है।

3. बारात :

विवाह का तीसरा दिन शाम को लगभग 4–5 बजे बारात निकलती है। बारात पहुंचने पर बारातियों की ''परघनी'' (स्वागत) और समधी भेट होता है, इस समय सभी बाराती बाजे–गाजे के साथ नाचते–गाते है, कुछ लोग अपने कला–कौशल जैसे–लाठी चालना, दांतो के बल पर पानी भरा घड़ा उढ़ाना आदि जौहर दिखाते है। समधी भेट के समय वर–वधु के पिता एक दूसरे के सिर में पागा (पगड़ी) बांधकर एक–दूसरे के कान में दुर्वा घास रखकर गुलाल, पीला–चावल माथे पर लगाकर, नारियल का अदला–बदली करते है। तत्पश्चात् बारातियों को वधु घर के आसपास के मकान में डेरा (जनवासा) देते है। सभी बारातियों को स्वल्पाहार कराते है। इसके बाद ''बिजना पीटना'' का कार्यक्रम होता है, जिसमें वर वधु के द्वारी पर बांस क सहारे बंधे पर्रा को बिजना (बांस से निर्मित हाथ पंखा) से सात बार स्पर्श करता है। पुनः वर जनवासा में वापस आता है। इसी समय दुल्हा को लाल भाजी खिलाने की रस्म निभाई जाती है, जिसमें वधु पक्ष के सुवासिन अन्य महिलाओं के साथ औपचारिक तौर पर वर को दातून कराकर लालभाजी खिलाया जाता है। इसके बाद बारातियों का पैर पखारकर खाना खिलाया जाता है।

भोजन पश्चात् विवाह का कार्यक्रम शुरू होता है। विवाह की सभी रस्में सुवासा– सुवासिन द्वारा पूर्ण कराया जाते है। मंडप में वर–वधु को बैठाकर गठबंधन किया जाता है। फिर वर–वधु वेदी के चारों ओर सात ''भांवर'' (फेरे) लेते है। फेरे के समय वधु आगे और वर पीछे रहता है। फेरे के बाद वर वधु को मंगलसुत्र पहनाता है और सिंदूर का वंदन करता है। उसके बाद टिकावन होता है, जिसमें वधु के माता–पिता कांसे की थाली में दूध लेकर वर–वधु के पांव पखारते (पांव धोते) है, और उसे पीते है। वर–वधु के माथे पर पीला–चावल टिकते (टीका लगाते) है, तथा वर–वधु को एक नव दम्पत्ति मानते हुए उन्हें ''पचहर''(गृहस्थी के लिए पांच बर्तन) देकर आशीर्वाद देते है। इस प्रकार वधु पक्ष के सभी सगे–संबंधी पीला चावल का टीका लगाकर टीकावन (उपहार) देते है, और नई जिन्दगी के लिए शुभाशिष देते है। इसके बाद विवाह सम्पन्न माना जाता है।

4. बिदाई:

विवाह पश्चात् अगले सुबह नव दम्पत्ति को बिदाई दी जाती है। वधु का भाई दुल्हन को गुड़ पानी पिलाता है। मां, चाची आदि महिलायें वर–वधु के मौर सेंकते है। तत्पश्चात् बारातियों को बिदा कर दिया जाता है। बारात जब घर वापस आ जाती है, तो वर–वधु के घर में प्रवेश के पूर्व वर के माता, चाची आदि परघाते (स्वागत) है। वधु प्रवेश द्वार पर पानी से भरे गगरी (मटका) को घर तरफ उलेड़ कर घर में प्रवेश करती है। प्रवेश पश्चात् वर एवं वधु के बीच कौड़ी और सिक्के का खेल होता है, जिसमें एक बड़े बर्तन में पानी लेकर उसमें आलता घोल दिया जाता है। फिर उसमें कौड़ी और सिक्के को डालकर 3–3 बार वर और वधु को ढूढ़ने को कहा जाता है। जो अधिक बार ढूंढ कर निकालता है। उसे विजयी घोषित किया जाता है। इस खेल में वधु का विजयी होना शुभ माना जाता है।

विवाह में शामिल सभी सगे–संबंधियों को सामूहिक भोज के पश्चात् ''मुंह दिखाई'' की रस्म की जाती है, जिसमें सभी महिलायें आगन्तुक वधु को उपहार/नगद का सगून देकर उसका मुंह देखते है। तथा वधु बड़ों को प्रणाम कर आशीर्वाद लेती है।

5. चौथियाँ :

विवाह सम्पन्न होने के दूसरे दिन वधु पक्ष के सगे–संबंधी वर के घर ''चौथिया'' जाते है। चौथिया में अधिकतर महिलायें जाती है। वर पक्ष भी चौथिया में आये सभी का स्वागत सत्कार करते है। उनके हाथ पैर धुलाकर खाना खिलाते है, और शाम को वधु को लेकर वापस घर लौट आते है।

6. पठौनी :

निर्धारित तिथि को पति अपने पत्नी को लेने के लिए जाता है। जिसके साथ में सुवासा व अन्य सगे–संबंधी भी होते है। जिन्हें ''लेठवा'' कहते है। पत्नी के घर खूब स्वागत सत्कार होता है। दो–तीन तक खीला–पिलाकर ''सगा–बड़ाई'' करते है। फिर बेटी और दामाद को उपहार आदि देकर बिदा कर दिया जाता है। इस प्रकार पारधी जनजाति में एक नव दम्पत्ति अपने दाम्पत्य जीवन की शुरूवात करते है।

पारधी जनजाति में विवाह के प्रकार

पारधी जनजाति में निम्नलिखित विवाह को समुदाय की मान्यता प्राप्त है:–

1. ममेरे–फूफेरे विवाहः

पारधी जनजाति में यह विवाह सबसे ज्यादा प्रचलित है, इसमें वर या वधु हेतु अपने ममेरे–फूफेरे लड़के/लड़कियों को विवाह हेतु प्राथमिकता दी जाती है। अपने मामा या फूफा के घर में विवाह योग्य लड़का/लड़की न होने की स्थिति में अन्यत्र देखा जाता है।

2. पैठू विवाह :

पारधी जनजाति में जब कोई अविवाहित लड़की अपने ही समुदाय के किसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग करती है या पसंद करती है, तो वह प्रेमी या लड़के के घर जबरजस्ती घूस जाती है, और वहां रहने लगती है, तो दोनो परिवार के सदस्य मामले को जातीय पंचायत में निर्णय हेतु प्रस्तुत करते है। मामले की सुनवाई में लड़के को भी पूछा जाता है। यदि लड़के की सहमति हो तो जाति पंचायत दोनो को पति–पत्नी के रूप में सामाजिक मान्यता प्रदान कर दी जाती है।

3. उढ़रिया विवाह :

अपने ही समुदाय या किसी अन्य जनजातीय कन्या को भगाकर किये गये विवाह को उढ़रिया विवाह कहा जाता है। जब लड़का एवं लड़की एक दूसरे को पसंद करते है, और विवाह करना चाहते है, किन्तु विवाह के लिए उनके माता–पिता सहमत नही होते है, तो ऐसी स्थिति में दोनों भागकर विवाह कर लेते है। और कुछ दिनों पश्चात् वापस लौट आते है। दोनों परिवार के सदस्य मामलें को जातीय पंचायत में ले के जाते है। अपने ही समुदाय की लड़की के साथ विवाह हो तो तुरन्त सामाजिक मान्यता दे दी जाती है। किसी अन्य जनजातीय समुदाय की लड़की होने पर लड़के पक्ष को आर्थिक दण्ड वसुल कर समाज में मिला लिया जाता है। लेकिन अन्य समाज की लड़की हो तो दोनों को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है।

4. गुरावट विवाहः

पारधी जनजाति में गुरावट विवाह का प्रचलन भी पाया जाता है। इसमें एक परिवार के विवाह योग्य युवक/युवतियों का विवाह दूसरे परिवार के युवक/युवतियों के साथ विवाह किया जाता है। अर्थात एक परिवार का लड़का दूसरे परिवार के लड़की से तथा दूसरे परिवार के लड़के का विवाह पहले परिवार के लड़की से होता है। इस प्रकार के विवाह को ''गुरावट'' विवाह कहते है।

इसके अलावा भी पारधी जनजाति में जीजा– साली, देवर–भाभी, चुड़ी पहनाना, विधवा पुनर्विवाह को सामाजिक मान्यता प्राप्त है।

5. अन्तर्जातीय विवाह

इस समुदाय में अपने से बराबर या उच्च जाति (पानी अचरा जाति) जिनके साथ इनका सामाजिक खानपान का संबंध पाया जाता है। उनके साथ होने वाले वैवाहिक संबंध को सामाजिक रूप से मान्य कर लिया जाता है। अपने समकक्ष जनजातियों की लड़की के साथ विवाह करने पर समाज दंड स्वरूप ''सामूहिक भोज'' एवं नगद राशि लेकर सामाजिक स्वीकृति प्रदान की जाती है, किन्तु अपने से निम्न जाति के साथ अंतर्जातीय (परजाता विवाह) संबंध किया जाता है तो समाज इसे स्वीकार नही करता, बल्कि उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है।

6. तलाकः

पारधी जनजाति में विवाह विच्छेद कम ही देखने को मिलते है। क्योकि पुनर्विवाह के लिए आवश्यक धन जुटाने में असमर्थ होते है। विवाह विच्छेद हुई स्त्री से विवाह करने के लिए पूर्व पति को हर्जाना देना पड़ता है। इस प्रकार हर्जाना तलाक शुदा महिला के पूर्व पति को नये पति द्वारा दिया जाता है।

यदि पुरूष स्त्री को भगा कर लाता है, तो हर्जाना (दण्ड) की राशि अधिक देना पड़ता है। अथवा जब कोई महिला स्वेच्छा से दूसरे पुरूष के साथ जीवन निर्वाह करना चाहती है, तो हर्जाने की राशि कम होती है। तलाक शुदा स्त्री अपने छोटे बच्चे का साथ लेकर जाती है, जबकि बड़े बच्चों को अपने पूर्व पति के पास छोड़ जाती है। हर्जाना या सामाजिक दण्ड़ की राशि को निर्धारण जातीय पंचायत अथवा ग्राम का मुखिया करता है।

इस जनजाति में जातीय पंचायत में निर्णय होने के बाद ही तलाक को मान्य किया जाता है। इस संबंध में पारधी महिलाओं द्वारा कहावत है– ''मैने मैं बैठ गयी हॅू, खाना खर्चा देत है, बच्चे हमार खात है'' इस प्रकार पारधी जनजाति में औरते भी अपने मर्द को छोड़ने में स्वतंत्र होती है और वह दूसरे पुरूष के साथ चली जाती है। इस समुदाय में विवाह विच्छेद के मुख्य कारणों में पति–पत्नी के बीच लड़ाई–झगड़ा, आपसी मनमुटाव, विवाहेत्तर यौन संबंध, स्त्री का निःसंतान होना आदि होता है।

3.3 दाम्पत्य जीवन :

पारधी समुदाय में विवाह पश्चात् पति–पत्नी दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते हुए अपने परिवार का भरण–पोषण करते है, और आर्थिक गतिविधियों की समस्त जिम्मेदारियों का वहन करते है। पिता द्वारा हस्तांतरित भूमि अथवा कृषि मजदूरी, पम्परागत व्यवसाय झाडू व चटाई बनाना आदि के माध्यम से अपने व बच्चों की आजीविका चलाते है, और धीरे–धीरे वृद्धावस्था को प्राप्त करते है।

3.4 वृद्धावस्था

पारधी जनजाति में माता–पिता अपने बच्चों का शादी–विवाह करने के बाद अपने आपको सामाजिक कर्तव्यों से मुक्त मानकर अपनी वृद्धावस्था का अनुभव करते है। उनका कार्य परिवार के सदस्यों को पारिवारिक, सामाजिक व आर्थिक कार्यो में दिशा–निर्देश देने, नाती–पोतो को खेलाना तथा जातीय पंचायतों की बैठकों में जाना, उसका प्रतिनिधित्व करना, शादी–व्याह संबंधी रिश्ते सुलझाना आदि कार्य कर अपना समय व्यतीत करते है। वही वृद्ध महिलायें सामान्य घरेलू कार्यों में हाथ बटाना, झाड़ू–चटाई की बुनाई करना, बहुओं एवं बेटियों को दैनिक कार्य संबंधी मार्गदर्शन देना, नाती–पोतों की देखभाल आदि कार्य करते हुए मृत्यु को प्राप्त करना होता है।

3.5 मृत्यु संस्कार

पारधी जनजाति में मृत्यु को जीवन की समाप्ति एवं ईश्वर की नियति माना जाता है। किसी की मृत्यु होने की पुष्टि बुजुर्ग अनुभवी व्यक्ति नाड़ी देखकर करता है। मृत्यु की अवस्था में महिलायें जोर–जोर से विलाप करती है, जिसे सुनकर आस–पड़ोस की लोग एकत्रित होते है। सभी निकटस्थ सगे–संबंधियों को मृत्यु की सूचना दी जाती है। इस समुदाय में सूर्यास्त के बाद शव को दफनाया नही जाता है। मृत देह को नहलाकर तेल–हल्दी, गुलाल आदि लगाया जाता है। नाक एवं कान में रूई डाल दी जाती है। तथा शव को सफेद कपड़े (कफन) से ढ़क दिया जाता है।

पारधी समुदाय में मृत शरीर को '' दफनाने'' की प्रथा प्रचलित है। शव को श्मशान तक ले जाने के लिए बांस की बनाई चैली (अर्थी) में ले जाया जाता है। जिसमें मृतक के कपड़े (ओढ़ने एवं बिछाने) आदि को बिछाया जाता है, जिसके ऊपर शव को पीठ के बल लेटाया जाता है जब घनिष्ट सगे–संबंधी और ग्रामीण एकत्रित हो जाते है, तो मृतक के पुत्र, भाई, परिवार वाले एवं अन्य सगे–संबंधी अर्थी को कांधा देकर श्मशान घाट ले जाते है।

1. माटी देना:

सर्वप्रथम ''कठियारा'' (शवयात्रा में शामिल सदस्यों) लोग शरीर की लम्बाई के अनुसार 3–4 फीट गहरा कब्र खोदते है, तथा उसे गोबर पानी से लीपते है। फिर मृत देह को पेट के बल लिटाते है। शव का सिर उत्तर दिशा की ओर एवं पैर दक्षिण दिशा में रखा जाता है। कब्र में मृतक के कपड़े, कुछ तुलसी पत्ता आदि वस्तुएं रखी जाती है। यदि मृतक सुहागिन स्त्री हो तो उसे श्रृंगार कर दफनाते है। मृतक को प्रथम मिट्टी डालने का अधिकार बड़े पुत्र का होता है।

मिट्टी डालने के पूर्व सभी कठियारा कब्र की 7 बार परिक्रमा करते है। तत्पश्चात् परिवार के अन्य सदस्य, सगे–संबंधी एवं ग्रामीण लोग मिट्टी डालते है। अच्छी तरह से मिट्टी डालने के पश्चात् ऊपर से गोबर पानी से लीपकर उसके ऊपर धान को फैला दिया जाता है। मृत आत्मा भूत–प्रेत बनकर वापस न आये इसके लिए ''मोखला कांटा'' (कांटेदार पौधा) की टहनी कब्र के ऊपर रखा जाता है। दफनाने के बाद उपस्थित सभी लोग नदी, नाले अथवा तालाब में घाट के किनारे '' ऊरई जड़ी'' गाड़ कर स्नान कर मृतक की आत्मा हेतु उसके नाम का सूर्य देव को अंजली भर पानी अर्पित करते है। और घर वापस आकर मृतक के नाम का ''मिट्टी भात'' खाते है।

घर से शव यात्रा के प्रस्थान पश्चात् घर की महिलायें शव स्थान की साफ–सफाई कर गोबर पानी से लिपाई करती है, तथा 'दिया' जलाया जाता है। फिर सभी महिलायें उसी घाट पर नहावन के लिए जाते है, जहॉ पुरूष सदस्य गये थे, और नहाने के पश्चात् ऊरई जड़ी में पानी अर्पित करते है, और आंचल में पानी लेकर वापस घर में शव रखे स्थान पर अर्पित करती है। महिलाएं मृतक के नाम पर दशगात्र तक कतार में नहावन के लिए जाती है।

2. तीज–नहावन

मृत्यु के तीसरे दिन मृतक का ''तीज नहावन'' संस्कार किया जाता है। इस दिन कठियारा में शामिल सभी सदस्यों को आमंत्रित किया जाता है। तीज नहावन के पश्चात् सभी सदस्यों को धार्मिक मुखिया द्वारा हल्दी पानी से छिड़काव कर शुद्धिकरण किया जाता है। इस दिन मृत्यु को प्राप्त पुरूष की बेवा (पत्नी) की चुड़िया उतारी जाती है। परिवार के सभी पुरूष सदस्य का ''मुण्ड़न'' किया जाता है। तत्पश्चात् शव रखे स्थान पर दीप जलाकर दोने में मृतक के नाम का भोग लगाकर सामूहिक भोज कराया जाता है। इस दिन मृतक का परिवार की आंशिक शुद्धिकरण हो जाता है। तीज नहावन पश्चात् मृतक का परिवार घर में भोजन पकाकर खाना शुरू कर देता है।

3. दशगात्र

पारधी समुदाय में पुरूष के मृत्यु में दशवें दिन, महिला मृत्यु पर 9वें दिन एवं अविवाहित के मृत्यु पर 7वें दिन ''दशगात्र'' मनाया जाता है। तीज नहावन पश्चात् घर की बेटी –फूफू आदि द्वारा घर की साफ–सफाई की जाती है। परिवार के सगे–संबंधियों के साथ ग्राम के अन्य जातियों को भी ''मृत्यु भोज'' हेतु आमंत्रित किया जाता है। शुद्धिकरण हेतु नाई एवं धोबी की भी सेवा ली जाती है।

पहले पुरूष सदस्य एवं बाद में महिलायें नहावन कर ऊराई जड़ी में मृतक की आत्मा शांति के लिए जल अर्पित करते है। नाई सभी सदस्यों के बाल, दाढ़ी व नाखून काटता है। जबकि धोबी घर के सभी कपड़ों को धोती है। नहावन पश्चात् बुजुर्ग सदस्य गंगाजल, दूध–दही आदि से घर के देवी–देवता आदि में छिड़काव किया जाता है।

बाद में घर, बरामदा, आंगन आदि स्थानों पर शुद्धिकरण की प्रक्रिया अपनायी जाती है। और सभी उपस्थित सदस्यों में भी छिड़काव कर शुद्धिकरण किया जाता है। दशगात्र तक शव रखे स्थान पर दोने में दातुन, चावल, दाल आदि जो घर में बनता हो मृतक के नाम का भोग लगाया जाता है।

दशगात्र में शामिल सभी लोगों को सामर्थ्य अनुसार दाल–भात, साग–सब्जी, शराब आदि का सामूहिक मृत्यु भोज कराया जाता है। भोज पश्चात् परिवार का पूर्ण शुद्धिकरण हो जाता है। इस जनजाति में आकस्मिक मृत्यु, पुरानी बीमारी, कुष्ठ रोग, दुर्घटना से हुई मृत्यु आदि से होने वाले मृत व्यक्ति को जलाया जाता है। जबकि मृत जन्में शिशु या जन्म के बाद शिशु की मृत्यु को जाने पर बाड़ी आदि में दफनाया जाता है।

अध्याय – 04

सामाजिक संगठन

किसी समुदाय द्वारा समूह निर्माण के विभिन्न तरीके सयुंक्त रूप से सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमान का निर्माण करते है। सामाजिक संरचना में प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से सामाजिक संबंधों से जुड़ा रहता है। किसी समाज के विश्लेषण में उस समुदाय के सदस्यों की विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियों तथा रूचियों के कार्यो को प्रकट करते है। अथवा जो सामाजिक संबंध बार–बार दोहराये जाते है और प्रायः स्थायी प्रकृति के होते है, वे समाज की संरचना का निर्माण करते है, जिसमें जाति, गोत्र, नातेदारी, प्रथायें, राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्था आदि सम्मिलित होते है। सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति की होती है, जिसमें परिवर्तन अत्यन्त धीमी गति से होता है।

4.1 जनजाति

जनजाति एक गतिशील व्यवस्था है। जनजाति समाज भारत में अनादिकाल से निवासरत है। जनजाति भारत के मूल निवासी माने जाते है। जाति, जनजाति समुदाय समाज को खण्ड़ों में विभाजित करती है। जिनकी सदस्यता जन्म आधारित है, सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत भोजन, व्यवसाय, सहवास एवं विवाह आदि को नियन्त्रित भी करती है। जनजातीय समदाय अपने सदस्यों को एक विशेष सामाजिक प्रास्थिति प्रदान करती है। जिसमें आजीवन परिवर्तन संभव नही है। पारधी जनजाति भी गोडं, कंवर, भुंजिया, हलबा, उरांव, बिंझवार, कमार, बैगा आदि जनजातियों की भांति स्वयं को एक आदिवासी समुदाय मानती है, और इनके सदस्यों के बीच आपस में एकता एवं बंधुत्व की भावना होती है।

4.2 उप जनजाति

पारधी जनजाति कई उपजनजाति में विभक्त है, जो कि निम्नानुसार हैः–

1. बहेलिया पारधी
2. शिकारी / चीता पारधी
3. फांस / लंगोटी पारधी
4. टांकनकार पारधी

पारधी जनजाति के उपरोक्त उपजनजातियॉ पूर्व में एक ही थे, लेकिन शिकार एवं जीवकोपार्जन के भिन्न भिन्न तरीकों के कारण अनेक उपजनजातियों में विभक्त हो गये है।

4.3 वंश समूह

पारधी समुदाय पितृवंशीय जनजातीय समुदाय है, जिसके कारण सत्ता एवं सम्पत्ति का हस्तांतरण पिता से पुत्रों को प्राप्त होता है पितृवंशीय समुदाय होने के कारण रक्त संबधी पुरूष सदस्य एवं उनकी संताने ही वंश के अन्तर्गत आते है, जबकि महिलायें विवाह पश्चात् वंश से बाहर हो जाती है।

4.4 गोत्र

क्षेत्र एकाधिक वंशों का समूह होता है। पारधी जनजाति बहुत से गोत्रों में विभक्त है। एक ही गोत्र के सदस्य स्वयं को एक ही पूर्वज के संतान मानते है, और आपस में भाई–बहन का सामाजिक संबंध रखते है। पारधी जनजाति में साढ़े बारह गोत्र पाये जाते है, जो कि निम्नानुसार हैः–

1. चौरसिया 2. सिसोदिया 3. मच्छीमार 4. सोलरकी 5. तितोड़ी 6. कथरियों

7. मरारियों 8. मालियों 9. गवासे 10. रहिरियो 11. पुआर / पवार 12. कुरगल

उपरोक्त के अलावा साढ़े बारहवां गोत्र में उन सब परिवारों को रखा जाता है, जो अपने जाति से अन्य समाज में वैवाहिक संबंध बना लिये है। जिन्हें हर्दिहा गोत्र से जाना जाता है। इन मूल गोत्र के अलावा भी मरकाम, नेताम, सोलंकी, गबाड़ा, झिरिया, कोसरिया, पटौती, कुंजाम, मरई, ओइका, सोरी, कोकरी आदि गोत्र भी होते है। जो किसी न किसी मूल गोत्र से संबंधित होते है।

गोत्रों की उत्पत्ति के संदर्भ में इस समुदाय में अनेक किवदंतिया प्रचलित है। तितोड़ी गोत्र की उत्पत्ति के संबंध में पारधी जनजाति में निम्न किवदंति प्रचलित हैः–

प्राचीन समय में इनके पूर्वज शिकार के लिए जंगल गये थे, तो वे अपने साथ अपने बच्चों को भी ले गये थे। जंगल पहुंचकर बच्चों को वहॉ बनी एक झोपड़ी के छत पर बैठाकर शिकार के लिए निकल पड़े। उनके शिकार में जाने के पश्चात् वहां पर 7 भेड़िये आ गये। जिन्हें देखकर सभी बच्चे बेसुध हो गये। पारधी लोग जब वापस लौटे तो वहां भेड़ियों को देखा, जबकि बच्चें कहीं नही दिखे। पारधीयों ने तुरंत फंदा डालकर भेड़ियों को फंसा लिया, और उनके सिर काट कर वापस गांव लौट आये।

गांव लौटकर वे सुबह–शाम बच्चों के लिए अपने आराध्य देवी की पूजा–पाठ करने लगे। एक दिन देवी ने प्रसन्न होकर बताया कि बच्चे जहां छोड़कर आये थे, वहीं पर मिलेंगे। देवी के कहे अनुसार वे बच्चों को छोड़े स्थान पर गये। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि बच्चे आराम से सोये हुए है, और तितोड़ी चिड़ियॉ उनके चारों ओर फुदक–फुदक कर रक्षा कर रही है। इस प्रकार तितोड़ी चिड़िया द्वारा बच्चों की रक्षा करने पर तितोड़ गोत्र की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार अन्य गोत्र के बारे में भी अनेक किवदंति समाज मे प्रचलित है।

4.5 नातेदारी

पारधी समुदाय में ''नातेदारी'' व्यवस्था व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक बनने वाला संबंध है, जो मनुष्य के लालन–पालन से लेकर व्यक्तित्व निर्माण, युवावस्था, वैवाहिक जीवन व प्रौढ़ावस्था तक अनेक नातेदारों से अन्तःसंबंधित रहता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण संबंध समाज के उन सदस्यों से होता है, जो रक्त संबंध या विवाह संबंध के आधार पर संबंधित होते है।

1. नातेदारी के प्रकार

पारधी जनजाति में नातेदारी के दो प्रकार पायी जाती हैः–

(अ) रक्त संबंधी नातेदारी :

इस प्रकार के नातेदारी के अन्तर्गत ऐसे संबंधी जो समान रक्त के आधार पर एक–दूसरे से संबंधित होते है, जैसे– माता–पिता एवं उनकी संतान, दो भाई, भाई–बहन के बीच का संबंध रक्त संबंधों पर आधारित होता है।

(ब) विवाह संबंधी नातेदारी :

विवाह संबंधी नातेदारी के अन्तर्गत न केवल विवाह संबंध द्वारा आबद्ध पति–पत्नी आते है, बल्कि इन दोनो परिवारों के अन्य संबंधी भी आ जाते है, जैसे– पति–पत्नी, पति या पत्नी के माता–पिता, भाई–बहन आदि जो विवाह संबंधों के दोनो पक्षों पर आधारित है।

2. नातेदारी की श्रेणी

पारधी जनजाति में नातेदारी की तीन श्रेणी पायी जाती है, जो कि निम्न हैः–

(अ) प्राथमिक संबंधीः– प्राथमिक श्रेणी से तात्पर्य ऐसे संबंधी से है, जो प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े हुये होते है, जैसे– पति–पत्नी, पिता–पुत्र, भाई–भाई, भाई–बहन, बहन–बहन आदि।

(ब) द्वितीयक संबंधीः– द्वितीयक संबंधी से तात्पर्य ऐसे संबंधों से है, जो किसी व्यक्ति के प्राथमिक संबंधी के प्राथमिक हो, जैसे– चाचा–भतीजा, दादा–पोता आदि।

(स) तृतीयक संबंधीः– किसी व्यक्ति के द्वितीयक संबंधी का प्राथमिक संबंधी तृतीयक संबंधी कहलाते है, जैसे– साले की पत्नी, भाई के पत्नी का पिता आदि।

3. रक्त एवं विवाह संबंधी नातेदारी

पारधी जनजाति में पाये जाने वाले रक्त एवं विवाह संबंधी नातेदारों को निम्नलिखित वंशावली के रूप में दर्शाया जा सकता है:–

पारधी नातेदारी वंशावली

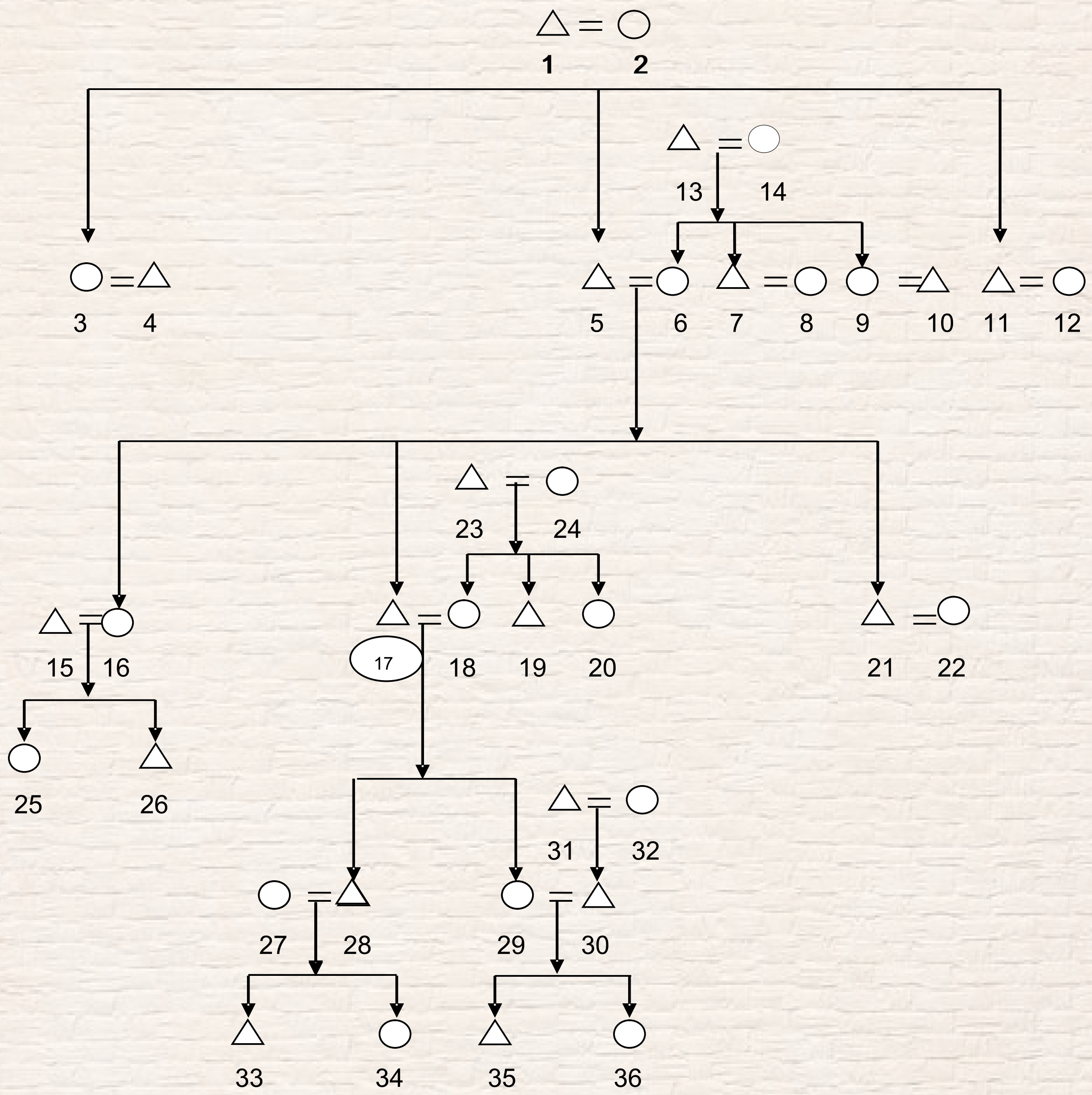

रक्त एवं विवाह संबंधी विस्तृत नातेदारी वंशावली

टीपः– इगो = (17)

पारधी नातेदारी शब्दावली

क्र	संबंध	वंशावली में उल्लेख	नातेदारी संबंध	पारधी सम्बोधन
1	स्वयं	17	मैं	मय
2	पिता के पिता	17–1	दादा	बाबा
3	पिता के माता	17–2	दादी	आई
4	पिता के बहन का पति	17–3	फूफा	फूफा
5	पिता का बहन	17–4	बुआ	फूफू
6	पिता	17–5	पिता	बाबा
7	माता	17–6	माता	दाइये
8	माता का भाई	17–7	मामा	ममा
9	माता के भाई की पत्नी	17–8	मामी	मामी
10	माता की बहन	17–9	मौसी	मोसी
11	माता की बहन का पति	17–10	मौसा	मोसा
12	पिता के भाई	17–11	चाचा	काको
13	पिता के भाई की पत्नी	17–12	चाची	काकी
14	माता के पिता	17–13	नाना	अजा
15	माता की माता	17–14	नानी	आजी
16	स्वयं की बहन	17–15	बहन	दीदी
17	बहन का पति	17–16	जीजा	भाटो
18	स्वयं की पत्नी	17–18	पत्नी	बाइको
19	पत्नी का भाई	17–19	साला	सालो
20	पत्नी की बहन	17–20	साली	साली

22	भाई की पत्नी	17–22	भाईबहु	भाईबहु
23	पत्नी के पिता	17–23	ससुर	ससरो
24	पत्नी की माता	17–24	सास	सासु
25	बहन की बेटी	17–25	भांजी	भाची
26	बहन का बेटा	17–26	भांजा	भाचा
27	बेटा की पत्नी	17–27	बहु	बहुरिया
28	स्वयं का बेटा	17–28	बेटा	बबु
29	स्वयं की बेटी	17–29	बेटी	नेनी
30	बेटी का पति	17–30	दामाद	दमांद
31	बेटी का ससुर	17–31	सम्मधन	संमधी
32	बेटी का सास	17–32	संबंधी	संमधी
33	बेटा का बेटा/बेटी	17–33,34	पोता/पोती	नाति/नातिन
34	बेटी के बेटा/बेटी	17–35,36	नाती/नातीन	नाति/नातिन

4. नातेदारी की रीतियॉं

पारधी जनजाति में नातेदारी व्यवस्था के अन्तर्गत दो संबंधों के बीच के व्यवहार प्रदर्शन को दर्शाता है। जिसके कुछ नियम पारधी समुदाय में भी प्रचलित हैः–

(अ) परिहार या निकटाभिगमन संबंध

परिहार संबंध में कुछ ऐसे संबंध या रिश्ते जो दो व्यक्तियों के बीच एक निश्चित संबंध प्रदर्शित तो करते है, किन्तु वे सामाजिक रूप से एक दूसरे से दूरी बनाये रखते है, तथा पारस्परिक अन्तः क्रिया में यथा संभव प्रत्यक्ष भाग नहीं लेते है। इस प्रकार की नातेदारी व्यवस्था पारधी समुदाय में भी पाये जाते है, जो कि निम्नलिखित हैः–

1. सास– दामाद
2. जेठ–बहु (छोटे भाई की पत्नी)
3. ससुर– बहु (बेटा की पत्नी)
4. दामाद– डेढ़ सास

(ब) परिहास या निकटागमन संबंध

पारधी जनजाति में कुछ संबंधों के मध्य हंसी–मजाक का संबंध पाया जाता है। यह आपसी रिश्ते को निकटता एवं मजबूती प्रदान करता है। इस प्रकार के संबंधों को पारधी समुदाय की मान्यता प्राप्त होती है, कुछ ऐसे संबंध निम्नलिखित हैः–

1. देवर – भाभी
2. जीजा–साला, साली
3. समधी – समधन
4. नाना, नानी–नाती, नातिन
5. दादा, दादी– पोता, पोती

(स) माध्यमिक सम्बोधन

पारधी जनजाति में कुछ रिश्तेदारों को सीधे तौर पर नाम से सम्बोधित नही करते है, उन्हें पुकारने या वार्तालाप के लिए किसी माध्यम जैसे संबंधित के बच्चे, ग्राम आदि का सहारा लेकर संबोधित किया जाता है। इस प्रकार के माध्यमिक सम्बोधन पति–पत्नी, भाई–बहु, सास–दामाद आदि द्वारा उपयोग किया जाता है जैसे– पत्नी अपने पति को बुलाने के लिए ''नोनी के बा'' या अपने पुत्र का नाम लेकर ''बाबु के बा'' कहकर बुलाती है। इसी प्रकार सास–ससुर, कुरा ससुर (जेठ) आदि का नाम लिये बगैर माध्यमिक सम्बोधन का उपयोग किया जाता है।

वर्तमान परिवेश में माध्यमिक सम्बोधन का प्रचलन धीरे–धीरे कम हो रहा है। पति अपने पत्नी को नाम से सम्बोधित करने लगे है। तो पत्नी अपनी शासकीय अथवा आवश्यक कार्य आ जाने पर अपने पति का नाम लेने लगी है।

4.6 परिवार

परिवार पारधी समुदाय की प्रारंभिक और आधारभूत इकाई है। मानव के व्यक्तित्व का विकास, समाजीकरण एवं संस्कृतिकरण परिवार से ही प्रारंभ होता है। पारधी परिवारों में दो या दो से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ निवास करते है। जिनका मुखिया घर का वरिष्ठ पुरूष सदस्य होता है, जिसके द्वारा पारिवारिक जीवन का संचालन, निर्णय एवं मार्गदर्शन आदि किया जाता है।

(क) परिवार का प्रकार

पारधी जनजाति में ज्यादातर एकल परिवार पाये जाते है, जिसमें माता–पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे रहते है। पत्नी घर एवं बाहर पति का पूर्ण सहयोग करती है, एवं अपनी कमाई परिवार के लिए खर्च करती है। इस जनजाति में सयुंक्त परिवार कम पाये जाते है, क्योकि पुत्रों के विवाह पश्चात् उनके एक या दो बच्चे होने के बाद अपने पिता से अलग रहने लगते है। सर्वेक्षित पारधी समुदाय में परिवारों के प्रकार निम्नलिखित तालिका अनुसार पाये गये :–

तालिका क्रमांक–10
सर्वेक्षित परिवारों में परिवार का प्रकार

क्रं.	परिवार का प्रकार	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	एकल परिवार	96	80.00
2	सयुंक्त परिवार	24	20.00
योग		120	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों में सर्वाधिक 80.00 प्रतिशत एकल परिवार पाये गये और शेष 20.00 प्रतिशत परिवार सयुंक्त परिवार पाये गये।

वर्तमान में पारधी समुदाय में सयुंक्त परिवार विघटित होकर एकल परिवारों में परिवर्तित होते जा रहे है, जिसका मुख्य कारण युवा पीढ़ी विवाह पश्चात् अलग से एकल परिवार में रहने लगे है।

(ख) पारधी परिवार का वर्गीकरण

सर्वेक्षित पारधी जनजाति में पाये जाने वाले परिवारों के स्वरूप का वर्गीकरण निम्नलिखित तालिका में दर्शित है:–

(ख) पारधी परिवार का वर्गीकरण

सर्वेक्षित पारधी जनजाति में पाये जाने वाले परिवारों के स्वरूप का वर्गीकरण निम्नलिखित तालिका में दर्शित है:–

तालिका क्रमांक –11
सर्वेक्षित पारधी जनजाति में परिवारों का वर्गीकरण

क्रं.	आधार	प्रकार	
1	संरचना	एकल	सयुंक्त
2	सत्ता	पितृसत्तात्मक	
3	वशं	पितृवंशीय	
4	उत्तराधिकार	पितृधिकार	
5	आवास	पितृस्थानीय	नवस्थानीय

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पारधी परिवारों की रचना में एकल एवं सयुंक्त परिवार पाये जाते है। परिवारों की सत्ता परिवार के बुजुर्ग पुरूष सदस्य के पास होता है। अर्थात पारधी समुदाय पितृसत्तात्मक है। परिवार में वंश का निर्धारण पिता पक्ष की ओर से होता है। इनमें सत्ता एवं सम्पत्ति का हस्तांतरण पिता से पुत्र को प्राप्त होता है, अर्थात पितृधिकार समुदाय है। आवास के आधार पर यह समुदाय पितृस्थानीय अथवा नवस्थानीय होता है। इनमें कुछ नव दम्पत्ति विवाह के कुछ समय पश्चात् नये आवास में एकल परिवार का निर्माण करते पाये जाते है।

(ग) परिवार का आकार

पारधी जनजाति में परिवारों का आकार निश्चित नहीं होता है। कुछ परिवार बहुत बड़े आकार के भी पाये जाते है, जिसमें 2–3 पीढ़ियों के सदस्य एक साथ निवास करते है, तो कुछ परिवारों में नवदम्पत्ति कुछ समय पश्चात् अपना नया परिवार का निर्माण कर लेते है। सर्वेक्षित परिवारों का आकार निम्न तालिका अनुसार पाया गया:–

तालिका क्रमांक–12
सर्वेक्षित परिवारों में परिवार के आकार का वितरण

क्रं.	सदस्य संख्या	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	1 से 3 सदस्य	44	36.67
2	4 से 6 सदस्य	67	55.83
3	7 से अधिक	09	07.50
योग		120	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये परिवारों में सर्वाधिक 55.83 प्रतिशत परिवारों में 04 से 06 सदस्य पाये गये। 36.67 प्रतिशत परिवारों में 01 से 03 सदस्य निवासरत है। सर्वेक्षित 07.50 प्ररिवार ऐसे भी है, जिनमें सदस्यों की संख्या 07 से अधिक है।

(घ) पारिवारिक संबंध

पारधी जनजाति के परिवारों में विभिन्न सदस्यों के मध्य निम्नानुसार संबंध पाया जाता है:–

1. माता–पिता :

पारधी समाज में बच्चों के जन्म को परिवार की पूर्णता माना जाता है। माता–पिता बच्चे के जन्म से उसकी देखभाल, पालन–पोषण तथा जीवन की शिक्षा आदि देते है। विवाह योग्य होने पर विवाह करते है, और उनके गृहस्थ जीवन के व्यवस्थित होने तक उचित मार्गदर्शन देते है।

2. पति–पत्नी :

पारधी जनजाति में पति–पत्नी का संबंध प्रेमयुक्त एवं दायित्वपूर्ण होता है। पति–पत्नी एक दूसरे के प्रति दायित्वों का निर्वहन पूर्ण जिम्मेदारी के साथ करते है। पति परिवार के आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने की कोशिश करता है, तो पत्नी घर के दैनिक कार्यो, साफ–सफाई, बच्चों की देखभाल, भोजन बनाने के साथ–साथ पति के आर्थिक कार्यो में सहयोग भी करती है। पति–पत्नी मिलकर बुजुर्ग माता–पिता की देखभाल भी करते है।

3. पिता–पुत्र :

पिता–पुत्र का संबंध स्नेह, अनुशासन व नियंत्रण का होता है। पिता किशोरावस्था से पुत्र को आर्थिक कार्यो जैसेः– कृषि, छिन्द पत्तों से चटाई एवं झाडू बनाना, शिकार करना आदि कार्यो की सीख देता है। इस प्रकार पुत्र को जीवकोपार्जन करने योग्य बनाता है। पुत्र, पिता के प्रति आदर भाव रखता है। उनकी आज्ञापालन के साथ–साथ आवश्यक मार्गदर्शन भी लेता है। पुत्र, पिता के वृद्धावस्था में देखभाल भी करता है।

4. पिता–पुत्री :

पिता–पुत्री का संबंध आत्मीय और वात्सल्यपूर्ण होता है। पिता, पुत्र की अपेक्षा पुत्री को अधिक स्नेह भाव रखता है। पुत्री के किशोरीवस्था से ही भावी जीवन की शिक्षा देता है। पुत्री के विवाह योग्य होने पर नये परिवार के सदस्यों से कैसे सामंजस्य बनाये जाने की सीख देता है।

5. माता–पुत्री :

माता – पुत्री का संबंध वात्सल्यपूर्ण होता है, माता–पुत्री को बाल्यावस्था से ही घरेलू कार्यो में दक्ष कराती है। पुत्री को पराया धन मानकर ससुराल के नये परिवेश में सामंजस्य बनाने व सुखी जीवन के लिए शिक्षित करती है। पुत्री माता की सीख को आदर्श मानकर उसे जीवन में अपनाने का भी प्रयास करती है। पुत्री के विवाह उपरांत बिछड़ने का डर सदैव बना रहता है। किन्तु पुत्री के प्रति अपने दायित्वों की पूर्ति का सुख भी रहता है।

6. माता–पुत्र :

माता पुत्र का संबंध आत्मीय तथा वात्सल्य से परिपूर्ण होता है। माता पुत्र के लालन–पालन पूर्ण मनोयोग से करती है। पुत्र भावनात्मक रूप से माता से अधिक समीप होता है। माता पुत्र को समुदाय के नियम, परम्पराओं आदि की सीख देती है। माता के वृद्धावस्था में पुत्र पूर्ण श्रद्धा से देखभाल करता है।

7. भाई–बहन :

भाई–बहन का संबंध आपसी प्रेम एवं सहयोग का होता है। दोनों एक दूसरे के साथ खेलते–सीखते है। एकल परिवारों में माता–पिता आर्थिक कार्यो में संलग्न होने के कारण बड़े भाई–बहन छोटे की देखरेख करते है।

8. सास–बहु :

सास–बहु का संबंध हर घर में अलग–अलग होता है। इनके बीच आदर, सम्मान, कर्तव्य तथा अपेक्षा पर आधारित होता है। प्रत्येक सास अपनी बहु से पारिवारिक कर्तव्यों के बखूबी निर्वहन के साथ–साथ आदर एवं सम्मान की अपेक्षा रखती है। सास–बहु में आपसी ताल–मेल ठीक होने पर पारिवारिक जीवन सुखद होता है, और यदि वे एक–दूसरे के अपेक्षाओं की पूर्ति न होने से आपसी संबंध तनावपूर्ण भी हो जाता है।

9. देवर – भाभी :

देवर–भाभी का संबंध परिहास श्रेणी के संबंधों पर आधारित होता है। इनके बीच स्नेहपूर्ण एवं मित्रवत व्यवहार होता है। कभी–कभी विपरीत परिस्थितियों में इनके बीच भावी जीवनसाथी की भूमिका भी तय हो सकती है।

10. ननद–भाभी :

इनका संबंध स्नेहपूर्ण होता है। दोनों एक दूसरे की आवश्यकता एवं अपेक्षा की पूर्ति का प्रयास करते है। ननद के विवाह पश्चात् ननद–भाभी के संबंध अधिक मधुर हो जाते है। कई परिस्थितियों में ननद–भाभी के मध्य सामंजस्य न होने की स्थिति में संबंध तनावपूर्ण हो जाता है।

इस जनजाति समुदाय में पारिवारिक संबंध मजबूत पाये जाते है। प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के प्रति आदर–सम्मान व कर्तव्य का भाव रखता है।

4.7 मित–मितान संबंध :

पारधी जनजाति के लोग ग्राम से बाहर पारा, मुहल्ला में रहते है। इनमें नातेदारी संबंधों के अतिरिक्त स्वजातीय या अन्य जनजातियों से निकटता दर्शाने वाले मित/मितान संबंध बनाये जाते हैं, जो इनको अन्य समुदाय से जोड़ने में पुल की तरह कार्य करता है। मित/मितान संबंध दो व्यक्ति या उसके परिवार को आजीवन एक दूसरे के निकट स्थापित करता है। पारधी जनजाति में ग्राम में निवासरत अन्य जाति समाज से सद्भाव घनिष्टता तथा सहयोग के उद्देश्य से संबंध बनाये जाते है।

मित/मितान संबंध में समान लिंग–आयु के दो सदस्य अपने संबंध को अधिक मजबूत एवं प्रगाण बनाते है। जिसमें दोनो व्यक्ति ग्रामवासियों की उपस्थिति में ग्राम देवी–देवता को साक्षी मानते हुए मित/मितान संबंध बनाते है। दोनों एक दूसरे के सुख–दुख के हिस्सेदार होते है। तथा उनका संबंध स्नेहपूर्ण एवं आपसी सहयोगात्मक होता है।

4.8 अन्तर्जातीय संबंध :

पारधी जनजाति निवासरत ग्रामों में ब्राम्हण, राजपूत, कुर्मी, तेली, रावत, कुम्हार, लोहार, चन्द्राकर, गोड़, कंवर, हल्बा, बिंझवार, गांडा, सतनामी, धोबी आदि जाति–जनजाति के लोग साथ में निवास करते है। सभी लोग अपने जाति के समान अन्य जाति समाज के लोगों से जुड़े रहते है। दूसरे जाति के सदस्यों को उम्र–लिंग अनुसार काका, बाबा, दाई, भैया, भतीजा आदि से संबोधित करते है। इन जातियों में जातिगत कार्यो के आधार पर पारस्परिक निर्भरता भी पायी जाती है। पारधी जनजाति दैनिक जीवन में मिट्‌टी के बर्तन के लिए कुम्हार, लौह कार्य हेतु लोहार, बाल–दाढ़ी के लिए नाई, सामाजिक कार्यो में कपड़े धोने के लिए धोबी, पूजा–पाठ आदि के लिए ब्राम्हण आदि जाति समाज से पारस्परिक निर्भरता पायी जाती है। पारधी जनजाति झाडू–चटाई का निर्माण कर अन्य समाजों के लिए निर्माण करती है। साथ ही कृषि मजदूरी एवं अन्य मजदूरी में भी अन्य जातियों का सहयोग करती है। इस प्रकार समाज के विभिन्न जाति एवं जनजातियों में प्रत्यक्ष पारस्परिक संबंध पाये जाते है। तथा एक साथ पीढ़ी दर पीढ़ी निवास करने के कारण आपसी सामजंस्य एवं सद्‌भाव पाया जाता है।

पारधी निवासरत ग्रामों में जन्म, खानपान तथा कार्यो के आधार पर जातियों का संस्तरण पाया जाता है। जिसमें कुछ जाति समुदाय को उच्च, व निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पारधी समुदाय ग्रामों में निवासरत अन्य जातियों को सामाजिक स्तरीकरण में निम्नलिखित तालिका अनुसार मानती हैः–

तालिका क्रमांक–13
सामाजिक स्तरीकरण का विवरण

क्रं.	स्तर	जाति/जनजाति
1	उच्च	ब्राम्हण, राजपूत, राउत, कुर्मी, तेली, सोनार
2	समकक्ष	गोंड, कंवर, बिंझवार, हलबा, कोंध,
3	निम्न	अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आने वाली जातियॉ

4.9 महिलाओं की स्थिति

पारधी जनजाति में महिलाओं की स्थिति को निम्नांकित विवरण से समझा जा सकता हैः–

1. जीवन संस्कार के आधार पर

पारधी जनजाति में बालक/बालिकाओं को समान महत्व दिया जाता है। फिर भी बुढ़ापा का सहारा, आर्थिक कार्यो में सहयोग, वंशवृद्धि एवं मृत्यु होने पर मिट्टी देने आदि कारणों से कम से कम एक पुत्र की कामना अवश्य की जाती है। इनमें मान्यता है कि बच्चे ईश्वर की देन होते है, उनमें मानवीय भेद उचित नहीं है। विवाह में कन्या की सहमती आवश्यक होती है। विधवा विवाह में भी उनकी सहमती आवश्यक मानी जाती है। मृत्यु कर्म में महिलाओं की भागीदारी नही पायी जाती है।

2. वंश एवं सत्ता निर्धारण

पारधी समुदाय में वंश निर्धारण पिता पक्ष से होता है। परिवार की सत्ता एवं नियन्त्रण पुरूष मुखिया के पास होता है। इस प्रकार पारधी समुदाय पितृवंशीय एवं पितृसत्तात्मक व्यवस्था वाला समाज है। वंश एवं सत्ता निर्धारण में महिलाओं की कोई भूमिका नही पायी जाती है।

3. आर्थिक जीवन

पारधी महिलायें पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ–साथ आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। महिलायें प्रातः घर की साफ–सफाई, बच्चों की देखभाल और भोजन पकाने के साथ–साथ कृषि, कृषि–मजदूरी, झाडु एवं चटाई निर्माण आदि में भागीदार बनती है। महिलाओं को स्व अर्जित धन के व्यय में कुछ हद तक स्वतंत्रता होती है।

4. राजनैतिक जीवन

पारधी समुदाय की जातीय पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नही के बराबर है। उन्हें इन क्षेत्रों में प्राथमिकता नही दी जाती है। राजनैतिक संगठन में महिलायें केवल स्वयं के मामले में गवाही देने हेतु शामिल हो सकती है।

वर्तमान परिवेश में आधुनिकता के परिणामस्वरूप व संगठन की दृष्टि से पारधी महिलाओं की सामाजिक संगठनों में जिम्मेदारिया तय की जा रही है। आधुनिक पंचायतों के ग्राम स्तरों की पंचायतों में पंच, सरपंच आदि पदों में कुछ–कुछ इनका प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है।

5. धार्मिक जीवन

पारधी जनजाति में धार्मिक अनुष्ठान आदि की पूजा में महिलाओं की सहभागिता नही पायी जाती है लेकिन हिन्दू देवी–देवताओं व धार्मिक कर्मकाण्ड़ों आदि में महिलाओं की भागीदारी पायी जाती है।

6. शिक्षा

पारधी समुदाय में कन्या शिक्षा की तुलना में बालक शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का लाभ न मिल पाने के कारण शिक्षा के प्रति उदासीन है। बालक/बालिकाओं को प्राथमिक/मिडिल स्कूल तक की शिक्षा के पश्चात् घर के कामकाज, छोटे भाई–बहनों की देखभाल आदि में लगा दिया जाता है। अन्य ग्राम या उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले बालक/बालिकाओं की संख्या नगण्य है।

7. कन्या शिशु के प्रति व्यवहार

पारधी जनजाति में बालक/बालिकाओं में कोई भेद नहीं किया जाता है। शिशु को भगवान का उपहार माना जाता है, फिर भी वंशवृद्धि के लिए कम से कम एक पुत्र की कामना अवश्य की जाती है।

अध्याय – 05

शैक्षणिक स्थिति

शिक्षा मानव विकास का प्रमुख माध्यम है। जनजातिय क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति अन्य क्षेत्रों की तुलना निम्न रही है। राष्ट्र की मुख्य धारा में जनजातियों के एकीकरण में शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर भारत शासन द्वारा संवैधानिक उपाय किये गये। जनजातीय उपयोजना में शैक्षणिक विकास को प्राथमिकता दिया गया तथा 6–14 आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं को शिक्षा का मूल अधिकार बना दिया गया है।

किसी भी समाज में चाहे वह जनजातीय समुदाय हो या गैर जनजातीय समाज हो महिलाओं का शिक्षित होना नितांत आवश्यक होता है, जो परिवार के अंदर केन्द्र बिन्दू में रहकर अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। छ.ग. राज्य में जनजातीय समुदायों का शैक्षणिक स्तर विशेषकर महिलाओं की शैक्षणिक स्तर पुरूषों की तुलना में कम है। सर्वेक्षित पारधी समुदाय में सर्वेक्षण के दौरान उनकी शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन किया गया।

1. साक्षरता

सर्वेक्षित पारधी जनजाति परिवारों में साक्षर व निरक्षर सदस्यों का विवरण निम्नानुसार पाया गयाः–

तालिका क्रमांक–14
सर्वेक्षित परिवारों में साक्षर व निरक्षर सदस्यों का विवरण
(0–5 आयु वर्ग को छोड़कर)

क्र.	श्रेणी	व्यक्ति					
		पुरूष		महिला		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	साक्षर	165	70.52	108	50.47	273	60.94
2.	निरक्षर	69	29.48	106	49.53	175	39.06
योग		234	100.00	214	100.00	448	100.00

सर्वेक्षित पारधी परिवारों की कुल जनसंख्या (0–5 वर्ष की उम्र समूह को छोड़कर) में से 60.94 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर पाये गये, जिसमें पुरूष साक्षरता 70.52 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता 50.47 प्रतिशत पायी गई। सर्वेक्षित परिवारों में कुल 39.06 प्रतिशत व्यक्ति निरक्षर पाये गये, जिसमें 29.48 प्रतिशत पुरूष निरक्षर एवं 49.53 प्रतिशत महिला निरक्षर पाये गये।

1. शिक्षा का स्तर

सर्वेक्षित पारधी समुदाय की शैक्षणिक स्थिति में शिक्षा का स्तर निम्नलिखित तालिका में दर्शाये अनुसार पाया गयाः–

तालिका कमांक–15
सर्वेक्षित परिवारों में शैक्षणिक स्तर
(0–5 आयु वर्ग को छोड़कर)

क्र.	शिक्षा का स्तर	साक्षर व्यक्ति					
		पुरूष		महिला		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	प्राथमिक शाला	108	65.45	65	60.18	173	63.37
2.	पू. मा.शाला	42	25.45	29	26.85	71	26.01
3.	हाई स्कूल	10	06.06	09	08.33	19	06.96
4.	हायर सेकण्डरी	03	01.82	04	03.71	07	02.56
5.	महाविद्यालय	02	01.22	01	00.93	03	01.10
6.	तकनीकी	–	–	–	–	–	–
योग		165	100.00	108	100.00	273	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित पारधी परिवारों की कुल जनसंख्या (05 वर्ष की उम्र समूह को छोड़कर) में से 54.27 प्रतिशत व्यक्तियों ने किसी न किसी स्तर से शिक्षा अर्जित की है। साक्षर व्यक्तियों में से 63.37 प्रतिशत व्यक्ति प्राथमिक शाला स्तर, 26.01 प्रतिशत व्यक्ति पू.मा.शाला स्तर तक, 06.96 प्रतिशत व्यक्ति हाई स्कूल स्तर तक, 02.56 प्रतिशत् व्यक्ति हायर सेकण्डरी स्कूल तक एवं मात्र 01.10 प्रतिशत व्यक्ति ही महाविद्यालयीन स्तर तक शिक्षा प्राप्त किये हैं। वही सर्वेक्षित परिवारों में से कोई भी व्यक्ति तकनीकी शिक्षा प्राप्त नही कर सका हैं।

1. शिक्षा की वर्तमान स्थिति

सर्वेक्षित पारधी परिवारों में अध्ययनरत व अध्ययन कर चुके (शाला त्यागी) व्यक्तियों की स्थिति निम्न तालिका अनुसार पायी गईः–

तालिका क्रमांक–16

सर्वेक्षित परिवारों में शालागामी एवं शाला त्यागी की स्थिति का विवरण

क्र.	शैक्षणिक स्थिति	व्यक्ति					
		पुरूष		महिला		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	अध्ययन जारी	42	17.95	31	14.49	73	16.29
2.	अध्ययन समाप्त	123	52.56	77	35.98	200	44.65
3.	निरक्षर	69	29.49	106	49.53	175	39.06
योग		234	100.00	214	100.00	448	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 0–5 वर्ष के उम्र समूह की जनसंख्या को छोड़कर कुल जनसंख्या में से 16.29 प्रतिशत व्यक्तियों ने किसी न किसी स्तर की शिक्षा प्राप्त करने अध्ययन वर्तमान में जारी है। जिसमें पुरूषों की साक्षरता (17.95 प्रतिशत) की तुलना में महिलाओं की साक्षरता (14.49 प्रतिशत) कम दिखाई देती है। वही सर्वेक्षित परिवारों में 39.06 प्रतिशत व्यक्ति निरक्षर पाये गये जिसमें महिलाओं की संख्या (49.53 प्रतिशत) पुरूषों की संख्या (29.49 प्रतिशत) की तुलना में बहुत अधिक है।

2. शालागामी उम्र (6–14 वर्ष) में साक्षरता

सर्वेक्षित पारधी परिवारों में शाला जाने योग्य 6–14 वर्ष के बच्चों में से शासन के प्रयास व संवैधानिक उपाय के पश्चात् भी कुछ बच्चे पारिवारिक आर्थिक स्थिति की कमजोरी, घर में छोटे बच्चों के देखभाल, पशुचारण, अरूची एवं जागरूकता की कमी आदि कारणों से शाला जाने से वंचित है। शालागामी उम्र के पारधी बच्चों में साक्षरता की स्थिति निम्न तालिका में दर्शित अनुसार पाया गयाः–

तालिका क्रमांक–17

सर्वेक्षित परिवारों में शालागामी उम्र (6–14 वर्ष) में साक्षरता

क्र.	साक्षरता	व्यक्ति (6–14 उम्र समूह)					
		पुरूष		महिला		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	साक्षर	38	92.68	26	74.28	64	84.21
2.	निरक्षर	03	07.32	09	25.72	12	15.79
योग		41	100.00	35	100.00	76	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित पारधी समुदाय में शालागामी उम्र (06–14 आयु वर्ग) में कुल साक्षरता 84.21 प्रतिशत पायी गई जिसमें पुरूष साक्षरता 92.68 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता 74.28 प्रतिशत पायी गई जो कि इस उम्र समूह के पुरूषों की तुलना में अधिक है। जबकि इसके विपरित 15.79 प्रतिशत व्यक्ति 6–14 वर्ष की उम्र समूह में निरक्षर पाये गये, जिसमें महिला निरक्षरता (25.72 प्रतिशत) की तुलना में पुरूष निरक्षरता (07.32 प्रतिशत) की संख्या अधिक हैं।

अध्याय – 06

आर्थिक–जीवन

आदिकालीन आर्थिक संगठन के अन्तर्गत उनके घर, पहनावा, औजार तथा आर्थिक क्रियाओं के स्वरूप और प्रकृति के उस क्षेत्र में उपलब्ध सीमित साधनों पहाड़, नदियां, खदाने, जंगल, फूल–फल, पशु–पक्षी आदि के अनुसार ही निश्चित और नियत्रित होती है।

6.1 सम्पत्ति की अवधारणा

पारधी जनजाति में स्वामित्व के आधर पर सम्पत्ति को तीन भागों में बांटा जा सकता है:–

1. व्यक्ति सम्पत्ति
2. पारिवारिक सम्पत्ति
3. सामूहिक सम्पत्ति

1. व्यक्तिगत सम्पत्ति

पारधी जनजाति समुदाय के किसी सदस्य द्वारा स्वयं की मेहनत से अर्जित अथवा क्रय की गई वस्तुयें व्यक्तिगत सम्पत्ति मानी जाती है। इसमें मोटर सायकल, मोबाइल, सायकल, ज्वेलरी, घड़ी आदि आते हैं।

2. पारिवारिक सम्पत्ति

परिवार के सदस्यों द्वारा परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राप्त सम्पत्ति अथवा बटवारा से प्राप्त पैतृक सम्पत्ति आदि पारिवारिक सम्पत्ति के अन्तर्गत आती है। इसके अन्तर्गत जमीन, घर, पशु, बैलगाड़ी, अनाज, पेड़–पौधे आदि आते हैं।

3. सामूहिक सम्पत्ति

इस समाज में सामुहिक सम्पत्ति के अन्तर्गत मंदिर, ग्राम, तालाब, चारागाह आदि तथा ग्राम के भौगोलिक–राजनितिक क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले नाले, पहाड़, वन आदि समुदाय की सामुहिक माना जाता है। जिसमें सभी लोगों का समान अधिकार एवं स्वामित्व होता है।

6.2 सम्पत्ति का हस्तांतरण

पारधी जनजाति समुदाय में पितृवंशीय, पितृस्थानीय सामाजिक व्यवस्था पायी जाती है जिसके फलस्वरूप सम्पत्ति या सत्ता का हस्तांतरण पिता से पुत्रों को प्राप्त होता है। पिता द्वारा अर्जित सम्पत्ति व पैतृक सम्पत्ति में उसके सभी पुत्रों का अधिकार होता है। सम्पत्ति के हस्तांतरण के समय इस समुदाय में परिवार के ज्येष्ठ पुत्र को अन्य की तुलना में कुछ ज्यादा सम्पत्ति या जमीन दी जाती है। जिसे स्थानीय बोली में ''ज्येष्ठोसी'' कहा जाता है। पारधी समाज यह मानती है कि बड़ा पुत्र अपने छोटे भाई–बहनों की परवरिश, शिक्षा, विवाह, कृषि आदि में पिता का सहयोग करता है इसी कारण ''ज्येष्ठोसी'' वितरण की इस प्रक्रिया में छोटे भाईयों को भी आपत्ति नहीं होती तथा इसे समाज द्वारा निर्धारित नियम मानते हुए इसका अनुपालन भी करते हैं। सामाजिक तौर पर पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों का अधिकार प्रायः नहीं पाया जाता।

इस समुदाय में विशेष परिस्थिति जैसे पिता के केवल पुत्री संतान हो तो पिता कोशिश करता है कि पुत्री के विवाह पश्चात् दामाद उसी के घर पर रहे अर्थात् ''घरजिया (घरजमाई)'' विवाह को प्राथमिकता देता है तथा सम्पत्ति का हस्तांतरण अपनी पुत्री एवं दामाद को करता है।

यदि किसी दम्पत्ति की कोई संतान न हो तो वह अपने भाई के पुत्र अथवा बहन के पुत्र (भांजा) को 'गोद' लेता है और सम्पत्ति का हस्तांतरण करता है।

6.3 आर्थिक संरचना

पारधी जनजाति की आर्थिक व्यवस्था में स्त्री–पुरूष दोनों जुड़े हुये होते है। वर्तमान समय में पारधी जनजाति के लोग झाड़ू, चटाई एवं टोकनी आदि बनाने के लिये दोनों एक दूसरे का हाथ बटाते है। पहले पारधी जनजाति के लोगों का जीवकोपार्जन का प्रमुख साधन '' शिकार'' करना था। परन्तु वनों एवं पशु–पक्षियों का राष्ट्रीयकरण हो जाने के कारण वर्तमान समय में झाड़ू, चटाई एवं टोकनी आदि बनाकर घूम–घूम कर बेचना, साथ ही साथ कृषि, कृषि मजदूरी, मजदूरी आदि कार्यो में संलिप्त होकर अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते है।

तालिका क्रमांक–18
सर्वेक्षित परिवारों की भूमि धारिता का वितरण

क्र.	श्रेणी	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1.	भूमिधारक	48	40.00
2.	भूमिहीन	72	60.00
योग		120	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित 120 परिवारों में 40.00 प्रतिशत परिवारों के पास कुछ न कुछ मात्रा में कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है। जबकि 60.00 प्रतिशत परिवार भूमिहीन पाये गये।

2. कृषि भूमि का वितरण

सर्वेक्षित पारधी जनजाति के कुल 120 परिवारों में 40 प्रतिशत परिवारों के पास कृषि भूमिं उपलब्ध है। जिसमें ये परम्परागत तथा वर्तमान पद्धति के अनुसार कृषि कार्य करते है। सर्वेक्षित जनजाति के जिन सदस्यों के पास कृषि भूमि उपलब्ध है, वे पारम्परिक तकनीकी के साथ–साथ वर्तमान कृषि पद्धति अनुसार कृषि कार्यो में संलग्नता है। सर्वेक्षित क्षेत्र में इनके द्वारा मुख्य रूप से धान, गेहूं, तिवरा (लाखड़ी) आदि की खेती की जाती है। जिसमें यह बोआई हेतु बैल–हल के साथ ट्रैक्टर के माध्यम से बोआई का कार्य किया जाता है। निदाई एवं लुवाई के लिए मानवीय संसाधनों मजदूरी का उपयोग एवं मिजांई हेतु बेलन एवं आधुनिक उपकरण ट्रैक्टर, थ्रेसर संसाधनों का उपयोग करते है। सर्वेक्षित परिवारों में कृषि भूमि का वितरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया हैः–

तालिका कमांक–19
सर्वेक्षित परिवारों में कृषि भूमि का वितरण

क्र.	वितरण	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1.	भूमिहीन	72	60.00
2.	एक एकड़ से कम	13	10.83
3.	01 से 05 एकड़	33	27.50
4.	05 एकड़ से अधिक	02	01.67
	योग	120	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित 120 परिवारों में 72 (60.00 प्रतिशत) परिवार भूमिहीन पाये गये, 27.50 प्रतिशत परिवारों के पास 1 से 5 एकड़, 10.83 प्रतिशत परिवारों के पास 1 एकड़ से कम भूमि एवं 01.67 प्रतिशत परिवारों के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि उपलब्ध है।

3. कृषि मजदूरी

सर्वेक्षित पारधी जनजाति के अधिकांश परिवारों जिनके पास कृषि हेतु भूमि उपलब्ध नही होने के कारण भूमि वाले परिवारों की भूमि में मजदूरी करने जाते है। कृषि मजदूरी का समय वर्ष में केवल 4–6 माह ही होता है। इनके द्वारा मजदूरी पर दैनिक रूप से 100–150 रू की पारिश्रमिक प्राप्त होती है।

4. मजदूरी

जब कृषि मजदूरी कार्य समाप्त हो जाता है, तब ये लोग अन्य कार्यो जैसे– घर निर्माण, सड़क निर्माण, तालाब गहरीकरण एवं मनरेगा के तहत् ग्राम के कार्यो में भी मजदूरी का कार्य करते है, इसके साथ ही साथ व्यवसाय के रूप मे झाड़ू, चटाई एवं टोकनी निर्माण का कार्य भी किया जाता है। सर्वेक्षित परिवारों में विभिन्न व्यवसाय में संलग्नता को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:–

तालिका क्रमांक–20

सर्वेक्षित परिवारों में व्यवसाय में संलग्नता का विवरण

क्र.	व्यवसाय	संलग्न परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1.	झाड़ू, चटाई, टोकनी	88	73.33
2.	कृषि	65	54.16
3.	कृषि मजदूरी, अन्य मजदूरी	94	78.33
4.	वनोपज	15	12.50
5.	पशुपालन	18	15.00
6.	अन्य	06	05.00
कुल सर्वेक्षित परिवार– 120			

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, कि पारधी जनजाति के कुल सर्वेक्षित परिवारों में से 73.33 परिवार वर्तमान में झाड़ू, चटाई एवं टोकनी का व्यवसाय में संलग्न है। उक्त जनजाति प्रारम्भ में घुमन्तू जीवन व्यतीत करते थे, परन्तु पशु–पक्षी का राष्ट्रीयकरण होने के कारण वे अपने मूल कार्य को छोड़कर व्यवसाय के रूप में झाड़ू, चटाई एवं टोकनी निर्माण का कार्य में संलग्नता दिखाई देती है। 78.33 प्रतिशत परिवार कृषि मजदूरी एवं अन्य मजदूरी में संलग्न होकर अपने परिवार का भरण–पोषण कर रहे है, 15.00 प्रतिशत परिवार पशुपालन में संलग्न है। 12.50 प्रतिशत परिवार वनोपज में एवं 05 प्रतिशत परिवार अन्य कार्यो जैसे– सब्जी बेचना, दूकान आदि का कार्य कर जीवनयापन कर रहे है।

5. कार्यशील जनसंख्या

सर्वेक्षित परिवारों में कार्यशील जनसंख्या का व्यवसाय में संलग्नता का विवरण निम्नानुसार तालिका में दर्शित है:–

तालिका क्रमांक –21

सर्वेक्षित परिवारों में व्यवसाय में संलग्न कार्यशील जनसंख्या

क्रं.	संलग्नता	संलग्न कार्यशील जनसंख्या					
		पुरूष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	कृषि	46	25.28	26	23.61	72	24.74
2	मजदूरी, कृषि मजदूरी	61	33.52	32	29.36	93	31.96
3	झाड़ू, चटाई, टोकनी	58	31.87	41	37.62	99	34.02
4	वनोपज	08	04.39	03	02.75	11	03.78
5	शासकीय नौकरी	03	01.65	–	–	03	01.03
6	अन्य	06	03.29	07	06.42	13	04.47
योग		182	100.00	109	100.00	291	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित पारधी जनजाति के कार्यशील सदस्यों में से सर्वाधिक 34.02 प्रतिशत सदस्य की सहभागिता वर्तमान में अपनाये गये झाड़ू, चटाई एवं टोकनी बनाने में देखने को मिलती है, 31.96 प्रतिशत सदस्य मजदूरी एवं कृषि मजदूरी के कार्य में, 24.74 प्रतिशत सदस्य कृषि कार्यो में, 04.47 प्रतिशत सदस्य अन्य कार्य में संलग्न पाये गये है।

उक्त जनजाति में वर्तमान व्यवसाय में पुरूषों की तुलना में स्त्री सदस्यों की सहभागिता अधिक देखने को मिलती है।

6.4 समस्त स्रोतों से वार्षिक आय

पारधी जनजाति समुदाय के लोग सीमित साधनों से अपनी आजीविका चलाते हैं। इस समुदाय में कृषि, वनोपज, व्यवसाय, मजदूरी, पशुपालन आदि से उनके वार्षिक आय की निर्भरता होती है। सर्वेक्षित परिवारों में समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय का विवरण निम्नानुसार तालिका में प्रदर्शित है।

तालिका क्रमांक–22
सर्वेक्षित परिवारों में समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय

क्र.	आय के स्रोत	संलग्न परिवार	कुल वार्षिक आय (रूपये में)	प्रति परिवार औसत आय (रूपये में)	कुल वार्षिक आय में विभिन्न मदों की सहभागिता
1.	कृषि	61	581200	9527	13.15
2.	मजदूरी, कृषि मजदूरी	66	1281000	19409	28.98
3.	झाड़ू, चटाई , टोकरी	99	1510000	15252	34.16
4.	वनोपज	15	72000	4800	01.63
5.	नौकरी	03	720000	240000	16.29
6.	अन्य	36	255900	7108	05.79
कुल सर्वेक्षित परिवार–120			4420100	36834	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, सर्वेक्षित पारधी जनजाति के परिवारों में कृषि, कृषि मजदूरी, झाडू, चटाई, टोकनी आदि स्त्रोत से कुल 4420100 रूपये की वार्षिक आय प्राप्त हुई है, जो औसतन प्रति परिवार वार्षिक आय 36834 रूपये है।

सर्वेक्षित परिवारों में कुल वार्षिक आय का सर्वाधिक 34.16 प्रतिशत भाग उनके मुख्य व्यवसाय झाडू, चटाई एवं टोकनी निर्माण से होता है। 28.98 प्रतिशत मजदूरी, कृषि मजदूरी से, 13.15 प्रतिशत कृषि से, शासकीय तथा अर्द्धशासकीय सेवा से 16.29 प्रतिशत, 01.63 प्रतिशत वनोपज एवं 05.79 प्रतिशत अन्य आय की सहभागिता से वार्षिक आय प्राप्त की जाती है।

6.5 कुल वार्षिक आय का वितरण

सर्वेक्षित पारधी जनजाति परिवारों के वार्षिक आय का वितरण निम्नानुसार पाया गयाः–

तालिका क्रमांक–23
सर्वेक्षित परिवारों में वार्षिक आय का वितरण

क्र.	वार्षिक आय श्रेणी	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1.	10000 रू. से कम	01	00.83
2.	10001 से 20000 रू. तक	05	04.16
3.	20001 से 30000 रू. तक	21	17.50
4.	30001 से 40000 रू. तक	41	34.17
5.	40000 रू. से अधिक	52	43.34
	योग	120	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित पारधी परिवारों में से सर्वाधिक 43.34 प्रतिशत परिवारों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 40000 रू. के मध्य पाया गया। तत्पश्चात् 34.17 प्रतिशत परिवारों की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 30001 से 40000 रू. के बीच, 17.50 प्रतिशत परिवारों की वार्षिक आय 20001 से 30000 रू. के बीच, 04.16 प्रतिशत परिवारों की वार्षिक आय 10001–20000 रू. के बीच पायी गई। 00.83 प्रतिशत परिवार ऐसे भी हैं जिनकी वार्षिक आय 10000 रू. से भी कम है।

6.6 व्यय

पारधी जनजाति समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न मदों में व्यय भी करता है, जिसमें मुख्य रूप से भोजन, सामाजिक कार्यों जैसेः– जन्म, मृत्यु, आवास, कपड़े, शिक्षा, धार्मिक कर्मकाण्डों तथा अन्य व्यय जैसेः– स्वास्थ्य, साप्ताहिक हाट–बाजार में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, मादक पेय पदार्थ, तम्बाकू, गुड़ाखू आदि व्यय में किया जाता है। सर्वेक्षित परिवारों में व्यय मदों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार पाया गयाः–

तालिका क्रमांक–24

सर्वेक्षित परिवारों में वार्षिक व्यय वितरण

क्र.	व्यय मद	परिवार		वार्षिक कुल व्यय (रूपये में)	प्रति परिवार वार्षिक औसत व्यय (रूपये में)
		संख्या	प्रतिशत		
1.	भोजन	120	100.00	3882000	32350
2.	मकान निर्माण,मरम्मद	38	31.66	82000	2157
3.	कपड़े	120	100.00	129600	1080
4.	शिक्षा	36	30.00	35400	983
5.	सामाजिक कार्य	32	26.66	28900	903
6.	धार्मिक कार्य	46	38.33	18700	406
7.	आभूषण	24	20.00	80300	3345
8.	चिकित्सा	98	81.66	298000	3040
9.	अन्य	63	52.50	389000	6174
कुल सर्वेक्षित परिवार–120				4943900 .00	41199

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित पारधी परिवारों के समस्त मदों में प्रति परिवार औसत वार्षिक व्यय 41199.00 रू. पाया गया, जिसमें प्रति परिवार औसत रूप से भोजन पर 32350.00 रू. वार्षिक व्यय करते पाये गये। इसी प्रकार 31.66 प्रतिशत परिवारों द्वारा मकान निर्माण एवं मरम्मत पर प्रति परिवार औसत व्यय 2157.00 रू, कपड़े पर प्रति परिवार औसत व्यय 1080 रू, 30 प्रतिशत परिवारों द्वारा शिक्षा पर प्रति प्ररिवार औसत व्यय 983 रू , सामाजिक कार्यों

(जन्म, विवाह एवं मृत्यु) में 26.66 प्रतिशत परिवारों द्वारा प्रति परिवार औसत वार्षिक व्यय 903 रू, 38.33 प्रतिशत परिवारों द्वारा धार्मिक कार्यों में प्रति परिवार वार्षिक व्यय 406.00रू., आभूषण पर 20 प्रतिशत परिवारों द्वारा औसत प्रति परिवार वार्षिक व्यय 3345.00 रू., चिकित्सा पर 81.66 प्रतिशत परिवारों द्वारा प्रति परिवार औसत वार्षिक व्यय 3040 रू. एवं अन्य मदों विशेषकर साग भाजी, मादक पेय पदार्थों आदि सामग्रियों पर 52.50 प्रतिशत परिवारों द्वारा प्रति परिवार वार्षिक व्यय 6174.00 रू. व्यय करते पाये गये।

6.7 कुल वार्षिक व्यय में विभिन्न मदों की सहभागिता

पारधी जनजाति के सर्वेक्षित परिवारों के कुल वार्षिक व्यय में विभिन्न व्यय मदों की सहभागिता निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार पाया गयाः—

तालिका क्रमांक—25

सर्वेक्षित परिवारों के वार्षिक व्यय में विभिन्न मदों की सहभागिता

क्र.	व्यय मद	कुल वार्षिक व्यय (रूपये में)	कुल वार्षिक व्यय में सहभागिता का प्रतिशत
1.	भोजन	3882000	78.52
2.	मकान	82000	01.66
3.	कपड़े	129600	02.62
4.	शिक्षा	35400	00.72
5.	सामाजिक कार्य	28900	00.58
6.	धार्मिक कार्य	18700	00.38
7.	आभूषण	80300	01.63
8.	चिकित्सा	298000	06.03
9.	अन्य	389000	07.86
योग		4943900	100.00

उपरोक्त तालिकानुसार सर्वेक्षित परिवारों द्वारा समस्त मदों में किये गये कुल वार्शिक व्यय में सर्वाधिक 78.52 प्रतिशत भाग भोज्य पदार्थों पर किया गया। इसी प्रकार मकान निर्माण एवं मरम्मत पर 01.66 प्रतिशत की सहभागिता, कपड़ों पर 02.62 प्रतिशत की सहभागिता, सामाजिक कार्य पर 00.58 प्रतिशत की सहभागिता, धार्मिक कर्मकाण्डों पर 00. 38 प्रतिशत, आभूषण पर 01.63 प्रतिशत भाग तथा अन्य व्यय मदों पर 07.86 प्रतिशत की सहभागिता का होना पाया गया।

सर्वेक्षित परिवारों में शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मदों पर कुल वार्षिक व्यय का मात्र 00.72 प्रतिशत औसत वार्षिक व्यय की सहभागिता पाई गई। जबकि स्वास्थ्य पर 06.03 प्रतिशत की सहभागिता का होना पाया गया।

6.8 कुल वार्षिक व्यय का वितरण

सर्वेक्षित पारधी जनजाति में कुल वार्षिक व्यय श्रेणी का वितरण निम्न तालिका अनुसार पाया गया:—

तालिका क्रमांक—26
सर्वेक्षित परिवारों में वार्षिक व्यय का वितरण

क्र.	वार्षिक व्यय श्रेणी (रूपये में)	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1.	10000 रू. से कम	01	00.83
2.	10001 से 20000 रू. तक	02	01.66
3.	20001 से 30000 रू तक	35	29.17
4.	30001 से 40000 रू तक	49	40.84
5.	40000 रू से अधिक	33	27.50
योग		120	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों में सर्वाधिक 40.84 प्रतिशत परिवारों का समस्त मदों से वार्षिक व्यय रू. 30001 रू. 40000 रू. के बीच पायी गई, वही 29.17 प्रतिशत परिवारों का 20001 रू. से 30000 रू. तक, 27.50 प्रतिशत परिवारों का 40000 रू. से अधिक तक, 01.66 प्रतिशत परिवारों का 10001 रू. से 20000 रू. तक वार्षिक व्यय पाया गया।

सर्वेक्षित परिवारों में 00.81 प्रतिशत परिवार ऐसे भी हैं जिनकी वार्षिक व्यय 10000 से भी कम है। कुल सर्वेक्षित परिवारों का समस्त मदों में औसत वार्षिक व्यय 41199.00 रू. पाया गया।

6.9 श्रम विभाजन

पारधी जनजाति में आयु एवं लिंग के आधार पर परिवार के सभी सदस्यों की दैनिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यों में भूमिकायें निर्धारित होती हैं। इस समुदाय में परिवार के सदस्यों में निम्नानुसार श्रम विभाजन पाया जाता है:—

1. पुरूष वर्ग में श्रम विभाजन

इस समुदाय में बच्चे प्रायः वनोपज संकलन, पशु चराने एवं घर के अपने छोटे भाई–बहनों की देखभाल आदि करते हैं। वही युवा वर्ग घर की आर्थिक गतिविधियों एवं प्रमुख कार्यों जैसे घर निर्माण, छत छाना, हल चलाना, पशुओं की देखभाल, मजदूरी, मिंजाई, भण्डारण, शिकार आदि कार्यों में संलग्न रहते हैं। साथ ही साथ धार्मिक कार्यों का सम्पादन भी करते हैं, जबकि वृद्ध पुरूष घर में बच्चों की देखभाल, रस्सी बनाने, मिंजाई एवं भण्डारण में सहायता करना, धार्मिक कार्यों में पूजापाठ, बलि देना एवं राजनैतिक कार्यों में संलग्न रहते हैं।

2. महिला वर्ग में श्रम विभाजन

इस समुदाय में लड़कियां घरेलू दैनिक कार्यों जैसे–झाड़ू लगाना, पानी भरना, कपड़े धोना, पशु चराना, वनोपज संकलन में हाथ बंटाना एवं घर में छोटे भाई–बहनों के देखरेख करने में अपना योगदान देती है। वही महिलायें सभी दैनिक घरेलू कार्यों एवं गतिविधियों में सहयोग देती है। इस समाज में महिलाओं को हल चलाने, छत छाने, शिकार करने बलि देने, कर्मकाण्ड करने एवं राजनैतिक कार्यों में हिस्सा लेने में मनाही है। वही वृद्ध महिलायें प्रायः झाड़ू लगाना, लिपाई–पुताई, पशुओं के कोठा की साफ–सफाई, धान कुटाई, खेतों में निंदाई, आदि घरेलू कार्यों में अपना योगदान देती है।

अध्याय – 07

धार्मिक–जीवन

प्राचीन समय से ही मानव समाज में धर्म का अस्तित्व किसी न किसी रूप में अवश्य रहा है। मानवशास्त्रीयों के अनुसार धर्म संस्कृति के उन तत्वों में से एक है, जो सर्वत्र पाया जाता है। आदिम समाजों में व्यक्ति विशेष, स्थान, प्राकृतिक वस्तुओं को धार्मिक विश्वास का आधार बनाया जाता है। जनजातीय समाजों में काल्पनिक देवी–देवतओं की पूजा–अर्चना द्वारा अलौकिक शक्ति को नियन्त्रित किया जाता है।

पारधी जनजाति आत्मा, अलौकिक शक्ति एवं प्राकृतिक देवी–देवताओं पर विश्वास करती है। इनके धर्म दैनिक जीवन, सामाजिक, आर्थिक एवं जीवन संस्कारों से जुड़ा हुआ होता है। यह सामाजिक एकीकरण एवं समरसता बनाये रखने हेतु आवश्यक है। पारधी समुदाय हिन्दु धर्म को आत्मीयता से मानती है। हिन्दू देवी–देवताओं की पूजा–अर्चना के साथ–साथ आदिम विश्वासों और धार्मिक संस्कारों से भी जुड़े हुये होते है। पारधी जनजाति में निम्नानुसार देवी–देवताओं की पूजा की जाती है।

7.1 गृह देवी–देवता

पारधी जनजाति में गृह देवी–देवता गोत्र के अनुसार होते है। प्रत्येक गोत्र समूह के अलग–अलग कुल देवी–देवताएं होती है, और इनके सदस्य आभार स्वरूप त्यौहारों, उत्सवों आदि पर पूजा–अर्चना करते है। प्रत्येक घर में गृह देवी –देवताओं के प्रतीकात्मक रूप में स्थापित किया जाता है।

पारधी जनजाति के गृह देवी–देवताओं में मुख्य रूप से नवकोड़ और देवी पारधान को अपना आराध्य मानते है, तथा आपदा और विपत्तियों के समय इनकी पूजा–पाठ की जाती है। इन देवी–देवताओं पर धूप–दीप जलाकर मुर्गा, बकरा आदि की बलि चढ़ाकर पारिवारिक शांति, समृद्धि की याचना की जाती है।

पारधी जनजाति के आदिम देवी–देवताओं में छप्पन कोड, देवी अघाई, भरकदेव, सावली देवी, इतीत देवी, तीस कोड, सिंगाली देवी, मालिया देवी, नीम कोड, देवी नोकोर, रायसकोतर आदि प्रमुख है। पारधी समाज के कुछ परिवारों में अन्य समाज से प्रभावित होकर गौशाला, आंगन आदि में देवी–देवताओं की स्थापना कर पूजा–पाठ की जाती है।

हिन्दू धर्म के प्रभाव में हिन्दू देवी–देवताओं जैसे– लक्ष्मी–नारायण, शंकर–पार्वती, श्रीराम–सीता, राधा–कृष्ण, श्री गणेश, हनुमान, कालीमाता आदि को भी पूजा–अर्चना की जाती है।

7.2 ग्राम देवी–देवता

पारधी जनजाति में ग्राम स्तर पर अनेक देवी–देवता पाये जाते है। जिन्हें ग्राम के सभी सदस्य समान रूप से अपना आराध्य मानते है। जिनकी विशेष अवसरों पर पूजा–पाठ की जाती है। ग्राम की खुशहाली, समृद्धि एवं आपदाओं से रक्षा के उद्देश्य से इनकी स्थापना की जाती है। ग्राम के मुख्य देवता में ठाकुर देव को जाना जाता है, जो अन्य देवी–देवताओं को उनके कार्यो के लिए निर्देशित करते है। बूढ़ादेव ग्राम के सभी सदस्यों के क्रियाकलापों पर इनकी दृष्टि रहती है, इन्हें गौरादेव के नाम से भी जाना जाता है। बूढ़ादेव प्राकृतिक तथा अति मानवीय शक्तियों से ग्राम की रक्षा करते है। बंजारी माता का निवास ग्राम की बाहरी सीमा पर वन से लगा होता है, जो वनों में हिंसक जानवरों से रक्षा, पालतू पशुओं की रक्षा एवं वन में शिकार दिलाने के लिए जाने जाती है। धरम देव ग्राम के मध्य में निवास करते है, जो ग्राम को भूत–प्रेत, पिचास, जादू–टोना एवं प्राकृतिक आपदा से रक्षा करते है।

इसके अतिरिक्त भी ग्राम में समलाई माता, डिहारिन देवी, मुलक गिरि (शीतला), फरक (जंगल में), सिकोतर (नदी, नाले में), बघाई (बंजारी माता), भैसासुर, राऊत राय आदि देवी–देवता पाये जाते है, जिन्हें प्रत्येक त्यौहारों एवं उत्सवों में नारियल, धूप, अगरबत्ती, चावल, गुलाल आदि से पूजा–अर्चना कर ग्राम की खुशहाली एवं समृद्धि की कामना की जाती है।

7.3 त्यौहार

पारधी जनजाति में त्यौहार आमोद–प्रमोद का मुख्य साधन है। त्यौहारों में इनके सदस्य अपने दुखों को भूल कर खुशी का इजहार सामूहिक रूप से लोकगीत एवं नृत्य के माध्यम से हर्षोउल्लास करते है। पारधी जनजाति के प्रमुख त्यौहार निम्नलिखित हैः–

1. अक्तीः

यह त्यौहार वैशाख माह में शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन मनाया जाता है। ठाकुर देव में महूंआ भुनकर चढ़ाते है, और अपने बाड़े या खेत में फसल (धान) बोनी की शुरूवात करते है। यह त्यौहार अच्छी पैदावार की प्राप्ति के उद्देश्य से मनाया जाता है।

2. हरेली

यह त्यौहार सावन माह के अमावस्या को मनाया जाता है। इसे ग्राम देवी–देवता एवं कुल देवी–देवताओं की पूजा, पशुओं को बीमारियों से रक्षा एवं ग्राम सुरक्षा की दृष्टि से मनाया जाता है। इस दिन ग्राम के ''देवतला'' में धार्मिक मुख्य (बैगा) बकरा या मुर्गा की बलि चढ़ाकर पूजा–पाठ करता है।

बैगा ग्राम में प्रत्येक घर द्वार पर बुरी आत्माओं के प्रकोप से बचाव हेतु नीम एवं भेलवा पेड़ की टहनी लगाता है प्रत्येक घर गृह देवी–देवताओं की पूजा के पश्चात् कृशि उपकरणों की पूजा नारियल, धूप, दूध, अगरबत्ती आदि से की जाती है। कुछ परिवारों में मुर्गा–मुर्गी की बलि देने की भी परम्परा है। इस दिन प्रत्येक घर में पकवान बनाया जाता है, और उत्सव मनाया जाता है।

3. नवाखाई

नवाखाई आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी अर्थात दशहरा के दिन मनाया जाता है। इस दिन नये चावल की खीर एवं रोटी बनाकर अपने आराध्य देवी–देवताओं में भोग लगाते है। इसे नये फसल के तैयार होने की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन देवालय में धार्मिक मुख्यिा धान की नई बालियों से ग्राम देवी–देवताओं की पूजा–अर्चना करता है, और प्रत्येक घर के चौखट पर नये धान की बालियॉ बांधता है।

4. पोरा

यह त्यौहार भादो माह के अमावस्या को मनाया जाता है, इस दिन प्रत्येक घर में बैल की पूजा की जाती है, जिसके लिए मिट्‌टी से निर्मित ''नादिया बैल'' (नंदि बैल) की पूजा–अर्चना कर घर में बने पकवान का भोग लगाकर किया जाता है।

5. तीजा

यह त्यौहार भादो माह में शुक्ल पक्ष तृतीया को तीजा मनाया जाता है। इस दिन भाई अपने विवाहित बहनों को मायका लाता है। महिलायें नये परिधान और आभूषण पहनकर अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती है, और घर में खुरमी, ढेढरी, अड़सा एवं सूजी आदि का पकवान बनाकर पूजा–अर्चना की जाती है। दूसरे दिन सुबह पूजा कर व्रत को तोड़ती है।

6. गड्हा पूरखा (पूर्वज देव)

पारधी समुदाय अपने मृत पूर्वजों को गड्हा पूरखा बोलते है, तथा उन्हें पितर के रूप में मानते है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में विशेष रूप से पितृपक्ष मनाया जाता है, इस दिन विशेष प्रकार के पकवान बनाये जाते है। मृत पूर्वजों का नाम लेकर उनको तुराई के पत्तों में उड़द की दाल, चावल एवं कुशा घास के साथ पानी अर्पित करते है। विभिन्न प्रकार के बने पकवानों का भोग लगाया जाता है। पितरों को भोग लगाने के पश्चात् ही घर के सदस्य भोजन करते है। प्रायः जिस तिथि को पूर्वज की मृत्यु हुई होती है। उसे उसी तिथि को पितर के रूप में मानते है।

7. नवराता (नवरात्री)

पारधी जनजाति नवराता त्यौहार को विशेष रूप से बड़े धूम–धाम से मनाते है। चैत नवरात्रि में नौ देवीयों के लिए ज्वारा लगाये जाते है। जिसमें दुर्गा माता के नौ रूपों की पूजा–अर्चना की जाती है। कुछ स्थानों में बलि देने की भी प्रथा है, जिसमें बलि देने के पूर्व इनके सदस्य घेरे में बैठकर देवी की स्तुति करते है। इस समय मृदंग, झांझ आदि वाद्ययंत्रों के साथ देवी की स्तुति करते हुए निम्नलिखित प्रार्थना करता हैः–

आओ माता श्री हम तुमको प्रार्थना करते है

जीना बोलो, जीना बोलो, जीना बोलो,

जीना सुनिला, सुनिला माता श्री आज,

नगर की देवी भवानी ला बार–बार,

जीना सुनिला माता श्री जीना बार–बार

जीना तुसा पुकारू माता श्री बार–बार

भावार्थः– हे देवी मॉ हमें सुख और शांति देना, हमें शक्ति देना, हमारे बाल–बच्चे स्वस्थ्य रहें, घर में कोई कलह और बिमारी न आये, और हमारी मनोकामना पूरी हो, हम आपको बार–बार विनती करते है।

पारधी जनजाति में ऐसा विश्वास है कि देवी माता को स्तुति करने के पहले बकरा का कटा सिर एवं बदन हिलेगा तभी मनोकामना पूर्ण होती है। स्तुति के बाद मुखिया बकरे का बलि देता है।

नवरात्री के अष्ठमी के दिन का देवी जोहारना कहते है। इनमें ऐसा विश्वास है कि इस दिन जिस महिला में देवी माता सवार होती है, उसे ओतर–ओतरियों कहते है। इस नवरात्र में देवी की पूजा–अर्चना करने वाले धार्मिक व्यक्ति को ''पण्ड़ा'' कहते है। पण्ड़ा व्यक्ति के बाल बड़े–बड़े होते है, उसे लंहगा–चोली आदि पहनना होता है। साफ–सुथरा एवं शुद्ध विचारों वाला मन रखना होता है। क्योकि अशुद्ध होने पर देवी माता उसे दण्ड़ित करती है। उसकी शुद्धता की पहचान अष्ठमी के कढ़ाई में शुद्ध तेल एवं घी को डालकर गर्म किया जाता है, और पण्ड़ा उस खौलते हुए तेल में अपने बालों को भिगो कर झुमते–झुमते तेल से नहाना होता है। यदि उस खौलते तेल के स्नान से पण्ड़ा के शरीर में छाला या फोड़ा नहीं निकलता तो उसे शुद्ध माना जाता है अन्यथा अपवित्र माना जाता है, और उसे अपवित्रता के लिए दण्डित भी किया जाता है।

पवित्र होने की स्थिति में पण्ड़ा स्वयं अपने हाथों से रोटी बनाता है। और खौलते तेल में पक रहे रोटी को हाथ से ही निकाल लेता है। बिना किसी साधन के खौलते तेल से रोटी निकाले जाने के प्रति उनका विश्वास है कि शुद्ध मन से पूजा–अर्चना करने के कारण कुछ नहीं होता। उपरोक्त पूजा विधि को उपस्थित सभी सदस्य बड़ी उत्सुकता से देखते है।

इस प्रकार पण्ड़ा 21 नग ''सोहारी''(पुड़ी) और 21 नग ''गुलगुला'' पकवान बनाया जाता है। पूरे नौ दिन तक उपवास व्रत रखता है, केवल दूध एवं घी का सेवन करता है। पण्ड़ा के अलावा भी खौलते तेल से रोटी निकालने की प्रथा है। जिस व्यक्ति में कोई खोट या अशुद्धि होती है। उसके हाथ में फोड़ा निकल आता है। कटे हुए बकरे के रक्त से देवी माता का बंदन किया जाता है, और पूजा–अर्चना कर संतान प्राप्ति, सुख–शांति एवं समृद्धि की कामना की जाती है। नौवे दिन सभी लोग मृदंग आदि वाद्ययंत्रों के साथ जवारा विसर्जन के लिए जुलूस निकालते है। और देवी माता की स्तुति करते हुए जवारा को विसर्जित कर देते है। नवरात्र में नौ माताओं की आराधना को भक्ति के रूप में देखा जाता है। इनमें ऐसा धार्मिक विश्वास है कि पारधी समुदाय को नेक कार्य करने की प्रेरणा मिलती है।

इसके अतिरिक्त पारधी समुदाय हिन्दू धर्म के अन्तर्गत आने वाले त्यौहारों जैसे–दीपावली, दशेला (दशहरा), होली, रक्षाबंधन, गणेश उत्सव, नाग पंचमी आदि को भी हर्षोउल्लास के साथ मनाया जाता है।

7.4 आत्मा

पारधी समुदाय आत्मावादी विचारधारा में विश्वास करती है। ये आत्मा में विश्वास को मानते है, और मृत्यु उपरांत अलग–अलग शरीर (जीव) के माध्यम से पुर्नजन्म में इनका विश्वास है। पितर (पूर्वज देव) आत्मा के रूप में अपने वंशजो की सुरक्षा एवं मार्गदर्शन भी करते है।

7.5 भूत–प्रेत

पारधी जनजाति भूत–प्रेत पर भी विश्वास करती है। इनमें विश्वास है कि यदि किसी की मृत्यु आकस्मिक, दूर्घटनावश, व गंभीर बीमारी आदि के द्वारा होता है, तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। जो लोगो को डराने, परेशान करने एवं हानि पहुंचाने आदि कार्य करती है। इस प्रकार की बुरी आत्माओं को चुड़ैल, परेत–परेतीन, मौली आदि नामों से जाना जाता है।

भूत–प्रेत का निवास स्थान शमसान, सुखे हुए पेड़ एवं सुना मकान, खण्डहर मकानों आदि पर होता है। ऐसे स्थानों पर मल–मुत्र त्याग करने आदि से इनके प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है। सामान्यतः भूत–प्रेत अमावस्या की रात को अधिक प्रभावशाली होते है, और विचरण करते है। भूत–प्रेत से ग्रसित व्यक्ति सामान्य व्यवहार नही करता है, उसके आखों का रंग बदलना, पागलों जैसी हरकत करना, आवाज में भारीपन आना आदि लक्षण दिखाई देता है। ऐसी अवस्था में बैगा को बुलाया जाता है। बैगा द्वारा प्रथमतः वस्तु स्थिति को ज्ञात किया जाता है। पुष्टि होने के बाद वह बकरा अथवा मुर्गा आदि की बलि चढ़ाकर धार्मिक कर्मकाण्ड कर भूत–प्रेत को भगाता है अथवा उसके प्रभाव को कम करता है।

7.6 जादू–टोना

पारधी समुदाय जादू–टोना में भी विश्वास करती है। जादू–टोना करने वाले पुरूष को ''टोन्हा'' और महिला को ''टोनही'' (डायन) कहा जाता है। ग्राम के जानकर व्यक्ति ऐसे लोगों से दूर रहने या औपचारिक संबंध रखने की सलाह देते है। जादू–टोना से ग्रसित व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है, शरीर सुखने लगता है, वजन कम होने लगता है, मानसिक संतुलन खो देता है, गर्भावस्था में शिशु की मृत्यु या प्रसव पश्चात् शिशु की मृत्यु होना आदि लक्षण दिखाई देता है।

यह समुदाय मानती है कि, ''टोहनी'' बांझ या विधवा महिला होती है, और इस दुर्गुण को विशेष तप और निषेध का पालन कर सीखा जाता है। इसका उद्‌देश्य बदला लेना, दूसरों को हानि पहुंचाना व आपसी मनमुटाव आदि के लिए किया जाता है। जिसके लिए संबंधित के पैर की धूल, बाल व कपड़े के टुकड़े आदि के माध्यम से उस पर ''टोटका'' करती है, व अपने वस में कर इच्छानुसार कार्य कराती है।

जादू–टोना से ग्रसित व्यक्ति को बैगा के पास लेकर जाते है। बैगा लक्षणों के आधार पर कारण का पता लगाकर उपचार करता है। वह अपने अलौकिक शक्तियों का उपयोग जादू–टोना ग्रसित व्यक्ति पर करता है। जिससे प्रभावित व्यक्ति पर जादू–टोना का असर धीरे–धीरे कम होने लगता है। बच्चों को नजर लगने से रक्षा के लिए झाड़–फूंक कर ताबीज या चुड़ा दिया जाता है। बैगा जादू–टोना आदि के लिए नीबू काटना, खून चढ़ाना, मुर्गा की बलि देना आदि अनेक कर्मकाण्ड एवं मंत्रोच्चार करता है।

7.7 रोग निदान एवं उपचार

पारधी समुदाय किसी सदस्य की अस्वस्थता या बीमारी को अलौकिक या आत्मीय घटना मानता है, तथा उसका उपचार भी उसी माध्यम से कराने का प्रयास करता है। इनमें अस्वस्थता का कारण भूत–प्रेत, नजर लगना, आत्माओं का नाराज होना, देवी–देवताओं का कुपीत होना, सामाजिक–धार्मिक निषेधों का उल्लंघन आदि को माना जाता है।

घर में कोई बीमार या आपत्ति आने पर आराध्य देवी–देवताओं का मनावन (मनाने) करते है, जिसमें 21 नारियल, 21 नीबू तथा 21 ध्वज (अलग–अलग रंगो का छोटा–छोटा झंडा) आदि देवी–देवताओं पर अर्पित करते हुए पूजा–अर्चना किया जाता है, और बलि के रूप में मुर्गा या बकरा और मंद चढ़ाकर मनौती मांगते है। अथवा अपने सामाजिक मान्यता प्राप्त पारम्परिक चिकित्सक बैगा (गुनिया) को बुलाते है। बैगा किसी भी प्रकार के रोग या अस्वस्थता को तीन प्रकार की प्रविधियॉ जैसे– धार्मिक–जादूई कर्मकाण्ड़ीय, नाड़ी देकर एवं बीमारी का लक्षण आधारित प्रविधियों द्वारा पता करता है, और इसका उपचार झांड–फूंक, जादूई–धार्मिक क्रियाकलाप एवं वनौषधियॉ आदि के माध्यम से करने का प्रयास करता है।

7.8 समुदाय में प्रचलित शुभ एवं अशुभ विचार

पारधी जनजाति शुभ एवं अशुभ विचारों में भी अत्यधिक विश्वास करती है। इनमें गर्भस्थ महिलायें नदी पार नही करती और यदि आवश्यक हुआ तो नदी पार करने के पश्चात् नारियल चढ़ाकर पूजा–अर्चना की जाती है। पूर्व में मान्यता थी कि महिलाओं के नदी में स्नान से नदी अशुद्ध हो जाती है, और तालाब आदि में ही स्नान करती थी। इस समुदाय में जूते पहनकर नदी पार नही करते क्योकि इनके आराध्य देवी पारधन माता की जननी नदी है। अतः नदी को श्रद्धा से प्रणाम कर सिक्का डालकर मनौति के लिए प्रार्थना किया जाता है।

7.9 अन्य समाज का प्रभाव

पारधी जनजाति के जीवन में अन्य समाज से सम्पर्क का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। प्राचीन समय से ही यह समुदाय ग्राम में ब्राम्हण, क्षत्रिय, राउत, कुम्हार, धोबी, नाई, कुर्मी, तेली, पनका, घसिया, गांडा, लोहार आदि जातियों और गोड़, कंवर, हल्बा, बिंझवार, सौरा, कोंध आदि जनजातियों के साथ निवासरत होने के कारण एक–दूसरे के देवी–देवताओं, तीज–त्यौहारों, मान्यताओं, निषेधों आदि को अंगीकृत कर चुके है। हिन्दू जातियों के साथ निवासरत होने के कारण हिन्दू देवी–देवता, उपवास–व्रत, पूजा विधि आदि को हर्षोउल्लास से मनाने लगे है। जिसके फलस्वरूप इनके धार्मिक जीवन में हिन्दू धर्म का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगत होता है।

अध्याय – 08

राजनीतिक – संगठन

किसी भी समाज में सामाजिक व्यवस्था बनाये रखने क लिए एक संगठित राजनीतिक व्यवस्था पायी जाती है। आदिम समाजों में न्याय व्यवस्था का संचालन जाति पंचायत के माध्यम से होती है, जो अपने समाज के सदस्यों को निर्देशित एवं नियंत्रित करती है। सरल समुदायों में ये साधन अनौपचारिक, अचतेन एवं सहज होते है। जो प्रचलित परम्पराओं और प्रथाओं को सामाजिक रीति से सामंजस्य बनाकर कार्य करती है।

पारधी जनजाति में परम्परागत जाति पंचायत का द्विस्तरीय राजनैतिक संगठन पाया जाता है, जो निम्नलिखित प्रकार का होता हैः–

1. ग्राम स्तरीय जाति पंचायत
2. क्षेत्रीय जाति पंचायत

संक्षेप में जातीय पंचायतों का विवरण निम्न हैः–

8.1 ग्राम स्तरीय जाति पंचायत

पारधी जनजाति निवासरत प्रत्येक ग्राम में अलग–अलग जाति पंचायत होती है, जिसमें समुदाय के ही व्यक्ति सदस्य होते है। जाति पंचायत के मुखिया को **''कुरिहा''** कहा जाता है। कुरिहा समुदाय का अनुभवी, जानकार श्याना (बुजुर्ग) व्यक्ति होता है। इनके सहयोग हेतु 3–5 अनुभवी सदस्य भी होते है। जिन्हें पंच कहा जाता है। जाति पंचायत में उपरोक्त के अलावा चपरासी का भी पद होता है, जो बैठक आयोजन की सूचना समुदाय के सभी लोगो तक या लोगों की समस्या आदि को मुखिया (कुरिहा) तक पहुंचाने का कार्य करता है।

ग्राम स्तर में घटित समस्या या मुद्दे ग्राम स्तर के जातीय पंचायत में सर्वसम्मति से निराकरण किये जाते है। ''कुरिहा'' एवं पंच समुदाय के नियमों के जानकार होने के साथ–साथ निर्णय लेने की क्षमता भी रखते है। इस समुदाय की जातीय पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी नहीं पायी जाती है। ग्राम स्तर की जातीय पंचायतों में चोरी, मंद पीकर गाली–गलौच करना, सम्पत्ति का बंटवारा, मारपीट, पति–पत्नी का विवाद आदि मामलों का निपटारा किया जाता है।

पारधी जनजाति के जातीय पंचायत में न्याय के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाती हैः–

1. अपराध या घटना की सूचना

ग्राम में पारधी जनजाति से संबंधित कोई समस्या या घटना घटित होने पर पीड़ित व्यक्ति ''कुरिहा'' को सूचित करता है। सूचना के आधार पर मुखिया तय करता है कि अपराध / समस्या छोटा है या बड़ा। यदि ग्राम स्तर पर निपटाने योग्य मामला हो तो समाज के चपरासी द्वारा सभी सदस्यों तथा संबंधितो को सूचना दी जाती है, कि नियत तिथि एवं समय में मामले का निपटारा जातीय पंचायत में होना है।

2. बैठक स्थल

ग्राम स्तर की जातीय पंचायत किसी निश्चित स्थान पर न होकर पीड़ित व्यक्ति के घर अथवा पारधी मोहल्ला के मध्य किसी पेड़ के नीचे या चबुतरा आदि पर आयोजित किया जाता है।

3. बैठक की कार्यवाही

निर्धारित तिथि एवं समय पर ''कुरिहा'' पंच, अन्य सदस्य एवं संबंधित दोनों पक्षों के सदस्य सम्मिलित होते है। दोनों पक्षों को ईष्ट देवी–देवताओं की शपथ दिलायी जाती है। मामले में कोई प्रमाण स्वरूप साक्ष्य या गवाह हो तो प्रस्तुत करने को कहा जाता है।

4. निर्णय

संबंधित मामले का गहनता से अवलोकन कर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाह, दोनों पक्षों के पूर्व संबंध आदि जानने के पश्चात् ''कुरिहा'' पंचों से मंत्रणा कर किसी ठोस नतीजे पर पहुंच कर मुखिया द्वारा निर्णय सुनाया जाता है।

5. दण्ड़

निर्णय पश्चात् दोषी को मामले के आधार पर अर्थदण्ड, सामाजिक भोज अथवा जाति से बहिष्कृत आदि की सजा सुनायी जाती है।

6. कार्य

ग्राम स्तरीय जाति पंचायत निम्नलिखित कार्यो को संपादित करती हैः–

1. आपसी लड़ाई–झगड़ों का निपटारा करना।
2. विजातीय प्रेम–प्रसंगों का निपटारा करना।
3. ग्राम देवी–देवताओं की पूजा, त्यौहारों, उत्सवों की तिथि का निर्धारण करना।
4. समुदाय में प्रचलित मान्यताओं, प्रथाओं, रीति–रिवाजों को जाति के सदस्यों में लागू करना व नियमित क्रियान्वित करना।
5. क्षेत्रीय जाति पंचायत के निर्देशों पर दृष्टि रखना एवं उनसे सामंजस्य स्थापित करना।

7. निर्णय अथवा दण्ड़ के खिलाफ अपील

यदि कोई पक्ष ग्राम स्तर की जातीय पंचायत द्वारा दिये फैसले से संतुष्ट नही है अथवा पक्षपात पूर्ण निर्णय महसूस करता है, तो वह मामले को ''क्षेत्रीय जातीय पंचायत'' में अपील कर सकता है।

8.2 क्षेत्रीय जाति पंचायत

पारधी जनजाति में 10–15 ग्रामों के जातीय पंचायत के बीच एक ''क्षेत्रीय जाति पंचायत'' होता है। प्रत्येक ग्रामों के कुरिहा क्षेत्रीय पंचायत के क्रियाशील सदस्य होते है। क्षेत्रीय जातीय पंचायत के मुखिया को ''बड़े–कुरिहा'' कहते है। इसके अलावा पटेल, दीवान, मुंशी, कोतवाल एवं चपरासी आदि का पद भी होता है। जिनके कार्य निर्धारित होते है। इसमें ग्राम स्तर की जातीय पंचायत के फैसले से असंतुष्ट पक्ष अपनी समस्या को पेश कर सकता है। लेकिन साधारणतः यह अपेक्षा की जाती है, कि मामलों को ग्राम स्तर पर ही निपटा लिया जाये अथवा दोनों पक्षों में समझौता करा दिया जाए।

क्षेत्रीय पंचायत के कार्य

1. क्षेत्र में घटित बड़े अपराधों का निपटारा करना।
2. विवाह संबंधी मामलों का निपटारा करना।
3. संगोत्र विवाह, अनैतिक संबंध, तलाक, झगड़े आदि का निपटारा करना।
4. ग्राम स्तर के जातीय पंचायतों के अनसुलझे मामलों का निपटारा करना।
5. सामुदायिक नियमों व निर्णयों को पालन करवाना आदि।

8.3 जाति पंचायतों में दण्ड़ का प्रावधान

पारधी जनजाति में सामाजिक नियमों के विरूद्ध तथा व्यक्ति के हित के विरूद्ध किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में आता है। मंद पीकर लड़ाई करना, गाली–गलौच करना, आपसी झगड़े, निषेधों का उल्लघंन, वैवाहिक नियमों में व्यवधान, अन्तर्जातीय विवाह, तलाक आदि मामलों पर दोषी व्यक्ति या पक्षों को दण्ड़ का प्रावधान है। जिसका स्वरूप निम्नलिखित प्रकार का हो सकता है:–

1. आर्थिक दण्ड़ :–

इस समाज में जाति पंचायत द्वारा अपराध आधारित आर्थिक दण्ड़ दोषी व्यक्ति को सुनाये जाते है। सामान्यतः आपसी लड़ाई–झगड़े, चोरी, मंद पीकर गाली–गलौच, महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल न होना, निषेधों का उल्लंघन आदि साधारण अपराधों पर 1000 रू से लेकर 5000 रू तक अर्थदण्ड़ लगाया जाता है।

2. जाति बहिष्कार :–

समाज द्वारा निर्धारित मापदण्ड़ों के विपरित किसी मुद्दे पर दोषी व्यक्ति को समुदाय से बहिष्कृत कर दिया जाता है। इसके अन्तर्गत बड़े अपराध जैसेः– अन्तर्जातीय विवाह, पलायन विवाह, विवाह पूर्व गर्भवती, बलात्कार आदि अपराधों पर समाज से बहिष्कृत करने का प्रावधान है। समुदाय से बहिष्कृत सजा के अन्तर्गत उस परिवार के किसी भी सदस्य से बातचीत, भोजन पानी, रोटी–बेटी आदि का संबंध प्रतिबंधित कर दिया जाता है।

3. अर्थदण्ड़ एवं जाति बहिष्कार :–

विशेष अपराधिक मामले जैसेः– निम्न अन्तर्जातीय विवाह करना, विवाह पूर्व गर्भधारण करना, हत्या करना एवं पूर्व दंडित आदेश का उल्लंघन आदि परिस्थितियों में अर्थदण्ड़ एवं जातीय बहिष्कार की सजा निर्धारित की जाती है।

दण्ड़ का परिपालन

पारधी समुदाय में जाति पंचायत द्वारा दोषी पक्ष या व्यक्ति को सुनाये गये दण्ड़ का पालन उसे हर परिस्थिति में करना होता है, क्योकि दोषी व्यक्ति समाज के बाहर अकेला नहीं रह सकता। उसे सामाजिक सुरक्षा एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समुदाय पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अर्थ दण्ड़ की राशि अधिक होने पर उसे किश्तों में अदा करने आवेदन कर सकता है। लेकिन सामाजिक भोज एवं जुर्माने की राशि उसे तत्काल चुकाना पड़ता है।

पारधी समाज में जुर्माने की राशि आदि को जाति पंचायत में जमा किया जाता है। जिसे समुदाय के विभिन्न सामाजिक कार्यो, उत्सवों अथवा मंदिर निर्माण आदि में खर्च किया जाता है।

8.4 आधुनिक महासमाज पंचायत

वर्तमान परिवेश में पारधी जनजाति पर आधुनिकता, बाह्य संस्कृति का प्रभाव, पंचायती राज आदि के कारण इनके परम्परागत जातीय पंचायत में परिवर्तन देखने को मिलते है। पारधी जनजाति के शिक्षित, जागरूक एवं प्रगतिशील सदस्यों द्वारा समाज को जागरूक, संगठित तथा विकास के मार्ग पर अग्रसर हेतु आधुनिक जातीय सामाजिक संगठन का निर्माण किया गया है। जिसे '' महासमाज'' कहा जाता है। संक्षेप में महासमाज को निम्न रूप से दर्शाया जा सकता हैः–

आधुनिक महासमाज की संरचना

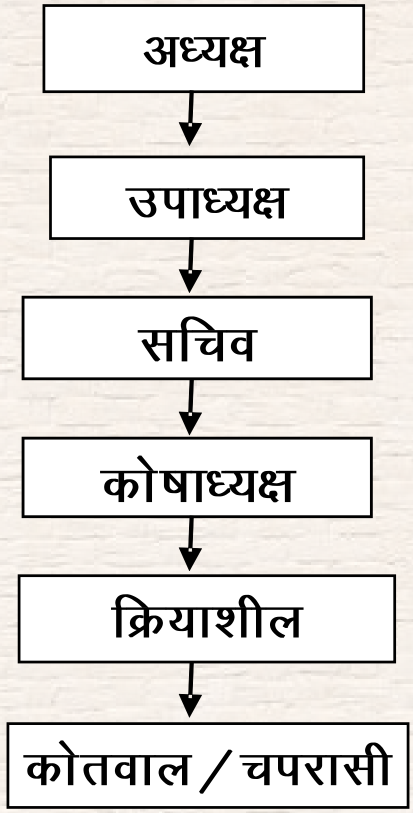

पारधी समुदाय में आधुनिक जातीय संगठन में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य एवं चपरासी आदि का पद होता है। जिसका सर्वसम्मति से चयन किया जाता है। आधुनिक पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। चपरासी पद को छोड़कर सभी पद अवैतनिक होते है। चपरासी को बैठक आयोजन की सूचना समुदाय के विभिन्न ग्रामों तक पहुंचने आदि कि लिए पंचायत से मानदेय दिया जाता है। यह समिति शासन में पंजीकृत होती है, जो सामुदायिक विकास के लिए प्रयासरत है।

महासमाज के कार्य

वर्तमान में गठित महासमाज समुदाय के तत्कालिक समस्याओं को सुलझाने, समाज सुधार एवं सामाजिक विकास आदि के क्षेत्र में निरन्तर प्रयासरत है। महासमाज के कार्य निम्नलिखित हैः–

1. समुदाय के उत्थान के लिए नियमों का निर्माण करना।
2. बाल–विवाह एवं वधूमूल्य प्रथा को निषेध करना।
3. शिक्षा के प्रति समुदाय के लोगों को जागृत करना।
4. सामुदायिक नियमों, निषेधों, रितियों एवं मान्यताओं में एकरूपता लाना।

5. विवाह एवं अन्तर्जातीय विवाह संबंधी मामलों का निपटारा करना।

6. समुदाय में सहयोग की भावना का जागृत करना।

7. समुदाय के विकास के प्रति जागरूक करना।

8. अन्य जाति समाज के साथ परस्पर प्रेम एवं सहयोग बनाये रखने हेतु निर्देशित करना आदि।

8.5 आधुनिक पंचायत

वर्तमान में पारधी समुदाय के लोग भी आधुनिक परिवेश से अछुता नहीं रह गया है। तथा भारतीय संविधान द्वारा त्रिस्तीय पंचायतीय राज व्यवस्था लागू होने के बाद आधुनिक ग्राम, जनपद एवं जिला पंचायत के पदों में जनजातीय समुदाय की भागीदारी के प्रति भी जागरूक है। पारधी जनजाति के शिक्षित, जागरूक एवं प्रगतिशील सदस्यों द्वारा आधुनिक राजनैतिक संगठन में सक्रिय रूप से भाग लेकर, पंच, सरपंच, जनपद सदस्य आदि पदों पर कार्यरत है।

अध्याय – 09

लोक–परम्परायें

लोक परम्परा वह परम्परा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्वतः ही हस्तांतरित होती रहती है। समुदाय में बच्चें बड़े–बुजुर्गों को देख–देखकर सीख लेते है। आदिम समाज की अपनी एक विशिष्ट लोक परम्परा होती है। जिसमें उनके लोकगीतों एवं कथाओं में आराध्य देवी–देवताओं एवं परम्पराओं का वर्णन होता है। पारधी जनजाति के सदस्य अपने जीवन को सरल, सुगम एवं रूचिपूर्ण बनाने के लिए विभिन्न अवसरों पर गीत–संगीत एवं नृत्य करते है। यह समुदाय अपने लोकगीतों एवं नृत्यों को ढोलक, मंजीरा, मृंदग, झांझ, किरकीची आदि वाद्ययत्रों से ताल भी देते है। पारधी जनजाति के लोक परम्पराओं का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित हैः–

9.1 लोकगीत

पारधी जनजाति में विभिन्न अवसरों पर अलग–अलग लोकगीत गाये जाते है, जिसमें इनके लोक परम्पराओं का दर्शन होता है। सामूहिक गीतों में प्रयास किया जाता है, कि सुरों में एकरूपता और लयबद्धता बनी रहे। पारधी समुदाय में गाये जाने वाले कुछ लोकगीतों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

1. शिकारी गीत :

पारधी जनजाति के लोग शिकार के लिए विभिन्न प्रकार के फंदों व जाल का उपयोग करते है। साथ ही अपने मुंह से भी विभिन्न प्रकार की अवाजे एवं सीटी आदि का उपयोग करते है। पारधी शिकार की तलाश में हर्षोउल्लास से अपनी अभिव्यक्ति गीत–संगीत के माध्यम से व्यक्त करते है, उनके कुछ सामूहिक शिकारी गीत इस प्रकार हैः–

1. **अरे भैया शिकारी आ गया,**
बहुत दिन में आये चिरई
बहुत दिन में आये घाघर
ऊकर सुखा हा मिठाथे
चलो रे भई घाघर पकड़े जाबो
ओला पकड़ के पेट ला चलाबो
अरे भैया शिकारी.................

भावार्थः— यह एक सामूहिक शिकारी गीत है जिसका अर्थ चलो साथियों हम सब एक साथ शिकार के लिए चलते है। बहुत दिनों के बाद चिड़ियॉ आई हैं। बहुत दिनों के बाद तीतर दिखाई दिया है। चलो हम सब शिकार के लिए चलते है। तीतर को जाल में फसायगें जिसका सुखी सब्जी का मांस बहुत ही अच्छा लगता है। चलों तीतर को पकड़कर अपना पेट (जीवकोपार्जन) को चलाएंगे। चलो सब शिकार के लिए चलो।

2. धरो रे खंदाऊ,

चलो रे जाबो न तितरौ माखौन
आई गा रे बाबा
दू ठन फसीस तितरौँ
अऊ बेचलो ओला बीस रूपया जोड़ी
चलो रे संगी तितरों मारे बर जाबो न
धरो रे खंदाऊ..............................

भावार्थ :— साथियों अपने—अपने फंदा और जाल को पकड़ लो, और चलो सब चलो तीतर को फसांते (शिकार) है। अरे देखो मेरे जाल में दो तीतर फंस चुका है, रे बाबा इन तीतर की जोड़ी को बेचने से बीस रूपये मिलेगें। चलो साथियों सब चलो अपने —अपने जाल और फंदा को लेकर शिकार के लिए चलो।

2. छिन्द काटते समय की गीत

पारधी जनजाति के लोग जब शिकार पर प्रतिबंध हो जाने के बाद छिन्द पत्तों से झाडू एवं चटाई बना कर उसे बेच अपना जीवकोपार्जन करते है। पारधी लोग जब छिन्द पत्तों की कटाई के लिए जाते है, तो यह गीत गाते हैः—

1. चलो रे संगी, चलो रे भाई
छिन्द काटे ला जाबो.................
घर में आके बाहरी, सरकी बनाबो
छिन्द बाहरी ला गांव में जाबो
दु पैली धान के दू ठन ला बेचबो
चलो रे संगी, चलो रे भाई
छिन्द काटे ला जाबों..........................

भावार्थः— साथियों चलो, मेरे भाईयों सब चलो हम सब छिन्द के पत्तों को काट कर घर लायेंगे और उसका झाडू और चटाई बनायेगें। झाडू को बनाकर गांव में बेचेंगें । चलो साथियों सब चलो मेरे भाईयों हम सब छिन्द पत्तों को काटने चले।

3. ददरिया गीत

छत्तीसगढ़ राज्य में ददरिया को लोकगीतों का राजा कहा जाता है। पारधी समुदाय भी अन्य जनजातीयों की भांती विभिन्न अवसरों में ददरिया गीत का गायन किया जाता है। जिनकी कुछ पक्तियॉ निम्नानुसार हैः–

1. ऐल्हन तरी बेलन, बेलन तरी डोर
कते डोगरी में राजा दाई, ददा मोर
नई दिखे संग के जोड़ी, नई दिखे संगी साथी
तन के दुखला बहिन कौन ला बताओं
एही डोगरी में राजा दाई ददा मोर
तन के दुखला बहिन कौन ला बताओं
ऐल्हन तरी बेलन, बेलन तरी डोर
कते डोगरी में राजा दाई, ददा मोर

भावार्थ :– इसमें विवाहित महिला अपने मायके को याद करते हुए कहती है, कि मेरी व्याह की डोर इस तरफ की पहाड़ी में हो गई है। और किस पहाड़ी में मेरे माता–पिता का निवास है। यहॉ मेरे साथ के कोई सहेली नही है और न कोई संगी–साथी दिखता है। मेरे तन–मन की दुख को मैं किसको बताऊ। उस पहाड़ी के पार मेरे माता–पिता का घर है। मेरा ध्यान मेरे मायके की ओर खींच रही है। इस तरफ की पहाड़ी में मेरा व्याह को गया और मैं अपना दुखड़ा किसको सुनाऊ।

2. लाली –गुलाबी खीचत आएव, खीचत आएव
तोर घर के मुहाटी ला पुछत आएव
चांदी के मुंदरी ला, पंखा में खोच
तोर बहिनी गवागे ने, नरवा में खोज
तोर ददरिया अऊ मोर करमा भैया मोर करमा
तोर धोती के छोर में लिखे हे मरना

भावार्थ :– तुम्हारी सहेली लाली और गुलाबी दोनों खीचें चले आ रह है। तुम्हारे घर की खोज करते, पुछते–पुछते खीचे चले आ रहे है। तुम अपने चांदी की अगुंठी को, हाथ के बने पंखे में रख दो और तुम्हारी बहन कहीं खो गई है, तुम पास वाले नाले में जाकर खोजो। तुम्हारे ददरिया गीत और मेरा कर्मा गीत के साथ हमारे पोशाक में हमारी तकदीर लिखी होती है।

4. विवाह गीत

पारधी जनजाति में विवाह संस्कार के विभिन्न अवसरो जैसे– तेल चढ़ाते समय, वर/वधू के सिर पर मोर बांधने के समय, बिदाई के समय आदि में विवाह गीत गाये जाते है, जिनकी कुछ पक्तियां निम्नलिखित हैः–

1. घर ले वो निकले, घर ले वो निकले
हरियर, हरियर, हरियर............
मड़वा में दुलारू तोर बदन कुमलाए
एक तेल चढगे, एक तेल चढगे
हरियर, हरियर..........................
एक तेल चढगे दाई देव नारायण
तोर हाथ में कन–कन, माथे में मऊंर
दो तेल चढगे, दो तेल चढगे, दाई देव नारायण
हरियर, हरियर...

भावार्थः– पारधी जनजाति में यह विवाह गीत उस समय का है, जब वर या वधू को पहली बार तेल–हल्दी चढ़ाते है। तो अन्य महिलाएं सामूहिक रूप से गाती है जिसका अर्थ है– मंडप का दुलारा तुम्हारा बदन बहुत कोमल हो गया है, तुम घर से जब भी निकलते हो एकदम ताजा ताजा और तदुंरूस्त दिखते हो। विवाह के लिए मंडप में वर/ वधू को पहला तेल हल्दी लग गई है। तुम्हारे हाथों मं कनकन और माथे पर सेहरा बहुत जंच रहा है। वर/वधू को दूसरा तेल–हल्दी चढ़ चुका है, जिससे वह तरोताजा दिखाई दे रहा है।

5. जवारा गीत

पारधी जनजाति चैत्र नवरात्र में नौ दुर्गा माता को बहुत हर्षोउल्लास से मनाते है। और जवारा लगाते है। इस दौरान पूरे नौ दिन तक देवी माता के जस गीत गाये जाते है, जिसकी कुछ पक्तियॉ निम्न है :–

1. सोना निठाली दाई धीवर–धीवर खादी थे
सगुरो सपुदर खोसी रे भाई
ईटारे चंदन का गारा तरे उमाहो
देश नगर भलो विराजे भाई

भावार्थ :– हमारी देवी माता सोने के आभूषण को शरीर के विभिन्न अंगो में धारण की है। उनका मुखड़ा बहुत सुन्दर दिखाई दे रहा है भाई, और माथे पर चंदन का टीका लगा हमारे शहर के गली में विराजे माता बहुत अच्छे से जच रही है।

2. आ देवी मोर लाज रख
चार बाल–बच्चा ना आय
करी न शोभा, देखाय न करी
आजू जग में जो हारन्
हना में अवरा बाल–बच्चा होयरी धजे
हना में कोई न दाग लगवन काप नही
भले जो गलती कोरेस, तिन्हा दाग लगाइ दीजे
आ देवी मोर लाज रख..............................

भावार्थ :– हे देवी मॉ मेरी लाज एवं ईज्जत रख लो, मेरे घर आंगन में जब तक चार बाल–बच्चे नहीं आ जाते, तब तक शोभा नही देगा और न कोई मुझे पुछेगा भी नही। अतः हे माता मेरे घर आंगन में बाल–बच्चों से सजा दो। मेरे घर आंगन में कोई दाग न लगने देना। बल्कि जो गलती या पाप किया है, उसको सजा दीजिये, हे देवी मॉ मेरी लाज एवं ईज्जत रख लो।

9.2 लोक–नृत्य

पारधी समुदाय विशेष अवसरों एवं त्यौहारों में विविध प्रकार के लोकनृत्य करते है, वे लोकगीत एवं नृत्य के माध्यम से अपने आराध्य को प्रसन्न करने का प्रयास करते है। पारधी समुदाय के प्रमुख लोकनृत्य निम्नलिखित हैः–

1. करमा–नृत्य

पारधी जनजाति समुदाय ग्राम में अन्य जनजातीय समुदाय के साथ यह नृत्य करते है। यह नृत्य करमदेव के लिए किया जाता है। करमा उत्सव सात दिनों तक चलता है, इसमें करमा वृक्ष की डाल की पूजा की जाती है। इसकी डाल को ग्राम के मध्य गाड़ दिया जाता है, जिसके चारों ओर महिला–पुरूष, युवक–युवतियॉ ढ़ोल–मंजीरा आदि वाद्ययंत्रों के साथ सामूहिक रूप से एकरूपता लाते हुए नृत्य करते है। सातवें दिन करमा डाल की पूजा–अर्चना कर ग्राम में घुमाते हुए विसर्जित किया जाता है। करमा नृत्य नये फसल आने, ग्राम की खुशहाली एवं समृद्धि के लिए मनाया जाता है।

2. सुवा–नृत्य

सुवा नृत्य दशहरा से लेकर दीपावली तक किया जाता है। यह नृत्य अच्छी फसल की कामना करते हुए मनाते है। इस नृत्य में केवल महिलायें भाग लेती है। बांस की टोकरी में जलते दीये के चारों ओर लय–ताल बद्ध नृत्य किया जाता है।

3. शैला–नृत्य

यह नृत्य फागून माह में फगुवा (होली) त्यौहार तक किया जाता है। यह नृत्य पुरूषों द्वार टोलियों में किया जाता है। प्रत्येक सदस्य लगभग 2 से 2.5 फीट की लंबाई का डंडा लेकर गोलाकार या वलयाकार में एक ताल में नृत्य संगीत करते है। गोलाकार के मध्य में एक ढ़ोलक या मृंदग वादक भी होता है। जो गीत गाता है और बाकी सदस्य उस गीत का उतारा लेते हुए नाचते–गाते है। टोलियॅा गांव के प्रत्येक घर–घर जाकर नृत्य करते है। जिसके बदले में उन्हें कुछ रूपये दिये जाते है। जिसका सभी लोग मनोरंजन करते हुए हर्षोउल्लास करते है।

4. विवाह–नृत्य

शादी–व्याह में प्रायः सभी महिला–पुरूष एवं बच्चे आदि मंडप में वर/वधू को लेकर सामुहिक रूप से नाचते गाते है। विवाह नृत्य रात में खाना खाकर देर रात तक गीत–संगीत कर हर्षोउल्लास करते है।

9.3 लोक– कथा

किसी भी समाज की प्राचीन मान्यताएं एवं विश्वास ही आगे चल कर लोक कथा के रूप में परिणित हो जाता है। लोक कथाओं में समाज के परम्पराओं के दर्शन होते है। यही उनकी आराध्य देवी–देवताओं से संबंधित अथवा उत्पत्ति का बखान करती है। पारधी जनजाति में भी अनेक लोक–कथाएं प्रचलित है। जिनका वर्णन पूर्व के अध्याय में किया जा चुका है। इनकी लोक–कथाओं में अधिकांश पारधन देवी तथा देवी कुरगल आदि की गाथा का वर्णन मिलता है।

9.4 कहावत एवं लोकोक्तियॅा

पारधी जनजाति ग्रामीण समुदाय के साथ निवासरत है। जिसमें विभिन्न प्रकार की लोकोक्तियॅा एवं कहावत प्रचलित है। ये लोकोक्तियॅा व कहावत उनके दैनिक जीवन के विभिन्न पहलूओं से जुड़ी हुई होती है

जिसे लम्बे समय से समाज द्वारा बोलचाल के समय अपनी बातों को संक्षिप्त एवं सटिक रूप में उपयोग किया जा रहा है। क्षेत्र में प्रचलित कुछ कहावतें एवं लोकोक्तियॅा निम्नलिखित हैः–

1. लरक–लरक बोय किसान, जेकर उपजे ते सियान

अर्थः– सभी किसान अपने–अपने खेतों में फसल लगाते है, लेकिन जिसकी फसल अच्छी होती है, वही होशियार किसान कहलाता है।

2. कौवा के कर्रे ले ढोर न मरे।

अर्थः– कौवा के कॉव–कॉव करने से पशु नही मरता है। यह एक कहावत है कि किसी के चिल्लाने या बडबड़ाने से दूसरे का कुछ नही

3. आषाढ–सावन गौतरी करे, कार्तिक खेले जुवा।

पारा –परोस मन पूछे लगीन कतक धान लुआ।

अर्थः–जो व्यक्ति खेती करने के समय अर्थात आषाढ एवं सावन माह में दूसरे ग्राम जाकर घुमता–फिरता है, और कार्तिक माह में जुवा खेलता है। तब फसल कटाई के समय आस–पड़ोस के लोग पूछते है, कि इस वर्ष कितनी फसल का पैदावार हुआ।

अध्याय – 10

परिवर्तन एवं समस्याएं

पारधी जनजाति के अध्ययन के दौरान उनके सामान्य जनजीवन में शिक्षा, संचार, आवागमन के साधन, नये भौतिक संसाधनों का प्रयोग तथा अन्य समाज के सम्पर्क के कारण उनकी जीवनशैली, रहन–सहन, खान–पान, वेशभूषा, व्यवसाय आदि आयामों में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देता है, साथ ही उनके विकास में आने वाली समस्याये स्पष्ट परिलक्षित होते है। इन नवीन आयामों में उनके सामुदायिक परम्परागत मान्यताओं, रीति–रिवाजों, परम्पराओं एवं भौतिक संस्कृति में परिवर्तन सहज ही दिखाई देने लगा है।

10.1 परिवर्तन

पारधी जनजाति में शिक्षा, संचार एवं आवागमन के साधन, अन्य समाज से सम्पर्क, आधुनिकीकरण एवं शासन के विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप उनमें निम्नलिखित क्षेत्रों में परिवर्तन परिलक्षित होते हैः–

1. भौतिक संस्कृति में परिवर्तन

पारधी समुदाय में परम्परागत आवास झोपड़ी एवं खपरैल के स्थान पर आधुनिक शैली के अर्द्ध पक्के या पक्के मकान का निर्माण किया जाने लगा है। आवास हेतु पक्की ईटें, सीमेंट, छड़ आदि का उपयोग किया जाने लगा है। शासन द्वारा प्रदत्त शौचालय भी पाया जाता है। घरों की पुताई 'छुही' के स्थान पर चुना, डिस्टेम्पर, पेंट आदि का भी प्रयोग करने लगे है।

2. दैनिक उपयोगी वस्तुएं

पारधी जनजाति के दैनिक उपयोग वस्तुओं जैसे– मिट्टी के बर्तन के स्थान पर स्टील, कांसा एवं एल्युमिनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाने लगा है। शीतकाल में गर्म कपड़े जैसे– स्वेटर, जैकेट, साल, कंबल आदि गर्म कपड़े का प्रयोग किया जाने लगा है। ग्रीष्म काल में टोपी धुप का चश्मा, छाता एवं वर्षा ऋतु में रैनकोट, छाता जूते–चप्पल आदि का उपयोग करने लगे है।

3. ग्राम की संरचना

पारधी निवासित ग्रामों में वर्तमान परिवेश में पूर्व की अपेक्षा ग्रामों में अधोसंरचनात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। उनके ग्राम तक पक्की / कच्ची सड़के का निर्माण हो चुका है। शासन के विकास क्रार्यक्रमों के तहत बहुत से परिवारो को प्रधानमंत्री आवास का निर्माण हो चुका है। ग्रामों में विद्यालय, हैण्ड़पंप, सांस्कृतिक भवन, सामुदायिक चबुतरा आदि निर्माण से ग्रामों की संरचना में परिवर्तन देखने को मिलता है।

4. भौतिक संसाधन

पारधी जनजाति के अधिकांश घरों में आधुनिक भौतिक संसाधन जैसे–प्लास्टिक कुर्सिया, चटाई, दीवाल घड़ी, टी.व्ही., पंखा, सायकल, मोटर–सायकल, टार्च, मोबाइल आदि का उपयोग करते सहज ही देखे जा सकते है।

5. रसोई की वस्तुएं

पारधी जनजाति में खाना बनाने के लिए लकड़ी ईंधन का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब शासन द्वारा प्रदत्त गैस सिलेण्डर का भी उपयोग किया जाने लगा है। रसोई में एल्युमिनियम के बर्तन, समान रखने हेतु प्लास्टिक के डिब्बे, पानी आदि के लिए प्लास्टिक की बालटियॉ आदि का उपयोग होने लगा है।

6. वस्त्र विन्यास

पारधी जनजाति के पारम्परिक वस्त्र विन्यास में परिवर्तन सहज परिलक्षित होते है। वर्तमान में युवा पीढ़ी बाजार में उपलब्ध–जींस पेंट, टी सर्ट, कमीज, सलवार सूट, टॉपस, बरमुड़ा, नेकर, रंग–बिरंगी साड़ी, टू–पीस आदि आधुनिक वस्त्रों का उपयोग करते देखे जा सकते है।

7. रोशनी

पारधी जनजाति के अधिकांश घरों में रोशनी हेतु पारम्परिक दीये के स्थान पर ''एकल बत्ती बिजली'' की व्यवस्था देखने को मिलता है। साथ ही बिजली से चलने वाले भौतिक संसाधन का भी उपयोग किया जाने लगा है।

8. आर्थिक भौतिक संसाधन

पारधी समुदाय कृषि हेतु खेत की जुताई बैल हल के साथ–साथ टैक्ट्रर से भी किया जाने लगा है। फसलों की सिचाई के लिए डीजल पंप, ट्युबवेल (बोर) आदि का उपयोग भी किया जाने लगा है। फसलों में आधुनिक कीटनाशक, सिंचाई यंत्रों से, सिंचाई कटाई के लिए थ्रेशर मशीन, मिंजाई के लिए टैक्टर एवं साफ –सफाई के लिए उड़ावनी पंखा आदि का उपयोग किया जाने लगा है। शिकार पर प्रतिबंध होने के कारण इनसे संबंधित भौतिक वस्तुओं में बहुत कमी आई है।

9. साज–श्रृंगार एवं शारीरिक स्वच्छता

पारधी जनजाति शारीरिक स्वच्छता एवं सौन्दर्य प्रसाधन की पारम्परिक पद्वति को छोड़ते हुए बाजारों में उपलब्ध नहाने हेतु खुशबुदार साबून, सेम्पु, कपड़े धोने के लिए सोड़ा के स्थान पर डिटर्जेन्ट पावडर एवं टिकिया, श्रृंगार हेतु सुंगधित पावडर, तेल, बिन्दी, फीता, क्लीप एवं क्रीम आदि का उपयोग भी करने लगे है।

10. आवागमन के साधन

वर्तमान में पारधी जनजाति के सदस्य सायकल, मोटर–सायकिल, टैक्ट्रर, बस, जीप, ट्रेन आदि का उपयोग आवागमन के साधन के रूप में करने लगे है।

2. आर्थिक जीवन में परिवर्तन

इनके आर्थिक जीवन में निम्नलिखित परिवर्तन देखने को मिलता हैः–

1. अर्थव्यवस्था में परिवर्तनः

पारधी जनजाति जाल एवं फंदों द्वारा पशु–पक्षियों को फंसा कर उसे जीवित विक्रय कर अपना जीवकोपार्जन करता था। लेकिन शिकार पर प्रतिबंध होने के कारण अब छिन्द पत्तों से चटाई, झाडू बनाकर तथा बबूल का दातून बेचकर गुजारा कर रहे है। कुछ परिवारों के पास कृषि भूमि है। साथ ही साथ कृषि मजदूरी एवं शासकीय मजदूरी आदि से अपना जीवकोपार्जन कर रहे है।

2. कृषि में नवीन तकनीक का समावेशः

कृषि क्षेत्र में उर्वरक, कीटनाशकों का प्रयोग, जुताई के लिए ट्रैक्टर, सिंचाई, मिंजाई, सफाई आदि में आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा है। जिससे उनके फसल उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ आय में भी वृद्धि हुई है।

3. ऋण ग्रस्तता :

यह समुदाय विषम परिस्थितियों में ऋण के लिए साहूकारों पर निर्भर न होकर शासकीय बैंक या सहकारी समितियों से लिया जाने लगा है। कृषि, व्यवसाय, वाहन क्रय एवं पारिवारिक आवश्यकता की पूर्ति के कारण इनमें ऋण ग्रस्तता बढ़ी है।

4. विनिमयः

पारधी जनजाति पूर्व में अपने झाडू एवं चटाई को वस्तु विनिमय द्वारा क्रय–विक्रय किया जाता था, किन्तु वर्तमान में नगद व्यवहार किया जाता है।

3. जीवन संस्कारों में परिवर्तन

पारधी जनजाति के जीवन संस्कारों में निम्नलिखित परिवर्तन परिलक्षित होते है :–

1. प्रसव कार्य :

पारधी जनजाति में प्रसव के लिए घर से दूर अलग स्थान पर पारम्परिक दाई के द्वारा कराया जाता था। लेकिन वर्तमान में प्रशिक्षित दाई, नर्स की देखरेख में घर में अथवा अस्पताल में डॉक्टर के द्वारा कराया जाता है।

2. मुण्ड़न एवं नामकरणः

पूर्व में पारधी जनजाति में नवजात शिशु का मुण्ड़न समाज के जानकार व्यक्ति करता था। लेकिन वर्तमान में नाई द्वारा कराया जाने लगा है। शिशु का नामकरण परिवार के बुजुर्ग सदस्य करते थे, लेकिन वर्तमान में पंडित द्वारा पंचाग दिखाकर अथवा आधुनिकता के प्रभाव से माता–पिता द्वारा नामकरण किया जाने लगा है।

3. पोषण एवं टीकाकरण :

वर्तमान में आंगनबाड़ी एवं स्वास्थ्य मितानिन आदि के विस्तार के कारण गर्भवती माता के पोषण, नवजात शिशु के टीकाकरण के प्रति जागरूकता देखने को मिलता है।

4. विवाह–आयुः

पूर्व में पारधी समुदाय में अल्पायु में ही विवाह कर दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में विवाह आयु शासन द्वारा निर्धारित आयु के अनुसार किया जाने लगा है।

5. वैवाहिक कार्यक्रम :

पूर्व में पारधी जनजाति में वैवाहिक कार्यक्रम पांच दिनों का होता था। लेकिन वर्तमान में यह 3 दिनों में सम्पन्न होने लगे है। पूर्व में वर/वधू एक दूसरे को बिना देखे ही विवाह कर लेते थे, लेकिन वर्तमान में लड़का/लड़की एक दूसरे को देखकर पंसद कर विवाह करते है।

6. उपहार का स्वरूपः

पारधी जनजाति में जन्म, विवाह संस्कारों में दिये जाने वाले ''टिकावन'' (उपहार) के स्परूप में परिवर्तन आया है। वर्तमान में जन्म एवं विवाह संस्कार में आधुनिक भौतिक वस्तुएं उपहार में देने लगे है।

7. संस्कारों में गीत–संगीत :

पूर्व में पारधी जनजाति में जन्म एवं विवाह आदि संस्कारों में पारम्परिक वाद्ययंत्रों के साथ लोकगीत और नृत्य करते थे। लेकिन वर्तमान में आधुनिक वाद्ययंत्रों जैसे– डी.जे., वैण्डबाजा, लाउडस्पीकर, सी.डी. प्लेयर आदि का उपयोग करने लगे है।

8. जजमानी प्रथाः

पूर्व में जीवन–संस्कार के सभी कर्मकाण्ड समुदाय के धार्मिक मुखिया या जानकार बुजुर्ग व्यक्ति सम्पन्न करता था, लेकिन वर्तमान में नाई, धोबी, ब्राम्हण आदि की सेवा ली जाने लगी है।

4. सामाजिक जीवन में परिवर्तन

1. सयुंक्त परिवार का विघटनः

पारधी जनजाति में सयुंक्त परिवारों को सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से आदर्श माना जाता था। किन्तु वर्तमान में आपसी तालमेल व सामंजस्य के अभाव में सयुंक्त परिवार विघटित होकर एकल परिवार में रूपान्तरित हो रहे है।

2. पारिवारिक निर्णय :

पूर्व में पारधी समुदाय के परिवारों में घर के सभी निर्णय मुखिया लेता था, जिसे सभी सदस्य स्वीकार्य करते थे, लेकिन वर्तमान में पारिवारिक निर्णय आपसी सहमति के आधार पर लिया जाने लगा है।

3. खानपान एवं रीति–रिवाज में परिवर्तन :

पूर्व में पारधी समाज के रीति–रिवाज एवं निषेध संबंधी मान्यतायें कठिन और आवश्यक था। लेकिन अन्य समाज के सम्पर्क में आने से इनके खानपान एवं रीति–रिवाज में भी परिवर्तन देखने को मिलता है।

5. धार्मिक जीवन में परिवर्तन

पारधी जनजाति मूल रूप से प्रकृति, आत्मा एवं अलौकिक शक्तियों के विश्वास पर आधारित है, साथ ही अपने गड़हा पुरखा (पूर्वज देव) व आराध्य देवी–देवताओं की पूजा, प्राचीन रीति–रिवाजों व धार्मिक अनुष्ठान का निर्वहन करते है। वर्तमान में हिन्दू संस्कृति के सम्पर्क में आने के कारण हिन्दू देवी–देवताओं की पूजा, व्रत एवं त्यौहारों को भी मनाने लगे है।

6. राजनीतिक जीवन में परिवर्तन

1. पारधी समुदाय पूर्व में अपने सभी सामाजिक समस्याओं का निराकरण ''जाति पंचायत'' में सुलझा लेते थे, किन्तु वर्तमान में ग्राम पंचायतों का प्रभाव बढ़ा है। जिसके कारण इनके अधिकांश समस्या या तो ग्राम पंचायत में या कानूनी प्रक्रिया के द्वारा निराकरण होने लगी है।

2. पूर्व में जातीय पंचायतों में महिलाओं की भूमिका तथा प्रतिनिधित्व नहीं था, किन्तु वर्तमान में गठित जातीय पंचायतों के पदों में महिलाओं को भी जिम्मेदारी दिया जाने लगा है।

3. आधुनिक राजनैतिक व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, जनपत पंचायत आदि में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य आदि पदों पर पारधी समाज के सदस्य कार्यरत है।

4. पूर्व में जातीय पंचायतों के पदाधिकारी अशिक्षित थे, लेकिन वर्तमान के जातीय राजनैतिक संगठन का प्रतिनिधित्व पढ़े–लिखे लोग करने लगे है।

7. शैक्षणिक स्थिति में परिवर्तन

1. पारधी समुदाय में शिक्षा की दर बहुत ही कम थी। बालक/बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा के बाद कार्य में लगा दिया जाता था। लेकिन अब शिक्षा के क्षेत्र में भी धीरे–धीरे सुधार हो रहा है।

2. शासन द्वारा ग्रामीण व जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा हेतु कई सुविधायें संचालित है, जिसमें मध्यान भोजन, निशुल्क गणवेश, पाठ्यपुस्तक, बालिकाओं को सायकल आदि के कारण शिक्षा के प्रति जागरूकता देखने को मिलता है।

8. नृत्य और संगीत में परिवर्तन

1. इस समुदाय में प्रचलित लोकगीतों एवं नृत्यों का चलन धीरे–धीरे कम होता जा रहा है। युवापीढ़ी शादी–विवाह व उत्सवों में बैंडबाजा, डीजे, फिल्मी गीत, लाउडस्पीकर आदि के साथ नृत्य करते सहज ही देखे जा सकते है।

2. अपने परम्परागत लोकगीतों एवं नृत्यों के लिपिबद्ध न होने के कारण युवावर्ग में रूचि कम दिखाई देता है।

10.2 समस्यायें

पारधी जनजाति विकास की ओर अग्रसर है, लेकिन निम्नलिखित समस्यायें उनके विकास में बाधक सिद्धक हो रही है :–

(अ) सामाजिक समस्यायें

1. अंध विश्वासः– पारधी जनजाति में परम्परागत विचारधारा और अंधविश्वास का दबाव अधिक है। नये विचार या नवाचार की स्वीकार्यता अत्यन्त धीमी है।

2. नशे की आदतः– समुदाय के अधिकांश महिला–पुरूषों में नशें की लत (नशाखोरी) मुख्य समस्या है। त्यौहारों, उत्सवों या अन्य अवसरों पर इनके द्वारा कच्ची मंद का सेवन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। जो स्वास्थ्य के साथ–साथ सामाजिक–आर्थिक एवं पारिवारिक रूप से भी नुकसानदायक है।

(ब) आर्थिक समस्यायें

1. पारधी समुदाय में अधिकांश परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहे है। इनकी वार्षिक आय पारिवारिक आवश्कताओं व अन्य आकस्मिक व्यय की पूर्ति करने में पर्याप्त नहीं होती है। अतः इन्हें कर्ज लेना पड़ता है। इस प्रकार ऋणग्रस्तता एक प्रमुख समस्या है।

2. अधिकांश परिवारों के पास कृषि योग्य भूमि का अभाव है, और जिनके पास कृषि भूमि है, वे असिचिंत व मानसूनी वर्षा पर आधारित है, जिसके फलस्वरूप साल में एक ही फसल लेते है। अतः उत्पादित फसल वर्ष भर के लिए पर्याप्त नही होता है।

3. इनकी आय में मजदूरी का महत्वपूर्ण योगदान होता है, किन्तु पर्याप्त मजदूरी का न मिलना भी एक प्रमुख समस्या है।

4. पारधी समुदाय छिन्द पत्तों से चटाई एवं झाड़ू बनाती है। जिसका पर्याप्त मजदूरी एवं बाजार का न मिल पाना भी एक समस्या है।

(स) शैक्षणिक समस्यायें

1. पारधी समुदाय में शिक्षा के प्रति उदासीनता दिखाई देता है। पूर्व में यह समुदाय घुमंतू जीवन व्यतीत करने के कारण शिक्षा में कम ही रूचि लेते थे।

2. पारधी जनजाति के अधिकांश परिवारों के सदस्य प्राथमिक स्तर तक ही शिक्षित है। प्राथमिक शिक्षा के पश्चात् बालक/बालिकाओं को घरेलू कामकाज, छोटे भाई–बहनों की देखभाल एवं पशुचारण आदि कार्यो में संलग्न कर दिया जाता है।

(द) स्वास्थ्य समस्यायें

1. **भ्रांतियॉ एवं अंधविश्वासः**— पारधी जनजाति में स्वास्थ्य संबंधी अनेक भ्रांतियॉ और अंधविश्वास व्याप्त है, वे रोगग्रस्त होने पर उपचार के लिए बैगा के पास झाड—फूंक, टोटका आदि को प्राथमिकता देते है।

2. **पर्याप्त चिकित्सा सुविधा का अभाव** :— पारधी निवासित क्षेत्रों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधा का अभाव है। साथ ही जागरूकता भी कम दिखाई देता है। जिसके फलस्वरूप वे योग्य डॉक्टर के पास उपचार हेतु नही पहुंच पाते है।

3. **घर पर प्रसव** :— पारधी जनजाति के कुछ परिवारों द्वारा प्रसव घर पर ही कराया जाता है। और प्रसव ग्राम के पारम्परिक दाई से करवाते है, जिससे प्रसव एवं शिशु दोनों पर खतरा बना रहा है।

4. **गर्भवती महिलाओं द्वारा दवाईयों का सेवन न करना** :— कुछ महिलाओं द्वारा आयरन एवं कैल्शियम की गोली पर्याप्त मात्रा में व नियमित सेवन नही किया जाता है, जिससे नवजात शिशु एवं मॉ में कमजोरी एवं खून की कमी का खतरा बना रहता है।

5. **पर्याप्त चिकित्सा सुविधा का अभाव** :— पारधी निवासित क्षेत्रों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधा का अभाव है। साथ ही जागरूकता भी कम दिखाई देता है। जिसके फलस्वरूप वे योग्य डॉक्टर के पास उपचार हेतु नही पहुंच पाते है।

6. **घर पर प्रसव** :— पारधी जनजाति के कुछ परिवारों द्वारा प्रसव घर पर ही कराया जाता है। और प्रसव ग्राम के पारम्परिक दाई से करवाते है, जिससे प्रसव एवं शिशु दोनों पर खतरा बना रहा है।

7. **गर्भवती महिलाओं द्वारा दवाईयों का सेवन न करना** :— कुछ महिलाओं द्वारा आयरन एवं कैल्शियम की गोली पर्याप्त मात्रा में व नियमित सेवन नही किया जाता है, जिससे नवजात शिशु एवं मॉ में कमजोरी एवं खून की कमी का खतरा बना रहता है।

———000———

Chhattisgarh TRTI

TRIBAL RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE

संचालनालय, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

सेक्टर-24, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

फोन : 0771-2960530,

E-mail : trti.cg@nic.in, web. : www.cgtrti.gov.in